हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

डॉ0 राजीव बिंदल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष : बिंदल साहब, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं।

डॉ0 राजीव बिंदल : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल यहां धर्मशाला के जोरावर सिंह स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी की हमारी रैली थी। आज उसी स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी की रैली होने जा रही है। लेकिन आज उस ग्राऊंड में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही हैं जबकि कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस ग्राऊंड में धूल खिलाई जा रही थी। मैंने आज रास्ते में गाड़ी रोककर अधिकारियों से पूछा कि क्या आज आप यहां पानी का छिड़काव कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि छिड़काव कर रहे हैं। मैंने कहा कि पिछले कल भी कर देते तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने कहा कि कल जो धूल उड़ी थी, उसी से हमने अनुभव किया है। कल आपको धूल खिलानी थी लेकिन आज मुख्य मंत्री जी को धूल न लगे ,इसलिए हम छिड़काव कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि पार्टी ने सरकार के पास इसके लिए कितनी राशि डिपाजिट करवाई है? दूसरे, आज बड़ी मात्रा में आशा वर्कर्ज़ के ,आंगनबाड़ी वर्कर्ज़ के ,अध्यापकों के और पैरा-मैडिकल स्टॉफ के डैपुटेशन्ज अपनी मांगें रखने को बुलाए गए हैं। इसके साथ ही +2 स्कूल के बच्चों के डैपुटेशन्ज बिना ड्रैस के बुलाए गए हैं। इस संबंध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल इनकी जो रैली हुई है और उसके मुकाबले में आज जो कांग्रेस पार्टी की रैली हो रही है ,उसमें कल की रैली के मुकाबले कई गुणा ज्यादा लोग होंगे ,उसी को ये इशू बना रहे हैं। आप स्वयं वहां आएं और देखें कि क्या उस रैली में स्कूल के बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं।

जारी ... श्री गर्ग जी

मुख्य मंत्री------क्रमागत

या वे लोग हैं जिन्हें हमने कांगड़ा जिले से बुलाया है, बाहर से कहीं से नहीं हैं। सिर्फ जिला कांगड़ा जिले से ही महिलाएं एवं पुरूष वहां पर आएंगे, आप अपनी आंखों से देखिए। आप पहले ही सरेण्डर क्यों कर रहे हैं?

अध्यक्ष : आप सभी लोग आज रात को पालमपुर में मेरी तरफ से विद स्पॉऊज़ रात्रि भोज के लिए मंत्रीगण एवं विधायकगण आमंत्रित हैं। आज अच्छा दिन है, आज शाम को आप सभी लोग आएं।

/-2

03/12/2015/1105/RG/AS/2

प्रश्न सं. 2108

श्री वीरेन्द्र कंवर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो उक्त राशि मुख्य मंत्री राहत कोष में आबंटित की गई है इसको बांटने के क्या मापदण्ड हैं और किस कैटागिरी के लोगों को यह राशि आबंटित की जाती है? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह राशि सत्ता पक्ष के विधायकों की सिफारिश पर ही दी जाती है या भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी यदि माननीय मुख्य मंत्री जी को किसी के लिए सिफारिश करते हैं ,तो उनको भी दी जाती है? क्योंकि मेरे पास जो तथ्य हैं उनको देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि इनमें से 70% मामलों में यह राशि सत्ता पक्ष के विधायकों की सिफारिशों पर ही दी गई है और उसमें से जो सबसे ज्यादा है ,मैं यह कह सकता हूं कि 50% से अधिक कुछ चुने हुए विधान सभा क्षेत्र हैं जैसे शिमला ग्रामीण ,भटियात ,रामपुर, रोहड़ू ,हरोली ,किन्नौर में ही इस राशि को बांटा गया है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं बल्कि मेरा तो यह मानना है कि इस राशि का यह जो दुरूपयोग हुआ है क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करवाएंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यहां बयान दिया है और जो इन्होंने कहा है यह सही नहीं है। जो भी मुख्य मंत्री राहत कोष की राशि है वह हर उस व्यक्ति को मिलती है जो इसके लिए डिजर्व करता है। जैसे गरीब, मजलूम ,बीमार है या विधवा या असहाय है। अधिकांश पैसा-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

प्रश्न संख्या: 2108**क्रमागत-----मुख्य मंत्री जारी-------**

और अधिकांश पैसा इलाज के ऊपर खर्च हो रहा है। चाहे वह हार्ट का ऑप्रेशन हो, किडनी ट्रांसप्लांट का मरीज़ हो या अन्य बीमारियों का इलाज हो, अगर आप उसका पूरा ब्योरा देखेंगे तो मैं समझता हूं कि हमने इतना विस्तृत ब्योरा पहले कभी नहीं दिया है। जिन लोगों को यह सहायता दी गई है उनका नाम और पते सहित पूरा ब्योरा उत्तर में दिया हुआ है। आप उत्तर को पढ़कर पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश के हर जिले के अंदर हरेक भाग में पैसा बांटा गया है और भविष्य में भी ऐसा ही बांटा जाएगा। मुख्य मंत्री राहत कोष से जो राहत दी जाती है वह निष्पक्ष है। वह पार्टी आधार पर नहीं बल्कि वास्तवि क आधार पर दी जाती है। जो गरीब है, असहाय है who deserve to be helped, they are helped.

श्री वीरेन्द्र कंवर: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अगर हम पूरी रिकॉम्डेंशन्ज इत्यादि देकर भी यदि आवेदन करते हैं तो चार-चार और पांच-पांच महीने तक हमें कोई भी उत्तर नहीं मिलता है?

मुख्य मंत्री: ऐसा कोई कारण है ही नहीं। जिसने भी एप्लाई किया है, चाहे विधायकों के माध्यम से किया है या स्वयं किया है ,जिसको मदद दी जानी चाहिए उसको मदद दी गई है। मदद देने में कोई भेदभाव नहीं है। वह चाहे कांग्रेस का विधायक लिखे ,चाहे दूसरी पार्टी का विधायक लिखे या गैर-विधायक लिखे, हम समझते हैं कि गुण-दोष के आधार पर जिनकी मदद होनी चाहिए उनको मदद देते हैं। किसी का इलाज हम बीच में नहीं छोड़ते हैं। हम पूरा इलाज करने के लिए पैसा देते हैं।

श्री महेन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विपक्ष की तरफ से जब भी मुख्य मंत्री राहत राशि के लिए पत्र लिखा जाता है तो पूरे दस्तावेज़ देने के बावजूद हमारे उन दस्तावेज़ों को पटवारियों के पास भेजा जाता है और पटवारियों के पास से वह रिपोर्ट कभी आती ही नहीं है। क्या

03/12/2015/1110/MS/AG/2

माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाएंगे कि ऐसे कितने केस हैं जोकि विपक्ष के सदस्यों द्वारा आपको प्रेषित किए गए हैं? उन केसिज में से कितने केसिज में कितनी-कितनी राशि सैंक्शन की गई है? जो आपने उत्तर दिया है इस उत्तर में हमारे जो केसिज हैं, वे इसमें शामिल नहीं हैं। दूसरा, मैं मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि कुछ ऐसे बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में मकानों को बनाने के लिए और दूसरी मदद करने के लिए मुख्य मंत्री राहत कोष से राशि दी गई है? अगर दी गई है तो क्यों एक क्षेत्र विशेष के लिए दी गई है? क्योंकि इस प्रकार की बाढ़ दूसरे क्षेत्रों में भी आई हुई है तो उन क्षेत्रों को भी क्यों सहायता नहीं दी गई, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं?

मुख्य मंत्री: जब कहीं बाढ़ आती है और उस बाढ़ की वजह से जहां नुकसान होता है उसके लिए मुख्य मंत्री राहत कोष से पैसा नहीं दिया जाता है। उसके लिए अलग से पैसा सरकार से जाता है। इसके अलावा जो मौसम की वजह से क्लेमिटी होती है, वह अलग चीज है। जो राहत राशि है वह मुख्य मंत्री राहत कोष से जाती है और वह गरीब लोगों के लिए, गरीब लड़कियों की शादी के लिए और गरीब लोगों के इलाज के लिए दी जाती है और वह राशि बिना किसी सिफारिश के दी जाती है। चाहे वह किसी मंत्री का पत्र हो, विधायक का पत्र हो या कोई आम आदमी व्यक्तिगत रूप से दरख्वास्त देता हो, उस पर हम अमल करते हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, एक अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष: नहीं, अब काफी हो गया है। अगला प्रश्न।
डॉ0 राजीव बिन्दल: सर ,पूछने दीजिए।
अध्यक्ष: हां, बोलिए।
डॉ0 राजीव बिन्दल: अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें दो साल का टोटल 24 करोड़ 83 लाख 74 हजार 617 रुपये है। इसमें से सिरमौर,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

3.12.2015/1115/**जेके/एजी**/1
प्रश्न संख्या:2108--------**जारी**--------
डॉ0 राजीव बिन्दल:.....**जारी**.....
इसमें से सिरमौर जिले का जो आबंटन है वह 22 लाख 48 हजार है, उसमें नाहन विधान सभा क्षेत्र शून्य है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में क्या ऐसा कोई गरीब या मज़बूर व्यक्ति नहीं है? कम से कम 10 प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा जिलाधीश के थ्रू स्वयं भेजे गए हैं। इसमें राशि शून्य दर्शायी गई है। इसकी क्या वज़ह है?
मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य ने प्रार्थना पत्र जिलाधीश को भेजा है तो वे अपने मद से राहत राशि देते हैं। मुख्य मंत्री राहत कोष के लिए एप्लिकेशन्ज मुख्य मंत्री कार्यालय में आती है। हमारे कार्यालय में जो भी राहत के लिए एप्लिकेशन्ज आई हैं उन सबको राहत दी गई है। मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा राशि पहले कभी भी नहीं दी गई है। दो साल में 24 करोड़ से ज्यादा पैसा गरीब लोगों को दिया गया है। जिसने भी

मांगा उसे राहत राशि दी गई। हो सकता है कि किसी ने पहले एस.डी.एम. के पास एप्लाई किया हो और वह एप्लीकेशन्ज़ हम तक नहीं पहुंची हो, इसलिए उसको राहत राशि नहीं मिली हो। जो भी प्रार्थना पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में किसी के द्वारा भेजी गई हैं या खुद दी हैं, उन पर अमल हुआ है।

अध्यक्षः श्री रविन्द्र सिंह जी अगला प्रश्न करें।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना बड़ा प्रश्न है हर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर हमें आप सप्लीमेंटरी करने दीजिए।

अध्यक्ष: ठीक है, सिर्फ आप सप्लिमेंटरी करें।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसमें वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और काफी बड़ा दस्तावेज़

3.12.2015/1115/जेके/एजी/2

यहां पर उपलब्ध है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जब आप मुख्य मंत्री राहत कोष से यह राशि स्वीकृत करते हैं तो क्या आप इसका सर्वेक्षण करवाएंगे कि गिने-चुने चार-पांच विधान सभा क्षेत्र हैं जहां पर बीमारियों के ईलाज के लिए आपने करोड़ों रूपये दिये हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, इनका हरोली विधान सभा क्षेत्र है। ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र, जहां पर ज्वाला माई का मंदिर है वहां भी पैसे दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र शिमला का, रोहड़ू और रामपुर इन चार-पांच विधान सभा क्षेत्रों में ही राहत राशि दी गई है। केवल वहीं पर इतनी ज्यादा बीमारियां क्यों हो रही है? क्या आप पूरे प्रदेश का सर्वे करवाएंगे कि ज्यादा बीमारियां हरोली क्षेत्र में, गामीण शिमला में, रोहड़ू में, रामपुर में और ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र में ही क्यों हो रही हैं? बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा पैसा उन क्षेत्रों के लिए दिया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय, दूसरे एक ही बीमारी के लिए, जब हम एप्लिकेशन भेजते हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने भी एप्लिकेशन दी थी। मुख्य मंत्री महोदय ने सत्ता पक्ष के किसी माननीय विधायक ने जब उसी बीमारी के लिए पैसे सेंक्शन करवाए तो उनके लिए तो आपने लाखों रूपये दे दिए लेकिन जब हमने उसी बीमारी के लिए एप्लिकेशन दी तो वह राशि काट कर हजारों में रह जाती है यानि 8 या 10 हजार तक ही रह जाती है। क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि राहत राशि को सेंक्शन करने के क्या मापदण्ड हैं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो प्रार्थना पत्र आते हैं उसके मुताबिक ही राशि दी जाती है। कोई भी हल्का ऐसा नहीं है जहां पर पैसा नहीं दिया गया है। माननीय सदस्य, डॉ बिन्दल जी, जो कि सिरमौर से हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि

सिरमौर में पच्छाद के अन्दर 41 केसिज में 98लाख 1 हजार 50 रूपये, नाहन में 32 केसिज में 5 लाख 41 हजार रूपया और रेणुका के लिए 98 हज़ार 450 रूपया, शिलाई में 68 लाख 30 हजार रूपया और कुल 31 लाख 78 हजार दिया है। मैं फिर से पढ़ता हूं। श्री एस.एस. द्वारा जारी---

03.12.2015/1120/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 2108क्रमागत

मुख्य मंत्री क्रमागत

पच्छाद में 43केस में 58,150/- रुपया, नाहन में 5 लाख 41 हजार रुपया, रेणुका में 94 लाख 493 रुपया, पांवटा साहब में 47 लाख 10 हजार रुपया और शिलाई में 66 लाख 30 हजार रुपया दिया गया। हर जगह के हैं और रवि जी के चुनाव क्षेत्र के भी हैं।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे अनुपूरक प्रश्न का जवाब आया ही नहीं। मैंने जो दो सप्लीमैंटरी क्वैश्चन पूछे थे आपने उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने तो डॉक्टर बिंदल जी का जवाब दे दिया। मेरा निवेदन है कि आप मेरे अनुपूरक प्रश्न पर प्रकाश डालें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई पार्शियलटी नहीं होती। जो एम0एल0ऐज़0 एक्टिव हैं और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वे ज्यादा एप्लीकेशन्ज़ भेजते हैं और कुछ कम भेजते हैं। मगर जो भी केस आते हैं वे सब डील होते हैं और उसके ऊपर ज्यादा-से-ज्यादा मदद करने की कोशिश की जाती है।

श्री रविन्द्र सिंह: मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि आपने चार-पांच विधान सभा क्षेत्रों में इलाज के लिए करोड़ों में पैसे सैंक्शन करवाये हैं, उन क्षेत्रों में इतनी ज्यादा बीमारी क्या हो रही है? क्या वहां पर नशाखोरी तो नहीं बढ़ गई है और उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं? क्या आप इसके ऊपर कुछ जांच करवायेंगे?

मुख्य मंत्रीः सीधी बात यह है कि जहां से ज्यादा एप्लीकेशन्ज़ आई हैं उनकी ज्यादा एप्लीकेशन्ज़ प्रोसैस हुई हैं। जहां से एप्लीकेशन्ज़ नहीं आई हैं वे कैसे प्रोसैस होतीं?

अध्यक्षः रविन्द्र सिंह जी, आप अपना अगला प्रश्न कीजिए।

प्रश्न समाप्त

03.12.2015/1120/SS-AS/2

प्रश्न संख्या: 2111

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछले बजट सत्र का है और उसके बाद यह दो बार बजट सत्र में लगा और उसके बाद मानसून सत्र में लगा और अब शरदकालीन

सत्र में लगा तो जवाब आया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी कल और परसों कह रहे थे कि सरकार बहुत काम कर रही है लेकिन एक साल में एक प्रश्न का जवाब तो सरकार नहीं दे पाई। यह विकास का काम कहां हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के खजाने से यहां पर करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। यह सूचना है कितनी बड़ी? आपने दो नहीं, चार नहीं, छः नहीं, आठ नहीं, ज्यादा-से-ज्यादा दस एडवोकेट हायर किये होंगे, उसके बारे में सूचना देने में माननीय मुख्य मंत्री जी आपको क्या एतराज़ है? हम आपसे यह जानना चाहते हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर जल्दी-से-जल्दी दिया जायेगा।

प्रश्न समाप्त

03.12.2015/1120/SS-AS/3

प्रश्न संख्या: 2538

श्री पवन काजल: अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना सभापटल पर रखी है, मैंने पूछा था कि तीन वर्षों में खण्ड विकास कार्यालय कांगड़ा के अन्तर्गत मनरेगा में नालियों व सेप्टिक टैंक की सफाई इत्यादि के कार्य किये गए तो उसमें जो सूचना मिली है वह बिल्कुल सही है। इसमें "ख" भाग के अन्तर्गत मैंने पूछा था कि क्या इन कार्यों को मनरेगा के अन्तर्गत किया जा सकता था और करने से पहले क्या शैल्फ में डाल कर पारित किया गया था तो इसका उत्तर दिया गया कि उपरोक्त कार्यों का भुगतान प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत किया गया है जोकि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मान्य नहीं है। मैंने प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा था कि क्या ये कार्य शैल्फ में पास किये गये थे, उसका उत्तर दिया गया कि इन कार्यों को निष्पादित करने से पूर्व शैल्फ में डाल कर पारित नहीं किया गया है।

जारी श्रीमती के0एस0

03.12.2015/ 1125/**केएस/एएस**/1

प्रश्न संख्या: 2538 **जारी**---

श्री पवन काजल जारी---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह मामला पीछे अखबारों में भी काफी चर्चित रहा और इस सम्बन्ध में डी.सी. के माध्यम से इन्क्वायरी भी हुई और उसमें अनियमितताएं भी पाई गई, क्या यह जो भी अधिकारी है इसको आप सस्पैंड करेंगें ? यदि हां तो कब और इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जवाब बिल्कुल सही है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंदर कुछ काम पर्मिसिबल होते हैं और कुछ काम नॉन पर्मिसिबल होते हैं । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि डिपार्टमैंटल प्रोसिज़र के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी उसको चार्जशीट किया जाएगा । यह ऑफिसर भी अपना जवाब दे सके इसलिए पहले इसको चार्जशीट किया जाएगा।

श्री पवन काजलः अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं वहां का जन-प्रतिनिधि हूं और वहां के लगभग 20 पंचायत प्रधानों नें मुझे मोहर सहित एक प्रार्थना पत्र साईन करके दिया कि वहां के बी.डी.ओ. की कार्यशैली ठीक नहीं है। मैंने मंत्री जी के ध्यान में यह मामला लाया, मैंने यह नहीं कहा कि आप उस बी.डी.ओ. को सस्पैंड करो,

मैंने कहा कि इस अधिकारी को यहां से कहीं भी बदल दो। मा0 मंत्री जी ने विभाग को आदेश दिए कि इसकी इन्क्वायरी करो लेकिन मैं इन्क्वायरी के लिए नहीं, उसको बदलने के लिए इनके पास गया था। जब उसकी इन्क्वायरी होने लगी तो वहां डायरैक्टर ने बी.डी.ओ. को भी बुलाया और प्रधानों को भी बुलाया। अब बी.डी.ओ. के सामने प्रधान क्या बोल सकेंगें, वह तो उनका इमिजिएट बॉस है। चलो वह इन्क्वायरी भी हो गई, फिर इन्होंने जो वहां पर प्रोजैक्ट ऑफिसर लगाया था।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न कीजिए।

03.12.2015/ 1125/**केएस/एएस**/2

श्री पवन काजल: सर, मैं सच्चाई बता रहा हूं। इन्क्वायरी हुई लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक उसको सस्पैंड करेंगें क्योंकि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है? मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह कार्य मनरेगा के अंतर्गत नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि बी.डी.ओ. ऑफिस कांगड़ा में कितनी नालियां हैं जिनमें 13,050 रु0 लगे ? अगर दो बेलदारों को 500 रुपये दिए जाएं तो वे एक दिन में साफ हो जाएंगी?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने बोल तो दिया है अगर ऐसा हुआ तो उसको चार्जशीट करेंगें।

श्री पवन काजल : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं और मैं यह भी चाहता हूं कि इन्क्वायरी हुई उसमें अनियमिताएं पाई गई सस्पैंशन की बजाय उसको वहां से बदल देते। इसमें क्या दिक्कत थी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह पर्मिसिबल नहीं था ,हमने जवाब में भी कहा है और मैंने भी कहा कि इसके लिए हम उसको चार्जशीट करेंगें और चार्जशीट का जवाब देने के बाद उसको सस्पैंड करेंगें । अभी क्योंकि हमारे पास बी.डी.ओ. की शॉर्टेज़ हैं । कुछ दिनों बाद पंचायती राज चुनाव है चुनाव होने के बाद उसको वहां से बदल दिया जाएगा।

प्रश्न समाप्त

अगला प्रश्न अ0व0 की बारी में---

3.12.2015/1130/ag/av/1

प्रश्न संख्या : 2539

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब से केंद्र में एन.डी.ए. की सरकार बनी है, तब से हमारे मुख्य मंत्री जी और सरकार में दूसरे मंत्री गाहे-बगाहे बाहर भारत सरकार पर अकसर यह आरोप लगाते रहते हैं कि भारत सरकार से आने वाली ग्रांट में कटौती की गई है। मगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा के पटल पर जो अभी जवाब रखा है अगर आप उसके टोटल को देखें तो केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में जिसके अंतर्गत भारत सरकार से फंडिंग होती है। उसमें वर्ष 2014-15 में 1689 करोड़ रुपये की ग्रांट प्राप्त हुई है। जबकि वर्ष 2012-13 में यू.पी.ए. सरकार के समय 608 करोड़ रुपये की ग्रांट प्राप्त हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि हाल ही में भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के आधार पर हिमाचल को भी स्पैशल केटेगरी की स्टेट में शामिल किया है और अब 90:10 के अनुपात से नॉर्थ ईस्ट के अनुरूप ग्रांट मिलेगी। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को भारत सरकार से इस प्रकार का पत्र प्राप्त हुआ है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय ,मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें भारत सरकार से मुख्यता चार मदों में राशि मिलती है जिसमें योजना आयोग अनुदान, ऐक्सटर्नली एडिड प्रोजैक्ट, फाइनैंस कमीशन और सी.एस.एस. शामिल है। वर्ष 2012-13 में इन मदों पर भारत सरकार से 7447 करोड़ रुपये, 2013-14 में 6384 करोड़ रुपये और वर्ष 2014-15 में 7252 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। हमने भारत सरकार से सी.एस.एस. में 90: 10के अनुपात में राशि देने का मुद्दा उठाया था ताकि हिमाचल प्रदेश को भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अनुरूप राशि मिल सके। हमने यह मामला वित्तायोग से भी उठाया था और मुझे यहां यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने हमारी मांगें स्वीकार कर ली है। आगे से सभी स्कीम्ज पर 90: 10के अनुपात से अनुदान देने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए मैं भारत

3.12.2015/1130/ag/av/2

सरकार का धन्यवाद करता हूं। यह केवल आगे के लिए हैं, पीछे हमें कुछ नहीं मिला।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इन्होंने केंद्र सरकार से मामला उठाया, यह तभी हुआ। क्या यह सत्य नहीं है कि जब यू.पी.ए. सरकार ने यह रेशो बदली तो किसी सी.एस.एस. में इसको 60: 40कर दिया, किसी में 70: 30और किसी में 75: 25किया। प्रदेश सरकार उस समय से इस मामले को लगातार उठाती रही है मगर यू.पी.ए. सरकार नहीं मानी। हम नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि एन.डी.ए. की सरकार ने इसको माना है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय धूमल जी भी वही कह रहे हैं जो मैंने कहा है। मैं यह कह रहा हूं कि भारत सरकार से हमें 90:10 के अनुपात से अनुदान मिलता रहा है जो कि बीच में रुक गया था। अब भारत सरकार ने हमारे आग्रह पर 90:10 के अनुपात से अनुदान देने का फैसला लिया है। उसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं।

समाप्त

अगला प्रश्न श्री वर्मा द्वारा जारी

03/12/2015/1135/टी0सी0/ए0जी0/1

प्रश्न संख्या: 2540

श्री विनोद कुमार: अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सी0एच0सी0 गोहर को अपग्रेड किए हुए कितना समय हुआ है? दूसरा, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सिविल हॉस्पिटल गोहर में आठ डॉक्टरों के जो पद है उनमें से पांच पद कितने समय से खाली चल रहे है?

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) **:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाज़िव है। क्योंकि यहां आठ डॉक्टरों के पद हैं जिनमें से पांच खाली हैं। सिविल हॉस्पिटल में कुल पदों की संख्या 48 हैं जिनमें से 33 इन-पोजिशन है और 15 खाली है। इस समय पूरे प्रदेश में डॉक्टर्ज की कमी चल रही है। प्रदेश में डॉक्टरों के स्वीकृत पद 1927 हैं और इनमें से हमारे पास 1517 डॉक्टर्ज उपलब्ध हैं। नवम्बर माह तक 410 डॉक्टर्ज की हमारे पास कमी चल रही है। जैसे-जैसे डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ती जाएगी ये पद भर दिए जाएंगे। इसी वज़ह से हिमाचल प्रदेश में मैडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जिनमें से प्रदेश में तीन मैडिकल कॉलेज सिरमौर,हमीरपुर और चम्बा में खोले जाने प्रस्तावित हैं और एक एम्ज बिलासपुर में खोला जाना प्रस्तावित है। इसी तरह से मण्डी में ई0एस0आई0 मैडिकल कॉलेज खोले जाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। ऊना में प्राईवेट सैक्टर में मैडिकल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है। प्रदेश में छ**:** नये मैडिकल कॉलेज इसी वज़ह से लाये जा रहे हैं ताकि भर्तियों की कमी को पूरा किया जा सकें। इस समय निश्चित तौर डॉक्टरों की कमी है। हर मंगलवार को वॉक-इन-इन्टरव्यू होते हैं जैसे ही डॉक्टर उपलब्ध होंगे, वैसे-वैसे डॉक्टर्ज मुहैया करवा दिए जाएंगे।

श्री विनोद कुमार: अध्यक्ष जी मेरा जवाब पूरा नहीं आया। मैंने मंत्री जी से पूछा था कि इस हॉस्पिटल हो अपग्रेड किए हुए कितना समय हुआ?

03/12/2015/1135/टी0सी0/ए0जी0/2

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय यह इनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है, हॉस्पिटल के अपग्रेड के बारे में इन्हें मुझ से बेहतर जानते होंगे और अगर नहीं जानते होंगे तो मैं इनको यह सूचना उपलब्ध करवा दूंगा।

डॉ0 राजीव बिंदल :अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हम कई मैडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि आप चम्बा, सिरमौर और हमीरपुर में जो कॉलेज आप सैल्फ फाईनेंस में खोल रहे हैं, जिसमें बच्चों को पांच लाख, तीन लाख, आठ लाख और दस लाख फीस लगेगी। यानी बच्चों के पैसे से यह मेडिकल कॉलेज चलेगा, मेरा यह कन्फयूजन है।

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय अभी तो यह काम भी शुरू नहीं हुआ है। इन हॉस्पिटलों के लिए सैंटर से पैसा आता है। जैसे ही पैसा आएगा मैडिकल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। फीसों के बारे में तो फैसला बाद में किया जाएगा।

श्री विनोद कुमार :अध्यक्ष महोदय मैंने जो प्रश्न किया था उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह विनोद जी का अपना विधान सभा क्षेत्र है और मुझे यह भी ज्ञात होगा कि यह हॉस्पिटल कब अपग्रेड किया गया था। यह बात सही है कि 21 जनवरी, 2013 को इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया था। जब इसका विधिवत् उद्घाटन किया गया तो उस समय भी मैं उस उद्घाटन के कार्यक्रम में मौजूद था। मैंने वहां पर कड़े शब्दों में वहां पर एक बात कही थी ------

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी----

03.12.2015/1140/NS/AS/1
प्रश्न संख्या: 2540------- **क्रमागत**

श्री विनोद कुमार द्वारा जारी

मैंने वहां पर कड़े शब्दों में एक बात कही थी कि आपने इस अस्पताल को अपग्रेड किया है। अध्यक्ष महोदय, वह अस्पताल हमारे पहाड़ी क्षेत्र की 70 से 80 पंचायतों को फीड करता है। मुझे तीन साल विधायक बने हुए हो गए और पिछले तीन सालों से वहां पर पांच डॉक्टर्ज के पद आज तक रिक्त पड़े हुए हैं। आपने अस्पताल अपग्रेड कर दिया।

आपने उसको पी.एच.सी. से सिविल अस्पताल बना दिया। आपने 35 बैड से 50 बैड कर दिया लेकिन डॉक्टर्ज आज दिन तक वहां पर नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी इस बात को कहा था। जब भी विधान सभा का सत्र चलता है तो मुझे इसी तरह का आश्वासन मिलता है कि डॉक्टरों की कमी चल रही है लेकिन उसके बाद जो अस्पताल अपग्रेड किए गए और जितने भी नए पद सृजित करवाए वहां पर डाक्टर कैसे पहुंच गए? मैं मुख्य मंत्री/मंत्री जी से एक आश्वासन चाहता हूं कि जो अस्पताल 80 से 90 पंचायतों को फीड करता है वहां पर जो डाक्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं क्या उन पदों को भरा जाएगा?

अध्यक्ष :आपके प्रश्न का जबाव मंत्री जी ने दे दिया है।

मुख्य मंत्री: जो आपने कहा है उसका संज्ञान ले लिया है।

समाप्त

03.12.2015/1140/NS/AS/2

प्रश्न संख्या: 2541

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री इन्द्र सिंह जी।

मुख्य मंत्री: मैं यह भी बता दूं कि इसके लिए स्टाफ भी नियुक्त हो गया है और जो फायर टैंडर है वह भी खरीदा गया है और उसकी मोडिफीकेशन हो रही है। फायर स्टेशन जल्दी बनकर तैयार होगा और शीघ्र काम करना शुरू कर देगा।

अध्यक्ष: इन्द्र सिंह जी आप बोलिए। You may ask him the supplementary please.

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगिनशमन केंद्र स्थापित करने के क्या मापदण्ड हैं? सरकाघाट एक कन्जस्टिड मार्केट है। सौ बैड वाला अस्पताल है, मिनी सचिवालय, कालेज और बड़ा पुराना सीनियर सैकंडरी स्कूल है। सारा एरिया थिकली पॉपुलेटिड है और वहां टाऊन भी नजदीक हैं जहां अग्निशमन की आवश्यकता है। जब कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो मण्डी जो यहां से 60 किलोमीटर दूर है, वहां से अग्निशमन की गाड़ी आती है। फिर भी आपने सरकाघाट में फायर पोस्ट दिया जबकि वहां अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की जरूरत है। दुसरी चीज फायर पोस्ट और अग्निश्मन केन्द्र में क्या अंतर है? इसमें इक्यूपमेंट वाईज और मैनपावर वाईज पलेसमेंट में कितना अंतर है, यह भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

मुख्य मंत्रीः मेरी सूचना के मुताबिक सरकाघाट में फायर पोस्ट खोल दी है। इसकी अधिसूचना दिनांक 29 मई, 2015 को जारी की है। वाहन तैयार होने पर इस फायर पोस्ट का संचालित कर दिया जाएगा। इस फायर पोस्ट के लिए एक लीडिंग फायरमैन, तीन फायर मैन, दो ड्राईवर -कम -पम्प ऑपरेटर के पदों का सृजन भी कर दिया गया

है। इसके अतिरिक्त 8 गृह रक्षक तैनात करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इन पदों पर आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती के आदेश भी दिए जा चुके हैं। जो संचालन पर कार्यभार संभालेंगे। फायर पोस्ट सरकाघाट के लिए दो वाहन तथा फर्नीचर क्रय करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं।

श्री नेगी द्वारा ----जारी।

03.12.2015/1145/negi/AS/1

प्रश्न संख्या: 2541.. **जारी**..

मा0 मुख्य मंत्री महोदय...**जारी**...

तथा वाहन लगभग 3 महीने में तैनात हो जाएंगे । इसके अतिरिक्त दूरभाष लगाने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है । जिलाधीश मण्डी ने फायर पोस्ट सरकाघाट को स्थापित करने के लिए गवर्नमैन्ट सीनियर सकैन्डरी स्कूल सरकाघाट के बॉयज़ होस्टल बिल्डिंग की एक मंजिल वैकल्पिक व्यवस्था होने तक आबंटित कर दिया है और वर्तमान में यह चालू हो गया है । जो फायर टैंडर होता है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, before made operational. वह काम चालू हैं और बहुत जल्दी जब वह हो जाएगा तो Fire station will come into operation.

समाप्त

03.12.2015/1145/negi/AS/2

प्रश्न संख्या: 2542.

श्री रवि ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि लाहौल-स्पिति का किसान,बागवान एक ही खेती करते हैं और वहां पर जो वैजिटेबल्ज़ ,फ्लोरिकल्चर और सेब निकलता है उसके लिए कोई मार्केटिंग यार्ड नहीं है । वहां पर मार्केटिंग यार्ड का प्रपोजल ढ़ाई साल से चला हुआ है। हॉप्स की पैदावार नहीं होने के कारण वहां पर हॉप्स की किलन, बड़े-बड़े स्ट्रक्चर खाली पड़े हैं। क्या इसके लिए प्रपोजल चल रहा है कि वहां पर वैजिटेबल्ज़ ,सेब तथा फ्लोरिकल्चर के लिए पैकेजिंग सेन्टर बनाया जाए। मार्केटिंग यार्ड इसलिए बनाया जाए क्योंकि लोगों की पैदावार जैसे वहां मटर होती है, दूसरी चीज़ें होती है वो खेतों से ही जब साहूकार लोग उठा करके ले जाते हैं तो बहुत सस्ते में जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें डिले क्यों किया जा रहा है और विभाग इसमें लापरवाही क्यों कर रहा है?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, इसमें कोई लापरवाही नही की जा रही है । वहां पर जो ज़मीन प्रपोज्ड़ थी that is under the possession of the local people. यह ज़मीन हमें दिलवा दें और हम वहां पर मार्केट यार्ड बना देंगे।

Sh. Ravi Thakur: Speaker Sir, I have also verified that land is available there. मेरा प्रश्न यह है कि वहां पर हॉप्स की किलन तो बने हुए हैं, बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्ज़ बहुत सालों से खाली पड़े हुए हैं, उसको पैकेजिंग के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे। दूसरा, क्या आप डी.सी. से दोबारा वैरीफाई करेंगे कि वहां पर लैंड उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि हाल ही में हमारी पी.ए.सी. की मीटिंग हुई थी उसमें उनका यह कहना था कि वहां पर लैंड उपलब्ध है।

03.12.2015/1145/negi/AS/3

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर ज़मीन उपलब्ध होगी तो वहां पर मार्केटिंग यार्ड बनाया जाएगा। जहां तक हॉप्स का सवाल है, वहां पर जो उनके स्ट्रक्चर्ज़ बने हुए हैं, मेरे ख्याल से वे डी.सी. के अण्डर है। अगर डी.सी. से वो हमें मिल जाते हैं तो हम लोगों को अथोराइज्ड कर देंगे कि वे अपने फ्रूट्स और वैजिलेबल्ज़ की पैकेजिंग वहां कर लें ।

समाप्त

अगला प्रश्न श्री शर्मा जी द्वारा जारी...

03.12.2015/1150/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 2543

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं , इन्होंने उत्तर में बिजली के कनैक्शन और पानी के कनैक्शन काटने की संख्या दर्शाई है। जब बिजली का कनैक्शन दिया जाता है, कनैक्शन देती बार उसकी पूरी फाईल बनती है। उस फाईल में उस घर का ततीमा और नकल जमाबन्दी लगती है, तब जाकर बिजली का कनैक्शन दिया जाता है। इसके अलावा जब पानी का कनैक्शन दिया जाता है तो उस समय भी एफेडैविट दिया जाता और जितनी भी आई.पी.एच. विभाग की औपचारिकताएं हैं, वह सब पूरी की जाती हैं। माननीय मंत्री महोदया से मेरा प्रश्न है कि जब पहले ही अधिकारियों ने सब औपचारिकताएं पूरी की तो अब उनके डिस-कनैक्शन ऑर्डर क्यों हुए हैं। आपने जो बहुत से लोगों के पानी के कनैक्शन और बिजली के कनैक्शन काटे हैं, इसके लिए कौन दोषी है? क्या जिन्होंने कनैक्शन्ज दिए हैं वह दोषी हैं या वह दोषी हैं जो आज इन कनैक्शन्ज को काट रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो चंद एक कनैक्शन आपने काटे हैं ,आपके पास 7 नवम्बर, 2015 तक कुल कितने ऐनक्रोचमैंट के केसिज हैं जिनके बिजली और पानी के कनैक्शन काटने थे? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि पिछली बार इसी हाऊस में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि ऐसे कोई भी बिजली या पानी के कनैक्शन्ज नहीं काटे जाएंगे। उस वक्तव्य के बाद आज तक कितने कनैक्शन्ज डिस-कनैक्ट किए गए हैं? किसी भी कनैक्शन को काटने से पहले संबंधित व्यक्ति को शो कॉज नोटिस और डिस-कनैक्शन ऑर्डर दिया जाता है। मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि आज तक जितने भी डिस-कनैक्शन ऑर्डर हुए हैं उनमें न तो किसी को डिस-कनैक्शन ऑर्डर दिया गया है और न शो कॉज नोटिस दिया गया है। मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था ,उस वक्तव्य के बाद अब क्यों बिजली और पानी के कनैक्शन काटे जा रहे हैं?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे रही हूं कि 519 पेयजल तथा 727 विद्युत कनैक्शन माननीय उच्च नयायालय के आदेशों की अनुपालना में काटे गए हैं। काटे गए कनैक्शनों का जिला व उप-मंडलवार ब्योरा मैंने

03.12.2015/1150/SLS-AG-2

लिखित प्रश्न के उत्तर में दिया हुआ है। ...(व्यवधान)... ठीक है। लिखित उत्तर आपके पास है, आप इसे देख लें, इससे मेरा भी समय बच जाएगा। The cases of encroachment are being received. The total of such cases will be provided later on to the Hon'ble Member. During the current financial year 2015-2016 upto 07.11.2015, 519 water supply and 727 electricity connections in respect of unauthorized construction on Government land have been disconnected. These connections have been disconnected in compliance to the guidelines/order passed by the Hon'ble High Court in CWP (PIL) No. 17 of 2014. उनकी ही वजह से यह हुआ है। यह हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। Districtwise/sub-divisionwise detail of the water supply and electricity connections, which have been disconnected, has been given in the reply. So you will know the best. मैं वही उत्तर दे रही हूं।

उत्तर जारी ... श्री गर्ग जी

03/12/2015/1155/RG/AG/1

प्रश्न सं. 2543 क्रमागत

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री------क्रमागत

(व्यवधान)-इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, आप सबको तो यह बताना है। यदि आपको कोई शिकायत है, तो मैं आपको बता रही हूं ,इशु तो मैंने आपको बता ही दिया ,अब वैसे तो सब ठीक हो रहा है ,इसमें कोई ऐसी शिकायत की बात नहीं है और किसी ने यह जानबूझ कर नहीं किया है। जो फैसला हुआ है, वह उन्होंने किया है। मैंने आपको कहा कि यह हाई कोर्ट का फैसला है। इसमें हमारा कोई दखल नहीं था। तो आप इस बात को समझ सकते हैं।

श्री महेन्द्र सिंह : क्या हाई कोर्ट ने इन्हीं के लिए किया है?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : हां, इन्हीं के लिए किया है। अब आपके पास कागज़ात भेज देंगे। यदि आप कहें, तो मैं आपको इससे संबंधित पूरे कागज़ात भेज देती हूं कि हाई कोर्ट का क्या है। उसके पश्चात जो चाहे, आप खुशी से करें। लेकिन मैंने आपको सच बता दिया है।-- (व्यवधान)----अब शोर मचाने से तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूं। अब जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी बातें आपने दिक्कत की कही हैं, मैं आपकी बात मानती हूं और वे हमको करनी चाहिए। मैं आपको सारा पढ़कर सुना देती हूं, आपको तसल्ली हो जाएगी। दिनांक 7-11-2015 तक सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल, सरकाघाट के अन्तर्गत सरकाघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में --(व्यवधान)--लगाए हैं। तब आपको टोटल दे रहे हैं, सभी कुछ तो है।----(व्यवधान)---अब सभी कुछ जब आपके पास है, तब भी आप बोल रहे हैं। अब मैं आपको पूरा ब्योरा दे देती हूं। मैं आपको सारा ही बता सकती हूं ,लेकिन यह आपको देखना पड़ेगा कि आप इसको सारा पढ़ना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। इसीलिए मैं आपको यहां बता रही हूं। There are 4-5 pages. If you want, I can pass it on to you so that both of you can go through them. This is what I would like to tell. I want to be very clear about it.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय महेन्द्र सिंह जी ने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन किया था। माननीय मंत्री महोदया, यह पूरी-की-पूरी सूची यहां पर दी हुई है। पेयजल के 519 और 727 विद्युत कनैक्शन जो आपने काटे हैं। यह सही है कि आपने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही कनैक्शन काटे हैं ,लेकिन
03/12/2015/1155/RG/AG/2

साथ में यह भी कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले बजट सत्र में इसी माननीय सदन में यह वक्तव्य दिया था कि आगे से जितने भी अतिक्रमण के मामले प्रदेश में जहां-जहां जैसे हैं ,जो हाई कोर्ट ने आदेश ही दिए थे कि या तो इन बगीचों को साफ कर दिया जाए ,उनको वापस ले लिया जाए या ऐसे कनैक्शन जो काटे जा रहे हैं उनको यथास्थिति में रखा जाए। जैसा यहां कहा गया, जिन्होंने ये कनैक्शन काटे हैं , क्या कनैक्शन देने वाले अधिकारी दोषी थे या कनैक्शन काटने वाले अधिकारी दोषी हैं? इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगी, यह सीधा सा सवाल इन्होंने पूछा था।

अध्यक्ष महोदय, बड़ोग, सोलन में एक फाईव स्टार होटल के लिए तो कनैक्शन सारे-के-सारे जारी कर दिए। ये सारे 1246 कनैक्शनन्ज जिनमें 519 पेयजल के तथा

727 विद्युत कनैक्शन वाले सारे गरीब लोग हैं या जनजातीय क्षेत्रों के हैं या ये बी.पी.एल. परिवारों से या अनुसूचित जनजाति के हैं। इनमें से कोई भी परिवार ए.पी.एल. का नहीं है। आप चाहें, तो वह सारी-की-सारी सूची देख लेना। आपने इनके सारे कनैक्शन्ज तो काट दिए और एक फाईव स्टार होटल वाले को कनैक्शन के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी। क्या यह गरीबों के प्रति आपकी सरकार की आस्था है? आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगी? इस बारे में सारा सदन जानना चाहता है। ये जो कनैक्शन्ज काटे गए हैं क्या इनको फिर से बहाल किया जाएगा, जैसा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यहां माननीय सदन में बयान दिया है ,उस यथास्थिति को बहाल किया जाएगा? क्या माननीय मंत्री महोदया यहां पर ऐसा आश्वासन देंगी?

Irrigation & Public Health Minister: Speaker, Sir, very little time is left with me. Now, I want to say की हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में पानी और बिजली के बारे में जो बात कही है ,वही मैं कनैक्शन काटने की बात कह रही हूं। वही मैं आपको कह रही हूं कि सी.डब्लू.(पी.आई.एल.)17 / 2014में 6-4-2015 को दिए हैं। इन आदेशों को मॉडिफाई रिव्यु करना। यदि हम मॉडिफाई करने की बात करें , तो वह तो न्यायालय में ही हो सकता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती।----(व्यवधान)---

श्री रविन्द्र सिंह : यहां पर इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी को देना चाहिए क्योंकि उन्होंने यहां बयान दिया था।

03/12/2015/1155/RG/AG/3

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : देंगे-देंगे ,---(व्यवधान)--आप मेरी बात सुनिए। May I say? आपको एक बात कहूं, आप बैठ जाइए ,हम माननीय मुख्य मंत्री जी को दोष नहीं दे रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं।--(व्यवधान)--आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाएं। . . . (Interruption) . . . आप तो जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। यह तो कमाल हो गया। आप माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर क्यों देख रहे हैं? उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं जवाब दे रही हूं।

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप सुनिए-सुनिए। माननीय मुख्य मंत्री जी सुनना ही नहीं चाह रहे हैं।

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री : आप मुझसे जवाब सुनिए।

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी मुख्य मंत्री शुरू

03/12/2015/1200/MS/AS/1

प्रश्न संख्या: 2543**क्रमागत**----

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स जी ने कहा है जो भी ये वृक्ष काटे गए या बिजली के कनैक्शन काटे गए, यह सब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। उसमें सीधे तौर पर इंटरवीन करना सरकार के लिए संभव नहीं है। मगर हमने इस मामले को उच्च न्यायालय के अंदर उठाया है कि इस आदेश की नज़रसानी की जानी चाहिए। एक तो वे लोग हैं जो स्मॉल एण्ड मार्जिनल फार्मर्ज हैं और उन्होंने खेती करने के उद्देश्य से उस भूमि पर वृक्ष लगा दिए हैं। लेकिन सरकारी भूमि पर ज्यादा अतिक्रमण कब हुआ है? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है। उस समय आपकी पार्टी के राजस्व मंत्री श्री राजन सुशांत जी थे।- (व्यवधान)- सुनने की आदत डाल लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो मैक्सिमम अतिक्रमण हुआ है, वह उनके समय में हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़मीन के लिए आप पट्टे, फोटोग्राफ और ततीमा लगाकर हल्फिया बयान दो। उस वक्त भारी मात्रा में अतिक्रमण हुआ और बाद में जिन लोगों ने मंत्री के कहने से ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, उनको ज़मीन का मालिक बनाया गया ,इसके बारे में उस वक्त की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और वे एन्क्रोचर्स बन गए। उस ज़मीन पर किसी ने फसल बीज दी, किसी ने मकान बना दिए और किसी ने बाग लगा दिए। मैक्सिमम एन्क्रोचमैंट उस समय हुई है। मैं समझता हूं कि इस समस्या का मानवीय दृष्टि से समाधान करने की आवश्यकता है। जो सचमुच में गरीब है, भूमिहीन है और जिनके पास कोई और भूमि नहीं है उनको एक तरफ रखना चाहिए और जिन लोगों के पास कोई जमीन नहीं है उनको एक तरफ रखना चाहिए और जिन लोगों के पास पहले से ही जमीनें और मकान हैं और उसके अतिरिक्त अगर उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ा किया हुआ है, उनको अलग कैटेगरी में रखना चाहिए। जो पहली कैटेगरी है उनके मामलों को हमें सहानुभूति के साथ देखना चाहिए और दूसरे जिन्होंने महज जमीन बढ़ाने की वजह से सरकारी भूमि पर कब्ज़ा किया है हालांकि उनके पास पहले से अपनी जमीनें हैं उनके साथ हमें कुछ और बर्ताव करना चाहिए। तभी इस समस्या का समाधान होगा। इसमें दोषारोपण से कुछ होने वाला नहीं है।

03/12/2015/1200/MS/AS/2

जो वस्तुस्थिति हमारे सामने है हमें उसको निपटाना है and government is trying to find out a middle way to settle this problem.

अध्यक्ष: माननीय धूमल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने सारी समस्या को डाइवर्ट करने का प्रयास किया है। हमारी सरकार के समय जो ऑफर दी गई थी वह स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्ज के लिए थी। जो एक्स-सर्विसमैन थे, अनुसूचित जाति के लोग ,विधवाएं, विस्थापित या अपंग व्यक्ति थे उनको एडजस्ट करने के लिए था। उस समय सत्ता परिवर्तन के बाद आप वर्ष 2003 में सत्ता में आ गए थे और उस समय से पैंडिंग केस कोर्ट में चला हुआ था। अब जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, वह यह था कि जो बड़े-बड़े बागीचे वाले हैं या जो फाइव स्टार होटल वाले हैं उनका तो एन्क्रोचमैंट के कारण आपने कोई कनैक्शन नहीं काटा। जो छोटा आदमी था जो अनुसूचित जाति या बी0पी0एल0 परिवारों के थे उनके कनैक्शन काट दिए और इसके बारे में स्टेटमैंट आपने पिछले सत्र में दी थी कि हम इन्श्योर करेंगे कि इनकी यथास्थिति रिस्टोर की जाएगी और इन गरीबों को राहत देंगे। वह 500 वृक्ष,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

3.12.2015/1205/**जेके/एएस**/1

प्रश्न संख्या: 2543:------**जारी**-----

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल:---------**जारी**----------

वही500 वृक्ष काटने वाले भी इसी में है। उनके पानी व बिजली के कनैक्शन्ज भी काट दिए गए। क्या आप हाऊस को एश्योर करेंगे और आप ऑर्डर करेंगे कि गरीबों के मामले में उनकी यथास्थिति बहाल कर दी जाएगी ?

मुख्य मंत्रीः आपने कहा कि आपके वक्त में गरीब लोगों के बिजली-पानी के कनैक्शन्ज नहीं काटे गये जिन्होंने नाज़ायज कब्जे किए हुए थे। I condemn that statement. Anyway I don't want to make it an issue. जो आपका कन्सर्न है स्मॉल फार्मर के लिए, that is the concern of the Government also. I have expressed it many times. Here I can't give direct orders to the department because Hon'ble High Court is already involved in it. We can move an application before the High Court to amend this order to the extent that the small and marginal farmers who are in occupation of the Government land कि उनके बिजली कनैक्शन न काटे जाएं और न मकान तोड़े जाएं because they deserve certain consideration from the society. This is a stand we have taken. I cannot

issue order overruling the order of the Hon'ble High Court. Because this matter is in the Hon'ble High Court, we will have to see that they also amend this order accordingly. दूसरी बात यह है और आपका कहना भी ठीक है कि बहुत लोग प्रदेश में ऐसे हैं जो बहुत बड़े भू-पति हैं। बड़ी ज़मीन और जायदात के मालिक हैं उन्होंने सरकारी ज़मीन के ऊपर नाजायज कब्जे कर रखे हैं और मकान बना रखे हैं। यह हर जिले के अन्दर है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले उनकी बिजली काटी जानी चाहिए। At the same time, we have to present the case of small and marginal farmers very genuinely and to see that they are not ousted and they are rehabilitated properly.

प्रश्नकाल समाप्त

3.12.2015/1205/**जेके/एएस**/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष: अब सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं जोकि इस प्रकार हैंः

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 ।

3.12.2015/1205/**जेके/एएस**/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष: अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे।

अध्यक्ष: अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2015-16), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार हैंः

(i) समिति का 120वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 85वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वित्त(आधिक्य) विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 121वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 86वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष: अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति का 50वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या 3.12 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश

3.12.2015/1205/जेके/एएस/4

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष :अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री खूब राम :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति (वर्ष 2015-16) , समिति का 22वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष: अब श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति (वर्ष 2015-16), समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) (वर्ष 2005-06) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 7वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री सुरेश भारद्वाज ,सभापति, सामान्य विकास समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुरेश भाद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समितिः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति (वर्ष 2015-16) ,समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन

3.12.2015/1205/जेके/एएस/5

(ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 12वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि पर्यटन एवं नागर विमानन विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

03.12.2015/1210/SS-AG/1

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत होगा। अब श्री सुरेश भारद्वाज जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो उस पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रदेश की राजधानी शिमला में Sealed/Restricted Roads हेतु गाड़ियों के परमिट जारी न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो देश भर से आने वाले पर्यटकों ,हिमाचल प्रदेश की जनता और विशेष रूप से शिमला में रहने वाले लोगों से

संबंधित है। अंग्रेज़ों के समय शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। उस समय तो कुछ राय बहादुर और राय साहब को छोड़ करके हिन्दुस्तान का कोई भी व्यक्ति माल रोड पर चल भी नहीं सकता था। उसके बाद शिमला में रिक्शा का प्रचलन हुआ। वे रिक्शा मानव चालित थे और जैसे-जैसे विकास होता गया वैसे-वैसे गाड़ियां आती गईं और आज स्थिति यह है कि अगर कहीं पर भी जाना हो तो उसके लिए गाड़ियों का प्रयोग करना पड़ता है। शिमला एक ऐसा स्टेशन है जहां पर कुछ ऐसे स्थान हैं जिन पर गाड़ियां चल सकती हैं। लेकिन पर्यटन स्थल होने के कारण शिमला का अपना अलग अस्तित्व है उसके कारण वहां पर (माल रोड) गाड़ियां नहीं चलाई जाती थीं। पहले केवल मात्र एग्जैक्टिव इंस्ट्रक्शन्ज़ थीं, जिसके कारण माल रोड, लोअर बाज़ार इत्यादि में गाड़ियां पब्लिक यूटिलिटी व्हीकल्ज़ को छोड़कर नहीं चल सकती थीं। प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया, वाइस-प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम-मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल गवर्नर को छोड़ करके गाड़ियां माल रोड पर नहीं चला करती थीं। एक ऐसा भी समय आया था जब हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय के उस समय के मुख्य न्यायाधीश ने वे एग्जैक्टिव इंस्ट्रक्शन्ज़ भी खत्म कर दी थीं कि ये गलत हैं। उसके बावजूद भी शिमला की जनता माल रोड पर

03.12.2015/1210/SS-AG/2

कोर/सील्ड एरिया में कभी कोई व्हीकल बिना रेस्ट्रिक्शन के भी नहीं ले गई क्योंकि शिमला की जनता उस स्थान पर गाड़ियां अबाध रूप से चलाने के हक में नहीं है। उसके बाद एग्जैक्टिव इंस्ट्रक्शन्ज़ से ही सील्ड और रेस्ट्रिक्टिड रोड चलते रहे। फिर 2007 में जो वर्तमान मुख्य मंत्री हैं उनके नेतृत्व में सरकार थी तो एक कानून बनाया गया i.e. "Shimla Roads Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007. इसमें 2008और 2009 में अमैंडमैंट भी की गईं। उसमें जो कमियां थीं, उनको पूरा किया गया।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

माननीय उच्च न्यायालय में बहुत सारी पब्लिक इंट्रस्ट लिटिगेशन फाइल हो जाती हैं तो उसमें उससे बहुत सारी और रेस्ट्रिक्शन्ज़, जोकि ऐक्ट में नहीं हैं, न्यायालय द्वारा लगा दी जाती हैं। अब एक उसमें रेस्ट्रिक्शन कर दी गई है कि जिसके पास गाड़ी पार्क करने के लिए स्थान होगा उसको ही परमिट मिलेगा। अब शिमला में जाखू में गाड़ी चलती नहीं है और कहीं नीचे ही रखनी पड़ती है। इसी प्रकार कृष्णानगर में गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी ऊपर रखनी पड़ती है। लोअर बाज़ार और माल रोड पर गाड़ियां ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर पार्किंग का स्थान है नहीं और शिमला के जो बड़े-बड़े

टेक्सपेयर्ज़ हैं जिनके कारण उच्च न्यायालय, विधान सभा और सरकार चलती है उन टैक्सपेयर्ज़ के वहां पर दफ्तर हैं या एस्टैब्लिशमैंटस हैं उनको अगर गाड़ियों में आना होता है तो उनको परमिट नहीं मिलते हैं। यह सारी स्थिति पार्किंग की वजह से हुई है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन्ज़ कर दीं..

जारी श्रीमती के0एस0

03.12.2015/1215/केएस/एजी/1
श्री सुरेश भारद्वाज जारी---
उसके लिए इंस्ट्रक्शन्ज़ कर दी। पुलिस वाला जाता है, वह पूछेगा कि आपकी पार्किंग कहां है? लोग कहेंगें कि यह पब्लिक पार्किंग है इसको हम यूज़ करते हैं तो पुलिस वाला कह देगा कि नहीं, आप अपनी पार्किंग दिखाओ। अब जहां जाखू में गाड़िया ही नहीं जा सकती वहां पर अपनी पार्किंग कहां से मिलेगी? न तो इस प्रकार का प्रोविज़न पहले किसी कानून में किया गया था। फिर शिमला में ही एक और रीस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। जब गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शिमला में होगी ही नहीं अगर कोई पार्किंग नहीं दिखाएगा जैसे कोई अगर कृष्णा नगर, लोअर बाज़ार, राम बाज़ार ,मिडिल बाज़ार, जाखू में रहता है या संजौली में जैसे एक ही सड़क है, दोनों तरफ वहां बस्ती है और सभी के पास गाड़िया है। वहां उनके घरों तक यदि गाड़ी जाने के लिए रोड़ नहीं है तो वह अपनी पार्किंग कहां से दिखाएंगें ?उनकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकती। हिन्दुस्तान में कहीं भी अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवा लो, उसको शिमला में चला लो, यह तो हो सकता है लेकिन शिमला में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी । जो पैसा शिमला को, हिमाचल को मिलना चाहिए वह पैसा उसको नहीं मिलेगा। इस प्रकार की रीस्ट्रिक्शन्ज़ वहां पर लग जाती है ।

अध्यक्ष महोदय, एक्ट में यह प्रोविज़न किया गया है कि जो मैट्रोपोल होटल है, जिसमें विधायक सदन है, वहां पर नीचे कार्ट रोड़ है, ऊपर को मालरोड़ है। दोनों साईड से उस बिल्डिंग को एप्रोच करने के लिए वहां पर डायरैक्ट गाड़ी नहीं जा सकती। वहां पर हमारे बहुत सारे माननीय विधायक रहते हैं। एक्ट में प्रोविज़न है कि जो विधायक मैट्रोपोल में रहेंगें, शिमला क्लब से लेकर लिफ्ट तक कोर एरिया है लेकिन उसमें यह प्रोविज़न किया गया है कि जो विधायक मैट्रोपोल में रहते हैं उनको वहां तक गाड़ी ले जाने की परमिशन होगी। दूसरी तरफ सी.टी.ओ. तक सील्ड रोड़ है। बीच में स्टेट बैंक तक रिस्ट्रिक्टिड रोड़ कर दिया है। उसके आगे सी.टी.ओ. तक सील्ड रोड़

है, उसके लिए अलग-अलग लोगों को जैसे शिमला का विधायक, शिमला का एम.पी., शिमला का मेयर, इनके लिए अलग प्रोविज़न है बाकी

03.12.2015/1215/केएस/एजी/2

ऑफिसर्ज़ के लिए अलग प्रोविज़न है । पब्लिक युटिलिटी सर्विसिज़ के लिए अलग है। प्रोविज़न तो एक्ट में कर दिए गए हैं लेकिन उसके बाद फिर वहां पर एक ऑर्डर हो जाता है हालांकि हमको बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलने के लिए मज़बूर किया जा रहा है क्योंकि संविधान में न्यायपालिका ,एग्जैक्टिव और लैजिस्लेचर का एक बैलेंस बना कर रखा है। हमने अभी 26 नवम्बर को ही संविधान दिवस मनाया है। पार्लियामैंट में इस पर दो-तीन दिन तक लम्बी चौड़ी बहस हुई लेकिन संविधान का जिनको पालन करवाना है, इंटरप्रीटेशन करनी है, वे ही उस संविधान की वॉयलेशन कर रहे हैं और इसलिए कि एक जज की गाड़ी का चालान हो जाता है । गाड़ी का चालान हो गया, सुओ मोटो एक्शन लिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के चीफ सैक्रेटरी, होम सैक्रेटरी, डी.जी.पी. वहां पर बुलाए जाते हैं और सुओमोटो ही पी.आई.एल. रजिस्टर हो जाती है । पी.आई.एल. के अपने रूल्ज़ हैं । क्या एक हाई कोर्ट के जज की गाड़ी का यदि चालान हो जाता है तो वह पी.आई.एल. में आएगा? क्या वह पब्लिक इंट्रस्ट हो जाएगा? CWP No. 23 of 2015 जो है 21 तारीख को दर्ज कर दिया गया और पहले ही पैरे में लिखा है Court has taken judicial notice of the manner in which official vehicle of one of the Hon'ble Judges bearing registration No. HP-07B-0103 was challaned on 18.11.2015 and the official vehicle of another Hon'ble Judge bearing registration No. HP-07B-111 was stopped near Railway Board Building. उसके बाद बाकी चीजें इसमें लिखी है कि यह जो एक्ट बना है इसमें ये-ये प्रोविजन्ज़ हैं । एक जज की गाड़ी का जो चालान हुआ है उसके कारण जो कानून बनाया गया है, उसमें जो सील्ड रोड़, रिस्ट्रिक्टिड रोड़, कोर एरिया के परमिट इश्यू करने की पावर्ज़ हैं, वह सारी स्टॉप कर दी जाती है। डायरैक्शन्ज़ दे दी जाती है कि

a) The Chief Secretary is directed to ensure that no vehicle attached to the Hon'ble Judges is unnecessarily stopped or challaned.

03.12.2015/1215/केएस/एजी/3

b) No vehicle except the vehicle of His Excellency Governor of Himachal Pradesh. Hon'ble Chief Minister and Hon'ble Chief Justice and public utility

vehicles as provided under the Act shall ply between Shimla Club to Lift and between Railway Board Building to CTO.

c) Till further orders by this Court, the permits/passes issued to ply the vehicle between Shimla Club to Lift and between Railway Board Building to C.T.O. shall remain suspended.

d) Neither Additional District Magistrate nor Public Relation Officer, Shimla shall issue any permit to ply the vehicles either on sealed road or restricted road. The permits issued by these authorities shall not be valid till further orders by this Court.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

3.12.2015/1220/av/as/1
श्री सुरेश भारद्वाज ----------जारी

Vidhan Sabha Secretary issues the passes of the Sealed and Restricted Roads to the MLAs. Vidhan Sabha Secretary is not the party in the Hon'ble High Court, but all passes or permits issued by the competent authority, those stand suspended. Neither Additional District Magistrate nor Public Relation Officer, Shimla shall issue any permit to ply the vehicle either on Sealed Road or Restricted Road. The permits issued by these authorities shall not be valid till further orders by this Court. इसमें डायरैक्शन्ज साथ में दी है। उसके बाद 26 तारीख को नया ऑर्डर आया और उसमें कुछ चीजें कम कर दी। 27 तारीख को फर्दर ऑर्डर किया, उनको शायद किसी ने समझाया होगा, बताया होगा। To my knowledge the Chief Justice of India has taken cognizance of that on the report of some newspaper. उसके आधार पर नई डायरैक्शन्ज कर दी हैं जिसमें the Police machinery of the State is also directed to ensure that there is no idle parking on the roads in the territorial jurisdiction of MC, Shimla. इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन्ज हैं जिसमें से कुछ लगाई है और कुछ हटाई है। लेकिन सील्ड रोड्ज और रिस्ट्रिक्टिड रोड्ज के लिए जिनको परमिट जारी हुए हैं वे सस्पैंड रहेंगे। उसमें यह भी है कि शिमला क्लब से मैट्रोपोल (विधायक सदन) तक विधायकों की गाड़ियां जा सकती हैं मगर वहां पर खड़ी नहीं हो सकती। अब विधायक लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कहां करेंगे? वहां माननीय विधायक बी.के.चौहान चम्बा से आकर रहते हैं तो फिर वहां उतरने के बाद अपनी गाड़ी चम्बा भेज दिया करें। इसी तरह से हंस राज जी चुराह से

आते हैं, ये अपनी गाड़ी कहां रखेंगे? साथ में, ऑर्डर में यह भी डायरैक्शन्ज दी गई हैं कि शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कहीं भी आइडल पार्किंग न हो। इतना ही नहीं, शिमला में गवर्नर हाउस के ऊपर राम चन्द्रा चौक है वहां एक साइड को गाड़ियां खड़ी भी होती थी।

3.12.2015/1220/av/as/2

One of the Hon'ble Judges resides on that road. वहां इम्प्लॉइज भी रहते हैं। वहां इम्प्लॉइज को सरकारी मकान मिले हुए हैं। वहां उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आज तो क्लास-IV इम्प्लॉई भी गाड़ी रखता है। उसको वहां गाड़ी रखने के लिए स्थान नहीं है। वहां पर यह इनश्योर किया जाता है कि one DSP is permanently posted there जो उनको यह बताए कि आज कौन सी गाड़ी का चलान किया है और कौन सी का नहीं किया। ऐसी स्टेटमैंट्स आती हैं , not on the judicial side, बाहर स्टेटमैंट देते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश की ट्रैफिक को दो महीने में ठीक कर देंगे और उसके लिए हमने सात मैजिस्ट्रेट मांगे हुए हैं। क्या प्रदेश सरकार को अब केवलमात्र न्यायालय चलायेंगे? सड़क बनानी है तो न्यायालय करेगा, स्वच्छता का अभियान चलाना है तो न्यायालय करेगा, कोई पेड़ कट रहे हैं तो न्यायालय करेगा। गाड़ियां चलानी हैं, ट्रैफिक चलाना है; मतलब सरकारें सारी पंगु हो गई है। लेजिस्लेचर का कोई मतलब नहीं है। मैंने परसों भी रैफरैंस दिया था कि विधान सभा कमेटी में एक ऑफिसर आ रहे थे। Without naming the name of the officer उनको रास्ते से हाई कोर्ट ने बुला दिया। उन्होंने कहा कि मैं विधान सभा कमेटी के सामने ऐविडैंस देने के लिए जा रहा हूं। इस पर उनको हाई कोर्ट से यह कमैंट होता है कि "What Vidhan Sabha"? क्या आज विधान सभा की इतनी ही सैंक्टिटी रह गई है? लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाना है हाई कोर्ट तो उस पर इन्टरप्रिटेशन करेगा। अगर इम्पलीमैंटेशन ठीक नहीं हो रही है तो उसको ठीक से इम्पलीमैंट करवायेगा। अगर हम कंस्टिच्युशन के विरुद्ध कानून बनाते हैं तो उसको अनकंस्टिच्युशनल डिक्लेयर करेगा तब तो वह कानून गलत होगा। जब कानून सही है तो उस कानून के अनुसार पालन करवाना यह हमारी तीनों विंग्ज का काम है--------

श्री वर्मा द्वारा जारी

03/12/2015/1225/टी0सी0/ए0एस0/1

श्री सुरेश भारद्वाज -----जारी

तो उस कानून का पालन करवाना ये हमारे तीनों विंग्ज; ऐग्जैक्टिव, लेजिस्लेचर और न्यायपालिका का काम है। इस तरह से विधायिका को नीचे दिखाने का काम हो रहा है। यह जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों और प्रजातंत्र को जिसे भारत के संविधान में स्वीकार किया है यदि उस प्रजातंत्र के अन्दर जो विंग्ज बने हैं वही इस प्रकार से प्रजातंत्र की धज्जियां उठाना शुरू कर देंगे तो यह देश का लोकतंत्र और देश कैसे चलेगा ?मैं इस ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। स्टेट

बैंक ऑफ इण्डिया से सी0टी0ओ0 तक जो सील्ड रोड है उसमें एक्ट के अनुसार विधान सभा सक्रेटरी या होम सक्रेटरी ने परमिट जारी किए हुए होते हैं। लेकिन अब उन परमिट को कैंसल कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है क्योंकि जज की गाड़ी का चालान हो गया तो सब कुछ गलत हो गया। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। शिमला में इन जगह पर जिन लोगों ने मकान बनाये हुए है और वहां वह पार्किंग दिखा नहीं सकते । लेकिन यदि उन लोगों को सी0टी0ओ0 तक जाना है या दूसरी तरफ शिमला कल्ब तक जाना हो तो न ही उनको रिस्ट्रिक्टिड और न ही सील्ड रोड का परमिट दिया जाता है। मैंने इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से भी लिखित रूप में आग्रह किया था कि यदि इसके लिए हमें कानून में भी संशोधन करना पड़े तो कानून में भी संशोधन कर लेना चाहिए। ताकि जो आम जनता है, सिनियर सिटीजन है और जो बीमार है उनको आने-जाने के लिए हम परमिट का इंतजार कर सकें। शिमला की जनता माल रोड पर वाहन अवैध गति से चलाने के लिए कभी परमिट नहीं मांगती है। जैसाकि मैंने शुरू में कहा था कि जब कोई कानून नहीं था तब भी कोई अवैध रूप से गाड़ी माल रोड पर नहीं ले जाता था। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता था। मैं समझता हूँ कि इस पर सरकार ध्यान देगी और यदि कानून में कोई संशोधन करना है तो उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। यदि आपको हायर कोर्ट में जाना है तो सरकारी मशीनरी को कहे कि वह उस आर्डर के खिलाफ हायर कोर्ट में जाएं। अगर कोई और उसके लिए मार्ग अपनाना है तो उसे

अपनाया जाये। जिसके लिए आपको सारी विधायिका को साथ लेना चाहिए। आप सदन के नेता है, सारी विधायिका आपके साथ हैं। सरकार को इस पर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि आम जनता को चुने हुए विधायकों को और वरिष्ठ नागरिकों को और जो टैक्स पेयर हैं उनको प्रोपर सहूलियत मिल सकें। मैं इसी बात की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष: अब माननीय मुख्य मंत्री चर्चा का जवाब देंगे।

मुख्य मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक शिमला के निर्वाचित विधायक है। उन्होंने एक बहुत गम्भीर समस्या की तरफ माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

मेरे पास इनका लिखित बयान है और अपनी चर्चा में इन्होंने ज्यादातर वही दोहराया है जो हम सब जानते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाये। जो बातें आपने कही हैं वही बातें बयान में भी दर्ज की गई हैं। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन हो गया है यह होना नहीं चाहिए था। लेकिन हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि शिमला का जो कोर सैक्टर है, वहां की जो संस्कृति है ,वहां विधायक रहते हैं, अधिकारी रहे हैं, जनता रहती है, उनकी सुख-सुविधाओं का भी हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो बात माननीय विधायक ने कही है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर हाइकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वह गम्भीरता के साथ नहीं दिए हैं बल्कि जल्दबाज़ी में दिए गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। यह सारा मसला सरकार द्वारा हाइकोर्ट के अन्दर पेश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हाइकोर्ट ही अपने पहले आर्डर को ठीक से रेक्टिफाई करके इसका समाधान निकाले।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी ---।

03.12.2015/1230/NS/AS/1

मुख्य मंत्री द्वारा जारी.....

इस सारे मसले को सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उच्च न्यायालय ही अपने पहले आदेश को ठीक से रेक्टिफाई करके इस स्थिति का समाधान निकाले। अगर आवश्यकता हो तो Government can also think of legislating the matter. अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो और कोई समाधान नहीं निकले तब आज तक जो परंपरा रही है, जो चल रहा है उसको कायम रखने के लिए Government can also think of bringing a legislation before the House. मुझे उम्मीद है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और बातचीत के द्वारा समाधान हो जाएगा।

उपाध्यक्ष: श्री सुरेश भारद्वाज जी।

श्री सुरेश भारद्वाज :यह सारी चीजें माननयी मुख्य मंत्री जी के ध्यान में हैं ,मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि उच्च न्यायाल के ऑर्डर हमारे वहां रिव्यू में या प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के सामने पेश करती है। अगर उसमें एडवर्स ऑर्डर या ऑर्डर ठीक से नहीं सुना जाता है, तो क्या इस विषय में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार करेगी?

Chief Minister: In that case, all the options will be open to us.

———

03.12.2015/1230/NS/AS/2

गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

उपाध्यक्ष: आज गैर सरकारी सदस्य कार्यदिवस है ,सर्वप्रथम इस विषय पर श्री महेन्द्र सिंह जी द्वारा इस संकल्प पर आगे चर्चा होगी।

श्री महेन्द्र सिंह**:** पिछले सत्र में नियम 101 के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण विषय जो पूरे हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इस विषय को वैसे तो मैंने उस दिन ही विधान सभा के अंदर प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन आज फिर से फाइल के ऊपर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से पिछले सत्र में प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियां, भूमि जो केन्द्रीय व प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के निर्माण को दी जा चुकी है और बंजर पड़ी है, उसे प्रदेश सरकार वापिस ले। उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के अन्दर जो मेरी सूचना है, उसके मुताबिक लगभग 262 ट्रस्ट जो हैं, वे 5.12.2014 तक पंजीकृत हुए हैं। पंजीकृत ट्रस्टों में से कुछ ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत हुए हैं और कुछ ट्रस्ट ऐसे हैं जिनका पंजीकरण बाहरी राज्यों द्वारा हुआ है। इन ट्रस्टों के पास हिमाचल प्रदेश की बहुत ज्यादा भूमि कब्जे में है। जब भी कोई ट्रस्ट बनता है तो उसके बाई-लॉज बनते
हैं। मैं सरकार का ध्यान उन बाई-लॉज की तरफ लाना चाहता हूं कि ऐसे ट्रस्ट जो इस प्रदेश के अंदर जिनके पास थोड़ी-थोड़ी भूमि है, उनका नाम न लेकर के और ऐसे ट्रस्ट जिनके पास सैकड़ों बीघा भमि है, जिसको उन्होंने अपने नाम करवा दिया है। जिसमें से माता कौश्लया देवी, चैरिटेबल ट्रस्ट, कैथल रोड़ पटियाला, जिन्होंने कुल्लू में लगभग 200 बीघा जमीन अपने नाम करवाई है। जो जमीन वहां ली गई थी वह कॉलेज चलाने के लिए ली गई थी। जब पिछली बार समिति कुल्लू गई थी तो समिति के माध्यम से हमने जिला अधिकारियों से जानना चाहा था कि

श्री नेगी द्वारा ----जारी।

03.12.2015/1235/negi/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह .. जारी...

जिलाधिकारियों से जानना चाहा था कि क्या इसपर कालेज चालू हो चुका है? उन्होंने कहा कि इसपर अभी तक कोई कॉलेज़ चालू नही हुआ है । दूसरा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अन्दर हमारे पास सरकारी कालेज़िज भी हैं और सरकारी कालेज को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 बीघे भूमि की आवश्यकता पड़ती है । लेकिन अगर 200-200 बीघा भूमि एक कालेज के लिए चाहिए और वह भी एक ट्रस्ट के लिए तो आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मन्शा क्या होगी?

इसी प्रकार से मण्डी जिला के अन्दर प्रो0 के.एल.शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास 30 बीघा, 13 बिस्वा 11 बिस्वांसी भूमि है। शिमला जिला में अलग-अलग ट्रस्टों के पास भीमाकाली जी व अन्य मन्दिर समूह ट्रस्ट पंजीकृत रामपुर के पास 1300 बीघा ज़मीन है। बिजट महाराज सराहन के पास 132 बीघा ज़मीन है। सिरमौर जिला में कलगीधार ट्रस्ट बड़ूसाहिब के पास 703 बीघा 10 बिस्वा ज़मीन है । सोलन में गुरमत प्रचार ट्रस्ट के पास 22 बीघा 7 बिस्वा ज़मीन है। चिटकारा ट्रस्ट के पास 54 बीघा 16 बिस्वा ज़मीन है। महर्षि मारकण्डेय युनिवर्सिटी ट्रस्ट के पास 107 बीघा ज़मीन है। ऊना में मेहता चैरिटेबल प्रगनालय ट्रस्ट के पास लगभग 200 बीघा ज़मीन है। इसके अलावा शिमला जिला में मशोबरा स्थित महारावल खेवाजी ट्रस्ट के पास 273 बीघा ज़मीन है और यहां दान में मिली राधा स्वामी ट्रस्ट के पास भी सैंकड़ों बीघा ज़मीन है। इन सभी ट्रस्टों के पास जो ज़मीनें हैं वो लगभग 5 हजार बीघा ज़मीन है। ये वे ट्रस्ट हैं जिन ट्रस्टों की ज़मीन हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व रिकार्ड में इंगित हैं। लेकिन 115 ऐसे ट्रस्ट हैं जिनके पास ज़मीनें हैं परन्तु जब हमने हिमाचल प्रदेश सरकार से जानना चाहा कि आप बताएं कि इन 115 ट्रस्टों के पास कितनी ज़मीनें है तो कहा गया कि उनके पास ज़मीनें तो हैं लेकिन हमारे पास उनका राजस्व रिकार्ड नही है । जब भी कोई ट्रस्ट बनता है तो उस ट्रस्ट को बनने के बाद उनके नाम पर ज़मीन हस्तांतरण होता है और ज़मीन के हस्तांतरण होने से पहले धारा-118 की स्वीकृति लेनी पड़ती है । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं और विशेष

03.12.2015/1235/negi/AS/2

करके सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये 5हजार बीघे ज़मीन जो हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के रिकार्ड में है क्या इन सभी ने धारा-118 के तहत परमिशन ली हुई है ? दूसरा, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि 115 ट्रस्ट ऐसे हैं जिनके पास ज़मीनें हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के पास उनका कोई रिकार्ड नहीं है । क्या प्रदेश सरकार उसकी छानबीन करेगी ? यह तो मेरी इंफोर्मेशन है, इसके अलावा भी मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश के अन्दर हैं जिन ट्रस्टों

ने बहुत ज्यादा ज़मीनें अपने विभिन्न कार्यों के लिए ली हुई हैं और उनकी जो बाईलॉज हैं, जिस परपज से और जिस उद्देश्य से उन्होंने ज़मीनें ली थी लेकिन उस परपज को वे फुलफिल नहीं करते हैं। कितनी बार सरकार ने उनकी मॉनिटरिंग की है ताकि हिमाचल प्रदेश में, जैसे आज भी एक प्रश्न लगा हुआ था कि हमारे जो गरीब लोग हैं जिनके पास 2-2 बिस्वा, 4-4 बिस्वा, 6-6 बिस्वा, 8-8 बिस्वा या एक-एक बीघा ज़मीन हैं, उनके खिलाफ इन्क्रोचमैन्ट के केसिज़ बने हैं और उनके बिजली के कनैक्शन काटे जा रहे हैं, उनके पानी के कनैक्शन काटे जा रहे हैं, उनके बगीचे काटे जा रहे हैं और उनके कब्ज़े हटाये जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने हजारों बीघा ज़मीन आज हिमाचल प्रदेश के अन्दर गैर कानूनी तरीके से हथयाई हुई है उनके जो बाईलॉज़ हैं उसको वे फौलो नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर समस्या है, इसमें गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है और इस चिन्तन को लेकर सरकार आगे बढ़े। इसी प्रकार से मैं सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के अन्दर हमारे जितने भी हमारे रिवर...

श्री शर्मा जी द्वारा जारी...

03.12.2015/1240/SLS-AG-1

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

उन रीवर बेसिन के ऊपर जितने भी हाईडल प्रोजैक्ट्स के काम हुए हैं ,उन प्रोजैक्ट्स के लिए आज तक जितनी-जितनी ज़मीनें दी गई हैं उन ज़मीनों का दोबारा से निरीक्षण करने की आवश्यकता है। नाथपा झाकड़ी पॉवर कार्पोरेशन का प्रोजैक्ट जो सतलुज नदी के ऊपर बना है ,उसे बने कई साल हो चुके हैं। उसके लिए कितनी ज़मीन दी गई थी? अब हमारा प्रोजैक्ट चालू हो चुका है। सतलुज बेसिन के ऊपर ही जो कड़छम-बांगतू प्रोजैक्ट 1000 मैगावाट का बना है ,वह प्रोजैक्ट उपाध्यक्ष महोदय, आपके चुनाव क्षेत्र में पड़ता है जो अब चालू हो चुका है। रामपुर का पॉवर प्रोजैक्ट भी अब तैयार हो चुका है। कोल डैम प्रोजैक्ट भी अब चालू होने को तैयार है। इसके अलावा जितने भी पॉवर प्रोजैक्ट्स सतलुज बेसिन पर बने हैं और जो ब्यास बेसिन पर पॉवर प्रोजैक्ट्स हैं चाहे एलाईन दुहांगन हो, चाहे

पार्वती-1, पार्वती-2 या पार्वती-3 हो, सैंज प्रोजैक्ट हो या दूसरे बनने वाले प्रोजैक्ट्स हों, उनके लिए हमारी सरकार ने ज़मीनें लीज आऊट की हैं। मैं प्रदेश सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। रावी बेसिन के ऊपर भी चमेरा-1, चमेरा-2 और चमेरा-3, हडसर प्रोजैक्ट और दूसरे भी जितने प्रोजैक्ट बने हैं उनके लिए भी कितनी-कितनी ज़मीन लीज पर दी गई थीं, उसका निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। हमने हाऊस कमेटी के तौर पर हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था। हमने महसूस किया कि जिस परपज के लिए जितनी ज़मीनें उन पॉवर प्रोजैक्ट्स के लिए चाहिए थीं उन्होंने उससे कहीं ज्यादा ज़मीनें कब्जे में ले रखी हैं। उदाहरण के तौर पर, मनाली में एलाईन दुहांगन 192मैगावाट का प्रोजैक्ट है। उस प्रोजैक्ट के लिए ज़मीन की कितनी आवश्यकता थी। वह प्रोजैक्ट चालू हो चुका है। अब एलाईन दुहांगन प्रोजैक्ट के मालिक उन ज़मीनों के ऊपर होटल बना रहे हैं और सेव के बगीचे लगा रहे हैं। कडछम बांगतू प्रोजैक्ट का हमने निरीक्षण किया था। वहां पर जे०पी० वालों ने बगीचे लगाने शुरू कर दिए हैं जबकि ट्राईबल एरिया में कोई भी बाहर का व्यक्ति ज़मीन नहीं ले सकता है। यह चिंता का

विषय है। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार ने हाईडल प्रोजैक्ट्स के लिए जितनी ज़मीनें दी हैं, उनका निरीक्षण किया जाए। कोल डैम प्रोजैक्ट है, पौंग डैम प्रोजैक्ट है ,बी.बी.एम.बी. है ,भाखड़ा बांध प्रोजैक्ट है, इनको जितनी-जितनी ज़मीनों की आवश्यकता थी ज़मीनें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने दे दी लेकिन आज वह सारी-की-सारी ज़मीनें दूसरे परपज के लिए प्रयोग हो रही हैं। अगर आप पण्डोह में देखें, वहां कालोनी बनी हुई थी जो धराशाई हो रही है। उसके बाद अगर सुन्दरनगर की कालोनी को देखें तो वह भी गिर रही है। लेकिन इस ज़मीन पर कब्जा बी.बी.एम.बी. का है। सलापड़ में बनी कालोनी में भी 50 मकानों में से केवल 5 मकानों में ही लोग रह रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस परपज के लिए वह ज़मीन दी गई थी ,चाहे ट्रस्टों के लिए थी या हाईडल प्रोजैक्ट के लिए थी ,अगर वह ज़मीनें उनके यूटिलाईजेशन से बाहर हो चुकी हैं ,बंजर पड़ी हुई हैं; जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए, वह गिर रहे हैं , वहां अवैध कब्जे हो रहे हैं या वहां पर कमर्शियल हब्ज बनने जा रहे हैं तो उन ज़मीनों को वापिस लिया जाए। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान-बागवान ने अपनी उपजाऊ भूमि इन नेशनल प्रोजैक्ट्स के लिए दी है क्योंकि हम नेशनल प्रोजैक्ट्स के लिए बाधा नहीं बनना चाहते। लेकिन साथ में हम इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नेशनल प्रोजैक्ट्स बनने के बाद जो ज़मीन उनके प्रयोग से बाहर हो जाए ,वह ज़मीन दोबारा से हिमाचल प्रदेश सरकार को वापिस की जाए। मैं तो विशेष तौर पर यह चाहता हूं कि वह ज़मीन जिन ज़मींदारों से ली गई थी , कम-से-कम मार्किट वैल्यू पर वह दोबारा से उनको वापिस कर दी जाए तो वह उसे दोबारा एग्रीकल्चर परपज के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी दूसरी परियोजनाएं आ रही हैं; स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजैक्ट आ रहे हैं जिनके लिए ज़मीन की आवश्यकता है। शिमला में स्मार्ट सिटी के लिए ज़मीन नहीं मिलती है।

जारी ... श्री गर्ग जी

03/12/2015/1245/RG/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह------क्रमागत

मण्डी से सुन्दरनगर तक हमारी जितनी भी नहर बनी है उसका सारा किनारा बैरन पड़ा हुआ है। उस बैरन किनारे में 1902बीघा जमीन वैसे ही बैरन पड़ी हुई है। यदि वह जमीन बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स को दी जाती है ,तो उससे हमारे प्रदेश के बेराजगार नौजवानों का भी भला होगा और साथ में दूसरे प्रोजैक्ट्स भी वहां स्थापित किए जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश सरकार का इस ओर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चम्बा में एक चांजू-फर्स्ट विद्युत परियोजना है। उसके लिए 420बीघा जमीन दी गई है और 420 बीघा जमीन की एक साल की लीज 10,000/-रुपये प्रति बीघा के हिसाब से दे रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में अतिक्रमण के जो मामले बने हुए हैं ,मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम 420बीघा जमीन इन प्रोजैक्ट्स के मालिकों को भी लीज पर दे सकते हैं ,तो क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार इन छोटे-छोटे जमींदारों को 1-1, 2-2, 3-3, 4- 4या 5-5 बीघा जमीन लीज ऑऊट नहीं कर सकती? ये सारे मामले जो हमारे प्रदेश के जमींदारों के गले में फंसे हुए हैं इससे ये मामले हमारे भारमुक्त हो सकते हैं। साथ में इसी प्रकार से शिमला जिले में भी एक एम.एस. भवानी प्रोजैक्ट लिमिटेड को 6-10-2012 को स्वीकृति प्रदान की गई थी और 4-10- 2012को हिमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनाव के लिए कोड ऑफ कनडक्ट लग चुका था। मैं प्रदेश सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब4 अक्तूबर को प्रदेश में कोड ऑफ कन्डक्ट लग गया ,तो 6 तारीख को उसको कैसे काम अवार्ड कर दिया गया। मैं यह बात भी सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। दैनिक समाचार-पत्र 'अमर उजाला 'में दिनांक 19 सितम्बर, 2015 को समाचार छपा कि 'पुजारियों-कारदारियों ने हड़पी देवताओं की 90, 000बीघा जमीन। ' यह एक चिन्ता का विषय है और यह 90,000 बीघा जमीन केवल मात्र एक जिले कुल्लू की है। आज एक आवश्यकता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कितनी जमीनें होंगी जो देवताओं की हैं जिन खेतों की जमीनों को कारदारों और पुजारियों ने हड़पा हुआ है। यह एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। मैं सरकार से चाहता हूं वैसे इस प्रकार की जमीनों का संज्ञान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने लिया हुआ है। इसकी एक पेशी अभी पीछे लगी थी और अगली पेशी मेरे ख्याल से

03/12/2015/1245/RG/AG/2

दिसम्बर के महीने में लगी हुई है। इसी प्रकार पूरे हिमाचल प्रदेश में देवी-देवताओं के पास जितनी जमीनें हैं उसकी पूरी जांच की जाए, पूरी इनवेस्टीगेशन की जाए और इनवेस्टीगेशन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हमारे सामने आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी अवैध कब्जे के आरोपी हैं। तो इस हमाम में कोई साफ-सुथरा नहीं है। वक्फ-बोर्ड के चेयरमैन ने भी उसकी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। कब्रगाहों के ऊपर आशियाने बना दिए हैं। इस प्रकार से आज जो हिमाचल प्रदेश की जमीनें चाहे वे हाइडिल प्रोजैक्ट्स वालों के पास हैं ,चाहे वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने बड़े-बड़े ट्रस्ट बनाकर प्रदेश की भूमि पर कब्जा कर रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के कुछ विभागों के पास भी ऐसी जमीनें हैं। जैसे सेरीकल्चर डिपार्टमेंट है। सेरीकल्चर डिपार्टमेंट के पास प्रदेश में , मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास यह विभाग होगा ,मंत्री जी सेरीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो शहतूत के लिए बड़े-बड़े फॉर्म लिए हुए हैं उनमें शहतूत नहीं हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। उनसे उन जमीनों को वापस लीजिए। दूसरा, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि शीप ब्रीड ब्रीडिंग फॉर्म जो कुल्लू में है ,ज्यूरी में है ,पाल में है, चंबा में है और अन्य जगहों में है जो केन्द्र सरकार ने हमारे प्रदेश के एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया हुआ है ,लेकिन वहां भेड़ू प्रजनन फॉर्म मुझे नहीं दिखाई देता कि वहां ऐसे भेड़ू हैं कि वहां प्रजनन है या नहीं। मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी ऐसी जमीनें जो हिमाचल प्रदेश में हैं उनको हम देखें। वे हमारी सम्पत्ति हैं, प्रदेश की धरोहर है-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

03/12/2015/1250/MS/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी---------

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी ऐसी ज़मीनें और धरोहरें जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, हम उनको देखें क्योंकि ये हमारे हिमाचल प्रदेश की धरोहर हैं। जब हम अपनी धरोहर को सम्भाल नहीं सकते हैं तो हम किस मुंह से हिमाचल प्रदेश की जनता को जवाब दें।

इसी तरह से इण्डस्ट्रियल प्लॉट्स की बात है। मेरा इसी सत्र में इस बारे में प्रश्न लगा था और मैंने जानना चाहा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने ऐसे इण्डस्ट्रियल प्लॉट्स हैं जिन इण्डस्ट्रियल प्लॉट्स को हमने इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को अलॉट किया हुआ है। जिन इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को इन प्लॉट्स को अलॉट किया हुआ है उन्होंने उसमें नाममात्र की इण्डस्ट्री लगाई हुई है। उन्होंने जो पैकेज़ से फायदा लेना था वह ले लिया और जब पैकेज़ खत्म हुआ तो वे इण्डस्ट्रियलिस्ट्स यहां से भागकर चले गए हैं। ऐसे बहुत ज्यादा प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए लिए गए लेकिन अब वहां पर इण्डस्ट्रीज न होकर वे कमर्शियल और रैजीडेंशियल बन चुके हैं। माननीय मंत्री जी मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि इण्डस्ट्री डिपार्टमैंट इस विषय पर विशेष ध्यान दें कि ऐसे कितने प्लॉट्स हैं जिनको जिस परपज के लिए दिया गया था ,उनमें वे गतिविधियां नहीं चल रही हैं। ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने प्लॉट तो सवा सौ बीघे का ले लिया लेकिन वहां पर उस इण्डस्ट्री के युटिलाइजेशन के लिए 20 बीघे यूज हुआ और 105बीघे पर उन्होंने दूसरी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि बडे-बड़े होटल उन इण्डस्ट्रियलिस्ट्स ने उन इण्डस्ट्रियल प्लॉट्स पर बनाए हुए हैं। इस तरफ भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि कम-से -कम उन ज़मीनों को वापिस लिया जा सके और वापिस लेकर हम उन ज़मीनदारों को उन्हें वापिस करें और हिमाचल प्रदेश के राजस्व रिकॉर्ड में वह वापिस हो जाएं ताकि उन पर दूसरी गतिविधियां शुरू कर सकें।

हिमाचल प्रदेश के अंदर भारत सरकार के पोटेटो फार्म्ज हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभागों और उपक्रमों के नाम पर हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिन पर आज तक कोई भी गतिविधियां नहीं हो रही हैं। अगर वहां पर

03/12/2015/1250/MS/AS/2

कोई गतिविधियां नहीं हो रही हैं तो यह आवश्यक है कि उन ज़मीनों का कम -से-कम हमारे पास एक खाका तो तैयार हो जाए कि भारत सरकार को हमने कितनी ज़मीनें दी हुई हैं और उस पर गतिविधियां कोई नहीं हैं। कितनी ऐसी जमीनें हाइडल प्रोजैक्ट्स के लिए दी हुई हैं जिन पर गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं और वे ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। कितनी ऐसी ज़मीनें है जो ट्रस्टों ने ली हुई हैं। जो ट्रस्टों ने ज़मीनें ली हुई हैं उनका राजस्व रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए लेकिन हमें वही पता नहीं है कि हमारी कितनी ज़मीनें ट्रस्टों के पास हैं।

इसी प्रकार से मैं सरकार का ध्यान हमारे लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह ,परिधि गृह या इस विभाग की दूसरी जगह ऐसी ज़मीनें जोकि बहुत ही प्रीमियम स्थान पर हैं, की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारा मनाली का जो सर्किट हाउस है उसके

पास काफी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। इसलिए जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है वहां पर लोक निर्माण विभाग कोई गतिविधि करे और अगर वह कोई गतिविधि नहीं कर सकता है तो उस ज़मीन को हिमाचल प्रदेश सरकार दूसरे युटिलाइजेशन में लाए ताकि वहां से हिमाचल प्रदेश को कोई राजस्व मिले। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हजारों में नहीं 90- 90हजार बीघा ज़मीन अगर एक-एक जिले के अंदर ऐसी पाई गई है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी ऐसी जमीनें होंगी और फिर तो लाखों में आंकड़ा जाएगा। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारी ऐसी सम्पत्तियां, जमीनें, जागीरें और धरोहर हैं उनके ऊपर प्रदेश सरकार एक स्पैशल इन्वैस्टिगेशन टीम बना करके पूरा राजस्व रिकॉर्ड के दायरे में लाएं और राजस्व रिकॉर्ड के दायरे में लाने के उपरान्त हिमाचल प्रदेश के अंदर फिर हम उन सम्पत्तियों को जो हमारे गरीब किसान हैं, हमारे लैण्डलैस लोग हैं जिनके पास अब ज़मीनें नहीं रहीं ,उन्हें दे सकते हैं। पौंग डैम ,कौल डैम और भाखड़ा बांध में लोगों की ज़मीनें चली गई हैं। जहां-जहां पर भी हमारे बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स लग रहे हैं वहां पर हमारे लोगों की ज़मीनें चली गई हैं और बहुत से लोग भूमिहीन हो चुके हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के अंदर एक एलॉटेबल पूल बनाया जाए और उसको बनाने के साथ-साथ उन

03/12/2015/1250/MS/AS/3

लोगों को जो भूमिहीन हो रहे हैं, उस एलॉटेबल पूल से उनको ज़मीनें दे सकें। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी जिसको मैंने नियम 101 के अंतर्गत लाया है। मैं चाहूंगा कि इस पर वर्तमान सरकार पूरा ध्यान केन्द्रित करे और पूरा ध्यान केन्द्रित करके पूरा एक प्रोजैक्ट बनाए और एक एस0आई0टी0 बनाए और एस0आई0टी0 बनाने के उपरान्त पूरा तथ्य इस विधान सभा के पटल पर रखा जाए ताकि प्रदेश की जनता, नागरिक और विधायकों को मालूम हो कि हमारे पास ऐसी कितनी सम्पत्तियां हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जयहिन्द।

अगले वक्ता श्री जे0के0 द्वारा-----

3.12.2015/1255/**जेके/एएस**/1

उपाध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महेन्द्र सिंह जी ने बजट सत्र के दौरान यह गैर सरकारी संकल्प हाऊस में प्रस्तुत किया था। उपाध्यक्ष महोदय, इनका जो मूल संकल्प है जिसको इन्होंने हाऊस में रखा था उस पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। इन्होंने जो यहां पर अपना वक्तव्य दिया वह इससे भिन्न है। यहां इनके स्पष्ट शब्दों

में है कि प्रदेश की बहुमूल्य सम्पत्तियों और भूमि जो केन्द्रीय एवं प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के लिए है ,वह ट्रस्ट में, मंदिरों में, देवताओं में और अन्य चीजों में चली गई। मैं उसमें नहीं जाना चाहती। जहां तक देवताओं की ज़मीन का प्रश्न है, वह कुल्लू में है, चम्बा में है, शिमला में है और चाहे जहां पर भी हैं वह according to land settlement है। देवता जो है वे माईनर हैं और माईनर की भूमि अधिग्रहण नहीं की जाती। It is just for your knowledge. देवताओं की ज़मीन के साथ छेड़छाड़ करने का मकसद न आपका है और न ही हमारा है। जहां तक आपका संकल्प है वह इतना सा था कि केन्द्रीय योजनाओं के लिए और प्रदेश की योजनाओं के लिए जो ज़मीनें दी गई है वह बेकार पड़ी है ,उसको सरकार वापिस ले। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से हम सभी सहमत हैं। आपके जिले में भी और हमारे जिले में भी, मण्डी में भी और अन्य जगहों पर खास करके एन0एच0पी0सी0, एन0टी0पी0सी0 और एन0जे0पी0सी0 जो कि केन्द्र के पब्लिक अंडरटेकिंग है, उन्होंने परियोजनाएं बनाई हैं। मैं यहां पर केवल चम्बा जिला की बात करूंगी बाकी बातें यहां पर कर दी है। बार-बार एक ही बात करने का औचित्य नहीं है।

पाध्यक्ष महोदय, चम्बा जिले में एन0एच0पी0सी0 के चार प्रोजैक्ट्स हैं। बेरास्यूल प्रोजैक्ट जो कि 1960 में बना। चमेरा-I,चमेरा-II औरा चमेरा-III बेतहाशा ज़मीन उनके नाम से ट्रांसफर की गई। कुछ का उन्होंने पैसा दिया और कुछ का पैसा भी नहीं दिया। कुछ किसानों से कम्पल्सरी एक्विजीशन हुई। कुछ सरकार की ज़मीन है। कुछ में उनकी बिल्डिंग्ज हैं। उनमें कब्ज़ा ही माना जाएगा और स्ट्रिक्ट सैंस में वह अवैध कब्ज़ा है। क्योंकि वह ज़मीन हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम है और बिल्डिंग

3.12.2015/1255/जेके/एएस/2

उस पर बनाई है। जो ज़मीन उनके नाम है वह खाली पड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय दौरे पर आए थे। हमने उनसे यह बात उठाई। हिमाचल प्रदेश में जो 1952 का नोटिफिकेशन है उसके तहत आप अच्छी तरह से जानते हैं कि all land is forest land. अलॉटेबल पूल में बहुत कम जमीन है जो रेवन्यू के पास बची है। ये जो ज़मीनें एन0जे0पी0सी0, एन0टी0पी0सी0 और अन्य परियोजनाओं को दी है तथा बेकार पड़ी है वह प्राईम लैंड हैं along the National Highways. ये प्राईम लैंड है। Along the National Highways and along the State Highways. इन ज़मीनों को अगर हिमाचल सरकार वापिस लेती है तो हमारे पास अलॉटेबल पूल में हॉस्पिटल्ज़ बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अन्य एक्टिविटीज़ के लिए और शापिंग कॉम्पलैक्स बनाने के लिए तथा बनीखेत जैसी जगह में या तो प्राईवेट लेंड है या

डी0पी0आर0एफ0 है या वह जगह है जो एन0जे0पी0सी0 को ट्रांसफर हो चुकी है। वह वापिस आ जाती है तो बस स्टैंड बनाने के लिए यूज होगी। इस तरह से जो पब्लिक के फायदे की चीजें हैं वह हम इनसे कर सकते हैं।

अंत में उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के मुताबिक रेवन्यू मैनुअल में इस तरह का प्रावधान है कि जो किसानों से ज़मीन ली जाती है, किसी भी प्रोजैक्ट के लिए और वह बेकार पड़ी हो वह किसानों को वापिस दी जा सकती है। एक फिक्स अमाऊंट उसके लिए पे करने का रखा जाए। ऐसा मुझे रेवन्यू अथोरिटी ने चम्बा में बताया। अगर यह सम्भव है तो जिनकी ज़मीने और जिनका जिक्र आदरणीय महेन्द्र सिंह जी कर रहे थे ,प्राईवेट लैंड जो कि प्रोजैक्ट्स के लिए ली थी और वह अब बिल्कुल बेकार पड़ी है।,उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, वह बिल्कुल प्राईम लैंड है, वह किसानों को वापिस कर दी जाए। वर्ष 1960 में बना हुआ बेरास्यूल प्रोजैक्ट है, उनके पास जो ज़मीन है और उनकी बिल्डिंग गिर रही हैं। उनके कोई काम की वह बिल्डिंग नहीं है और उनके सीविल वर्क खत्म हो चुके हैं। प्रोडक्शन हुए 50 साल होने को आ रहे हैं।

3.12.2015/1255/जेके/एएस/3

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय महेन्द्र सिंह जी लाया कि यहां पर केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो ज़मीने एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं उनको सरकार वापिस लें। इसका मैं समर्थन करती हूं मगर बाकी बातों के बारे में मैं नहीं समझती कि उनको यहां पर चर्चा करनी चाहिए थी। अगर ये चर्चा करना चाहते थे तो आप अपना संकल्प अमैंड करते, तब बेहतर था। धन्यवाद।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

03.12.2015/1300/SS- AG /1

अध्यक्ष : महेश्वर सिंह जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। जो संकल्प गत सत्र में माननीय महेन्द्र सिंह जी ने रखा था उसके सन्दर्भ में मैं सिर्फ एक बात को रखकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। जैसा

कि माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी ने कहा, जहां तक देवताओं की जमीन है देवता नाबालिग है और कारदार केवल उसका संरक्षक होता है नियमानुसार उस भूमि को नहीं लिया जा सकता। लेकिन जहां तक प्रोजैक्ट का सवाल है बड़े विस्तार से जो यहां इन्होंने कहा मैं उसमें कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा। इन कम्पनियों के साथ जो एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं उसमें प्रावधान है कि जब उस परियोजना हेतु उस भूमि की आवश्यकता न रहे तो सरकार को प्रथम अधिकार उस भूमि को वापिस लेने का होगा। वह बगीचा इत्यादि या किसी अन्य परपज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। द्वितीय अधिकार उसका है जिसकी जमीन एक्वायर हुई है लेकिन उसको कुछ प्रतिशत इंट्रस्ट देना होगा तब वह भूमि को वापिस ले सकता है। इन्होंने एन0एच0पी0सी0 की बात कह दी। एन0टी0पी0सी0 की बात कह दी। जिनके पास बहुत ज्यादा सरप्लस लैंड है उसको वापिस लेना आवश्यक है ताकि कहीं-न-कहीं उसको पब्लिक यूज़ में लाया जाए। लेकिन इसके अतिरिक्त पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड छूट गया। शानन प्रोजैक्ट की जमीन पर कब्जा आपके बरोट में हमारे पर्यटक स्थल पर है और उसका आज कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसको वापिस लेना चाहिए। इसी तरह मैंने कांगड़ा में देखा, जहां पर मुझे रहने के लिए स्थान दिया गया है वहां पंजाब इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का रैस्ट हाउस है। कांगड़ा प्रॉपर में है। उनके पास न जाने कितनी भूमि पड़ी है, उनके वहां पर क्वार्टर बने हैं और वे गिर रहे हैं, उसमें कोई भी नहीं रह रहा है। रैस्ट हाउस के सिर्फ तीन-चार कमरे रहने योग्य हैं। क्या इस भूमि को वापिस लेने के लिए सरकार कदम उठायेगी? संयोग से सामने जो अधिकारी बैठे हैं उनके पास राजस्व और वन दोनों महकमों का डयूल चार्ज है। वे इस बात पर विचार करेंगे, वे कानून के ज्ञाता हैं। जो एम0ओ0यू0 में

03.12.2015/1300/SS- AG /2

प्रावधान है और जहां प्रोजैक्टस बन चुके हैं उस भूमि को वापिस लेने के लिए क्यों सरकार कदम नहीं उठा रही है? यह बात मेरी समझ से बाहर है। बी0बी0एम0बी0 ने जो इस प्रकार की सरप्लस भूमि थी वह सुन्दरनगर में वापिस की है। बाकी जगह कहीं रिटर्न नहीं हुई, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

03.12.2015/1300/SS-AG/3

अध्यक्ष: अब एक सदस्य बोलने वाले शेष हैं अगर सदन की अनुमति हो तो वे बोल सकते हैं या लंच के बाद बोलें?

संसदीय कार्य मंत्री: सर, इसका रिप्लाई करवा दो। माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी को कुछ समय देने के बाद रिप्लाई करवा दें।

अध्यक्ष: ठीक है, अब श्री रणधीर शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य, ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने जो यहां पर संकल्प रखा है वह हमारे प्रदेश की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमने कोई भी नया प्रोजैक्ट लगाना हो, नया संस्थान खोलना हो या कोई भी विकास कार्य करना हो तो सबसे बड़ी दिक्कत जमीन की आती है। फौरेस्ट से एन0ओ0सी0 प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की बेशकीमती जमीन जैसे कि हमारे सदस्यों ने यहां चर्चा की है कि केन्द्र की परियोजनाओं और ऐसे अनेक प्रोजैक्टों को दी गई है, चाहे वे प्राइवेट प्रोजैक्टस हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

जारी श्रीमती के0एस0

03.12.2015//1305केएस/एएस/1

श्री रणधीर शर्मा जारी---

चाहे वह प्राईवेट प्रोजैक्ट है, जहां ऐसी बेशकीमती जमीन है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। बहुत सी बातें जो हमारे वरिष्ठ सदस्यों आदरणीय महेन्द्र सिंह जी ने, आशा जी ने और महेश्वर सिंह जी ने की है, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे बी.बी.एम.बी. की बात यहां पर आई, बी.बी.एम.बी. के पास हमारे विधान सभा क्षेत्र की बहुत सारी ऐसी जमीन है जिसका कोई उपयोग नहीं है। आज हमें वहां पर महिला बटालियन खोलने के लिए जमीन लेने के लिए फोरैस्ट डिपार्टमैंट से एन.ओ.सी. लेने में दो साल लग गए परन्तु बी.बी.एम.बी. के पास उसी क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन बेकार पड़ी है। जब भाखड़ा डैम बना था उस समय वह जमीन दी गई थी । वहां कॉलोनियां बनी यहां तक कि सड़क और रेलवे लाईन भी उन्होंने बनाई लेकिन भाखड़ा डैम बन कर तैयार हो गया उसके बाद न तो उनमें कोई रहता है और न उन सड़कों का कोई उपयोग होता है। जैसे एक उन्होंने पुल बनाया है, अभी उद्योग मंत्री जी ने जवाब देना है, आप भी जानते हैं आपके जिला से हमारे जिला को जोड़ता हुआ एक

पुल उस समय बनाया गया था जब भाखड़ा डैम बना था। उसको हंडोला का पुल कहते हैं। उस पुल की उन्होंने मुरम्मत तक नहीं की। बरसों से लोग व स्कूल के बच्चे वहां से जाते थे लेकिन पिछले साल बैसाखी में वह पुल थोड़ा सा टूट गया। बी.बी.एम.बी. के अधिकारियों ने उसको रिपेयर करने से मना कर दिया। हम उनसे मिले कि इसकी रिपेयर कर दीजिए । वीरेन्द्र कंवर जी का चुनाव क्षेत्र भी दूसरी तरफ है ।उन्होंने कहा कि पुल बनाना हमारा काम नहीं है यह तो हमने उस समय बनाया था जब भाखड़ा डैम बनाया था। आज तो इसका उपयोग ही नहीं है इसलिए अब वो उसको रिपेयर नहीं कर सकते और हिमाचल सरकार वहां पुल नहीं बना सकती क्योंकि दोनों तरफ जमीन बी.बी.एम.बी. की है इसलिए लोगों को तो दिक्कत रहेगी ही। इस तरह से अनेकों समस्याएं हैं और अगर हिमाचल सरकार इस तरह की जमीन वापिस लें तो उन समस्याओं का समाधान हो सकता है।

03.12.2015//1305केएस/एएस2/

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक नैलां नामक गांव है जो कि ऊना के बॉर्डर पर है। वहां हमारे नौजवान लड़के क्रिकेट खलते रहते हैं। जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम है उससे भी बड़ा ग्राऊंड वहां बन सकता है और लड़के हमसे डिमांड करते हैं कि यहां हमें एक क्रिकेट ग्राऊंड बना कर दीजिए । मैंने कहा कि यह फोरैस्ट की जमीन होगी इसलिए यहां हम ग्राऊंड नहीं बना सकते तो उन्होंने कहा कि यह तो बी.बी.एम.बी. की जमीन है। वह जमीन बंजर पड़ी है लेकिन वहां कुछ नहीं हो सकता। अगर हम चाहें तो वहां पर एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन सकते हैं। मैंने सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी से कहा था, वे इसके लिए तैयार है परन्तु वह जमीन बी.बी.एम.बी. की है।

हमारे यहां एक औद्योगिक क्षेत्र ग्वालथाई है। उसके पड़ौस में एक कॉलोनी बनी। आज उस कॉलोनी में सैंकड़ो प्लॉट और बिल्डिंग्ज़ खंडहर बने हुए हैं। वह सड़क के किनारे हैं । ऐसे ही बी.बी.एम. बी. के पास बिलासपुर जिला में भी जमीन है। भाखड़ा डैम के साथ, गोबिन्द सागर झील के किनारे जो जमीन है उसका आप कोई उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही कोल डैम बन रहा है, वहां भी होगा । यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है और हिमाचल सरकार उसमें कोशिश करें।

इसके अलावा हमारे हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ लग रही हैं । उनके लिए हमने जमीन लीज़ पर दी, पहाड़ दे दिए। पहाड़ से वे चुने का पत्थर निकाल लेते है उसके बाद वे पहाड़ उनके किसी काम के नहीं है। वह पहाड़ उनसे वापिस ले लेना

चाहिए क्योंकि वहां पर हम कोई संस्थान खोल सकते हैं, अन्य एक्टिविटीज़ कर सकते हैं परन्तु चूना पत्थर निकालने के बाद वह सारी की सारी जमीन उन्हीं फैक्ट्री के मालिकों के पास रहती है। वे तो प्राईवेट कम्पनियां है। कोई ए.सी.सी. है, कोई अम्बुजा है, वो उन पहाड़ों के मालिक बने हैं। इसलिए ऐसी जमीन को अगर हिमाचल सरकार वापिस लेती है तो वहां पर कोई और संस्थान खोले जा सकते हैं। यह अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव है इसको प्रदेश सरकार कंसीडर करें और इसमें ऐसी

03.12.2015//1305केएस/एएस3/

जितनी भी जमीन आती है, बाकी विभागों की बात तो महेन्द्र सिंह जी ने की है लेकिन हमारे पास भी कोठिपुरा में पशु-पालन विभाग की 1243 बीघा जमीन है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। 10-12 गऊएं वहां रखी जाती है । वह जमीन बेकार पड़ी है। हमने सुझाव दिया था कि केन्द्र सरकार ने हिमाचल को जो एम्ज़ दिया है, वह वहां पर खोला जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस प्रस्ताव को स्वीकार करके प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को रिकोमैंड किया है। जैसे कि महेन्द्र सिंह जी ने जिक्र किया, कई और भी विभागों की जमीन बेकार पड़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है । हम फोरैस्ट की एन.ओ.सी. लेने में इतने साल लगाते हैं, पेड़ काटने की जो हमें परमिशन लेनी पड़ती है ,उससे हम बच सकते हैं। इसलिए अगर प्रदेश सरकार इस तरह की जो जमीन केन्द्र की परियोजनाओं के लिए, जैसे बी.बी.एम.बी. , एन.टी.पी.सी. या एन.जे.पी.सी. को दी है, उनसे जमीन लें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

3.12.2015/1310/av/as/1

श्री रणधीर शर्मा ----------जारी

एन.टी.पी.सी., एन.जे.पी.सी. को दी हुई है। ऐसे ही प्राइवेट सीमैंट फैक्ट्रीज द्वारा चूने का पत्थर निकालने के बाद जो जमीनें हैं उनका हिमाचल प्रदेश सरकार एक लैंड बैंक बनाएं। यदि हम ऐसे लैंड बैंक का विकास के स्थान या गतिविधियों के लिए उपयोग करें तो यह हिमाचल प्रदेश के हित में रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

समाप्त

3.12.2015/1310/av/as/2

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री महेन्द्र सिंह जी ने इस सदन के समक्ष एक बहुत ही विचारणीय मुद्दा रखा है। माननीय महेन्द्र सिंह जी इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और उस वरिष्ठता का फायदा उठाकर ये मुद्दे को घुमाने की भी पूरी क्षमता रखते हैं। आप 6 बार विधायक बन चुके हैं। आप द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर हमारी माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी ने कहा कि आपने बात कुछ और रखी थी लेकिन उस मसले को उससे भी अधिक रोचक बना दिया। आपने विषय की और ज्यादा गम्भीरता की तरफ इशारा कर दिया।

आज हमारे राजस्व मंत्री श्री कौल सिंह जी सदन में नहीं है। मैं उनके स्थान पर यह जवाब दे रहा हूं। इन्होंने अपने प्रस्ताव में केंद्रीय एवं प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के बारे में जो कहा है उसमें जो बातें विभाग के समक्ष आई और उसके संदर्भ में जो कहा गया है। मैं पहले वे बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि प्रदेश में सरकार द्वारा केंद्रीय एवं प्रदेश की योजनाओं के निर्माण हेतु सरकारी भूमि केंद्रीय या राज्य सरकार के विभागों, संस्थाओं व उपक्रमों के नाम विभिन्न योजनाओं के निर्माण व कार्यान्वयन हेतु स्थानांतरित की जाती है। प्रदेश सरकार ने समय-समय पर जो लैंड ट्रांसफर की है या पट्टे दिए हैं ऐसी भूमि का कब्जा एजैंसी के नाम स्थानांतरित किया जाता है। उसका मालिकाना हक हमेशा सरकार के पास रहता है और अधिकतर केसिज में सरकार मालिक है तथा कब्जा ऐसी एजैंसीज के पास है। मगर कुछ केसिज में मालिकाना हक भी पूर्णतया दिए गए हैं। ऐसी भूमि पर जो निर्मित्त इनफ्रास्ट्रक्चर है, जो सैंटर को दी है उसको बिना केंद्र सरकार की अनुमति या इच्छा से वापिस नहीं लिया जा सकता। इस बारे में युनियन केबिनैट तक मसला जाता है। केंद्र सरकार के अधीन जो लैंड चली गई उसको एक बार दे तो दिया लेकिन वापिस लेने में केंद्र सरकार का रोल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह उनकी केबिनैट डिसाइड करती है कि इसको हमने राज्य सरकार को वापिस करना है या नहीं करना है। लेकिन इन जमीनों को लेने

3.12.2015/1310/av/as/3

के लिए और अधिक प्रयास किए जायेंगे। इस बारे में केंद्र सरकार से भी मसले उठाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त जिस भूमि या पट्टे का कब्जा किसी केंद्रीय या प्रदेश सरकार के विभाग या संगठन के नाम किसी निर्धारित अवधि के लिए दिया गया है, उसकी अगर जरूरत न हो और बंजर पड़ी हो; जैसे आपने कहा। सरकार ऐसी सम्पत्तियों को वापिस ले सकती है। वर्तमान में सरकार के पास ऐसी सम्पत्तियां या भूमि जो केंद्रीय एवं प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु दी गई हैं और बंजर पड़ी हैं का विवरण निश्चित तौर पर उपलब्ध नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने यहां पर इस सदन के माध्यम से एक बहुत बड़ी सोच पैदा की है कि हम इन सम्पत्तियों का एक खाका तैयार करवायें। हम इस बारे में कम-से-कम एक ब्यौरा तैयार करवायें कि किसके पास कितनी-कितनी सम्पत्तियां हैं तथा वे एजैंसीज उनका कितना-कितना इस्तेमाल कर रही है। यहां पर हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) बैठे हैं। ये खुद भी इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। ---

श्री वर्मा द्वारा जारी

03/12/2015/1315/टी0सी0/ए0एस0/1
उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) -----जारी

ये खुद भी इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और यहां सदन में आपका प्रस्ताव आने से यह काम और भी अग्रेसिवली इसको परस्यू करेंगे। शीघ्र ही इसका खाका तैयार कर दिया जाएगा। ऐसी सम्पत्तियों/भूमि का पता लगाने के लिए सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक अधिकारी व जिलों के जिलाधीश को बहुत जल्दी ही निर्देश कर दिए जाएंगे कि वे इस बारे में अपने-अपने जिलों में एक्सरसाईज़ करवाएं। क्योंकि आपने इस मुद्दे को इलैबोरेट कर दिया है। इसलिए ये सारी सूचनाएं हम साथ-साथ उनसे मंगवाने का प्रयास करेंगे। ताकि भविष्य में ऐसी सम्पत्तियां जो नियमानुसार सरकार के कब्जे में आ सकती है, सरकार उनको अपने कब्जे में करने का काम करेगी। लेकिन जिनके बारे में कोई मामला केन्द्र से उठाना है या अन्य किसी एजेंसी से उठाना है उनके लिए सरकार बाद में कदम उठाएगी। वैसे भी सरकार की ओर से उपायुक्तों को ऐसी सम्पत्तियों के विवरण देने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन फिर से एक बार उनको निर्देश कर देंगे कि ये सूचनाएं शीघ्रातिशीघ्र भेज दें। इसमें हम टाईम बॉऊंड कर देंगे। इसी तरह से इस विषय को श्रीमती आशा कुमारी जी, जो हमारी बहुत वरिष्ठ सदस्य रही है ने भी सांझा किया है। इन्होंने भी चम्बा जिला से सम्बन्धित मामले यहां सदन में रखे हैं। महेश्वर सिंह जी, जो सांसद भी रहे हैं और यहां पर भी सदन में है, इन्होंने भी कुल्लू जिले के मामले सदन में लाए हैं। श्री रणधीर सिंह जी ने बी.बी.एम.बी का सवाल खड़ा किया है। लेकिन जैसा आपने कहा कि डिप्टी कमीशनर के लेबल पर खाका तैयार करवा देते हैं। दूसरा जो आपने ट्रस्ट की बात की, बेनामी सौदों की बात की वक्फ बोर्ड की जमीनों की बात की या मंदिरों की बात की। कुछ स्थानों पर तो ऐसा है जो मंदिरों के पास जमीनें हैं, वे सुरक्षित हैं। दूसरा आपने सेरीकल्चर की जमीनों की बात की। सेरीकल्चर की जमीनें कम से कम सरकार के कब्जे में हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आदमी कब्जा कर रहा है। आपने इंडस्ट्री की बात की। यहां पर बहुत सी इंडस्ट्रीज आई ,इंडस्ट्रीज पैकज भी आया जिसके तहत लोगों को काफी जमीनें दी गई। लेकिन कुछ लोगों ने जरूरत से

03/12/2015/1315/टी0सी0/ए0एस0/2

ज्यादा जमीनें ले रखी हैं, जिस बारे में हम माननीय सदन से पहले भी प्रार्थना कर चुके हैं कि हम इस विषय में एक्साईज करवा रहे हैं। जिन लोगों ने जिस उद्देश्य के लिए जमीनें ली थी और उन जमीनों का इस्तेमाल उसके अनुरूप नहीं किया उनसे जमीनें वापिस लेने के लिए सरकार सक्रियता से काम करेगी। लेकिन यह तो ट्रस्ट का मसला है। आपने केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार की जमीनों की बात की है। हिमाचल सरकार की जमींनों की एक्साईज तो बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन जो केंद्र सरकार की जमीनें है उनका मसला भी केंद्र सरकार के साथ उठाया जाएगा। इस समय बहुत से ट्रस्ट आ गए हैं जैसे चिंतपुरणी, मनाली और डलहौजी में हैं। इन ट्रस्टों ने बहुत ज्यादा भूमि पर कब्जा कर रखा है। लेकिन मैं विभाग की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि चाहे वे जमीने हाईडल प्रोजैक्ट के पास हो, ट्रस्ट के पास हो या किसी ने एजुकेशनल संस्था के नाम पर ली हो और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम 5-6 महीनों के अंदर अच्छी एक्साइज करवा करके जो हिमाचल के हक में होगा वह करेंगे या फिर हिमाचल की जमीनों का एक लैंड बैंक बना दिया जाएगा जिसका सब व्यक्तियों को पता हो। आज हम सारे विधायक विकास की बात करते हैं लेकिन सभी विधायकों को दिक्कत आ रही हैं। चाहे किसी ने कोई इंस्टीट्यूशन खुलवाना हो, इनवायरमेंट क्लीयरेंस के लिए भी सभी को परमिशन लेने के लिए मशक्त करनी पड़ रही है। अगर हमारे पास लैंड बैंक तैयार हो जाएगा और

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी --- ।

03.12.2015/1320/NS/AG/1

उद्योग मंत्री द्वारा---- जारी

अगर हमारे पास लैंड बैंक तैयार हो जाएगा और उसमे खासतौर पर जो पंजाब समय की जमीनें हैं जैसे मैंने पंजाब के रेस्ट हाऊस की बात की, हम पंजाब सरकार से यह मसला उठाएंगे। पहले हिमाचल पंजाब से जुड़ा हुआ था तो उस समय आपके पास जमीनें थीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश बनने के बाद वे जमीनें किन्हीं कारणों से वापिस नहीं

हुई हैं। हमें तो चण्डीगढ़ या अन्य किसी स्थान पर अपना हिमाचल भवन बनाने की दिक्क्त आती है। हमें आज भी नोटिस दिए जा रहे हैं। करोड़ों रूपया हमारी तरफ निकाले जा रहे हैं जबकि दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में वे सारी संपत्तियों पर अपना मालिकाना हक लेकर बैठे हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि जो पंजाब में जो ज्वाईंट पंजाब के समय की संपत्तियां हैं वे हिमाचल सरकार के नाम ट्रांसफर हों। साथ ही जो बी.बी.एम.बी. के पास जो थोक में संपत्तियां हैं, उसका भी मसला उठाकर के हल करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मंदिरों का मसला भी संवेदनशील है। इस मसले को मिल-बैठकर हल करेंगे। आपने भेड़ फार्म, सैरीक्ल्चर और पोटेटो फार्म के काफी मसले उठाए हैं और यह कहा है कि अलग से एक पूल बनाया जाए। सामायिक तौर पर आपने मसला उठाया है, सारे सदन और प्रदेश का ध्यान इस ओर खींचा है तो मैं आपका आभारी भी हूं। आपने कहा कि जमीन वापिस लेकर गरीबों को दे दी जाएं। वैसे तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने नीति बनाई है, तीन बिस्वा ग्रामीण इलाके में देनी है और दो बिस्वा शहरी इलाके में देनी है। आप किसानों के लिए भी बात कर रहे हैं, इन सब पर सरकार विचार करेगी। जिन लोगों ने भी हिमाचल प्रदेश की जमीनें हथियाने का प्रयास किया है, हिमाचल की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है या बेनामी तौर पर इन संसाधनों को लूटा है, उन पर निश्चित तौर पर हिमाचल सरकार कार्रवाई करेगी। जो जमीनें केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के विभागों के पास पड़ी हैं उनको भी रैवन्यू अथोरिटी के पास वापिस लाने के लिए हम पुख्ता प्रयास करेंगे। आपने जो यहां पर प्रस्ताव रखा उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार की मन्शा आपकी मन्शा के साथ मिलती है इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह कि आप अपना प्रस्ताव वापिस लें।

03.12.2015/1320/NS/AG/2

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार है?

श्री महेन्द्र सिंह :आदरणीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने बड़े सकारात्मक सोच के साथ यह उत्तर दिया है। कुछ सदस्यों ने जिन्होंने इस पर पार्टिस्पेट किया है, उन्होंने कहा कि आपने इसको दूसरी तरफ जोड़ा है। मेरा जो प्रस्ताव है, यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश की बहुमूल्य सम्पत्तियां, सम्पत्तियों में आप किस चीज को शामिल करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी प्रदेश में जितनी भी सम्पत्तियां हैं वे किसी ट्रस्टी के पास है या किसी बाहर की स्टेट के पास है, वे भारत सरकार के किसी विभाग

या उपक्रम के पास है, वे इस प्रदेश की सम्पत्तियां है। अगर कोई बेनामी सौदे हुए हैं और बेनामी सौदे जो हैं, अगर किसी जमींदार से जमीन ली हुई है तो बेनामी सौदे के बाद क्या वह सम्पत्ति सरकार के नाम नहीं होगी? सरकार के नाम होगी, न कि किसी जमींदार को वापिस जाएगी। इसीलिए मैंने इन सारी सम्पत्तियों का जिक्र किया है। कुछ सदस्यों ने कहा कि जो आपने मंदिरों के बारे में बात कही है उस बात को माननीय उच्च न्यायालय ने भी माना है। मैं उस बात को अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। इस पर उच्च न्यायालय में केस लगा हुआ है। मैंने उसी बात का जिक्र किया है।

श्री नेगी द्वारा ----जारी।

03.12.2015/1325/negi/As/1

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम इस संकल्प की जो भाषा है उससे ज्यादा इसकी स्पिरिट और मंशा को तवज्जह देते हैं। आपकी मंशा स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की ज़मीनें किसी के भी कब्ज़े में है, चाहे केन्द्र सरकार के कब्ज़े में है और चाहे वो दूसरे लोगों ने हथिया रखे हों उनको हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कब्ज़े में लें। इस मन्शा को, इस स्पिरिट को देखते हुए सरकार भी यही चाहती है कि हम ऐसा करें। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस संकल्प को वापिस ले लें।

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है और हम सरकार की मन्शा के साथ हैं। जब आप आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसपर आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे इसमें सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि आप कोई समय सीमा निर्धारित करें। वैसे आपने 5-6 महीने कहा है। मगर फिर भी अगर कट ऑफ डेट मिल जाए, 6 महीने का मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और हमारे पास एक कम्प्लीट खाका पूरे प्रदेश का बन जाए कि हमारी सम्पतियां किस-किस के पास हैं ताकि हम आगे उसके ऊपर विचार कर सकें । अगर आप इस तरह का आश्वासन देंगे तो मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार प्रयास करेगी कि 6 महीने के अन्दर यह पूरा खाका हम तैयार करें कि किसके पास कितनी सम्पतियां हैं और उसपर क्या ऐक्शन

प्लान हम कर सकते हैं। मेरा फिर से माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापिस लें।

श्री महेन्द्र सिंह: मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं इस प्रस्ताव को इस आश्वासन के बाद वापिस ले रहा हूं।

अध्यक्ष: तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

संकल्प वापिस हुआ।

03.12.2015/1325/negi/As/2

अब इस माननीय सदन की बैठक मध्याह्न के भोजन के लिए 2.25 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है ।

03.12.2015/1430/SLS-AG-1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02.30 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल जी की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई।)

अध्यक्ष: अब दूसरा संकल्प श्री इन्द्र सिंह जी का है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है -

"यह सदन सरकार से सिफ़ारिश करता है कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में स्वच्छ पेयजल तथा सिंचाई की उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु विशेष नीति बनाए।"

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफ़ारिश करता है कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में स्वच्छ पेयजल तथा सिंचाई की उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु विशेष नीति बनाए।"

अब श्री इन्द्र सिंह जी अपने संकल्प पर चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे संकल्प पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की मौजूदा कार्यशैली के कारण लोगों को बहुत कठिनाई पेश आ रही है। उन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए मैंने यह प्रस्ताव चर्चा हेतु इस माननीय सदन में लाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आशावान् हूं कि यह माननीय सदन पार्टी लाईन से ऊपर उठकर इस विषय पर चर्चा करेगा। विभाग किन-किन कठिनाइयों से ग्रसित है, विभाग की परफॉरमैंस अच्छी या बुरी कैसी है, विभाग की कौन-कौन सी कमज़ोरियां हैं जिनकी वजह से जनता को परेशानियां हो रही हैं, विभाग की वर्क कल्चर कैसी है और विभाग के जो कर्मचारी ग्राऊंड लेवल पर काम करते हैं उनकी क्वैलिटी ऑफ वर्क कैसा है, मैं समझता हूं कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आज की परिस्थितियों में क्या विभाग की रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है? इन विषयों पर मैं इस माननीय सदन में चर्चा करना चाहता हूं।

03.12.2015/1430/SLS-AG-2

अध्यक्ष महोदय, जैसा विभाग का नाम सुजैस्ट करता है, Irrigation & Public Health, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग; इसमें किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने की जिम्मेवारी इस विभाग की है। साथ में चैनेलाईजेशन और सीवरेज लाईन ले आऊट करने की जिम्मेवारी भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो विभाग का है वह है जनता को स्वच्छ और सही मात्रा में पीने का पानी देना। अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि पहाड़ों में जवानी और पानी नहीं टिकता। सरकार के पास युवाओं को देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए युवाओं को प्रदेश में रोकने में सरकार असमर्थ है। मगर अगर इच्छाशक्ति है तो पानी को रोका जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सिंचाई की बात करूंगा। सिंचाई के बारे में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। गांव में छोटी-छोटी कूहलें होती हैं लेकिन आज वह सब डिफंक्ट हैं। इसकी वजह हम सब जानते हैं। उनको रिवाईव करने की ज़रूरत है। जहां कूहलों की व्यवस्था नहीं हो सकती वहां लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए ,मैं ऐसा समझता हूं। गांव में जो कूहलें होती थीं, कुछ साल पहले तक गांव के लोग ही उनको मेंटेन करते थे। उनको पता होता था कि कब इस कूहल को ठीक करना है, चाहे वह पेरेनियल कूहल थी चाहे सीजनल कूहल थी। बाद में जब आई.पी.एच. विभाग ने कूहलें टेक ओवर कीं तो जिस भी कूहल को उन्होंने टेक ओवर किया, वह कामयाब

नहीं हुई। इसकी मेन वजह है कि ठेकेदार को कूहल पक्का करने के लिए विभाग ने दे दी लेकिन उसने ठीक ढंग से कूहल पक्की नहीं की; उसका क्वैलिटी कंट्रोल ठीक नहीं रहा और कुछ सालों के बाद ही उसमें पानी रिसना शुरू हो गया जिसकी रिपेयर करना संभव नहीं होता।

जारी ... श्री गर्ग जी

03/12/2015/1435/RG/AG/1

श्री इन्द्र सिंह-----क्रमागत

इसलिए बहुत सी कूहलें आज बिल्कुल सूखी और बेकार पड़ी हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि कूहलें कम खर्चे पर तैयार हो सकती हैं जबकि लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के लिए आपको पहले पानी का भण्डारण बनाना पड़ेगा ,फिर पानी को लिफ्ट करके आपको टैंक में डालना पड़ेगा ,फिर ग्रेविटी से उसको खेतों में देना पड़ेगा। उसके लिए चाहे आप स्प्रिंक्लर सिस्टम अपनाएं या ड्रिप सिस्टम अपनाएं। लेकिन उसमें रिकरिंग ऐक्सपैन्डीचर बहुत ज्यादा है और साथ में शायद बिजली का बिल देने में किसान लोग असमर्थ हों। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको ट्रेडिशनल कूहलों पर जोर देना चाहिए जिनको विभाग ने टोटली नैगलेक्ट किया हुआ है। वैसे भी सिंचाई विभाग में सिंचाई का पोरशन बिल्कुल नैगलैक्टेड है। विभाग का सारे-का-सारा जोर पीने-के-पानी के ऊपर आ गया है और वहां भी विभाग पूरी तरह से फेल हो गया है। ऐसा मैं समझता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, हमसे हर साल प्लानिंग में दो-दो स्कीमों की प्रपोज़ल मांगते हैं। हम कूहलों की और लिफ्ट इरीगेशन स्कीम की उसमें प्राथमिकताएं देते हैं, लेकिन विभाग के कर्मचारी हमें सीधे लिखकर देते हैं कि scheme is not feasible. जब हम पूछते हैं कि why not feasible? तो कहते हैं कि ऐक्सैसेबिलिटी नहीं है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो बिल्कुल असंगत हैं।जो स्कीम फिजिबल नहीं हैं, उनकी डी.पी.आर. नहीं बनती। इसीलिए सारा काम अटका हुआ है। जब कूहलों का ठेका आप देते हैं ,तो उसको दो पोरशन में देते हैं। कूहल अलग से होती है और उसका बांध अलग से होता है। जब कूहल का ठेका हो गया है और कूहल वाले ने कूहल बना दी ,लेकिन जब बांध

का ठेका हुआ, तो दो-तीन साल बाद वह बांध बनेगा और जब तक बांध तैयार होगा, तब तक कूहल खराब हो गई होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि एक समग्र रूप से आप इसका ठेका दीजिए ताकि कूहल और बांध दोनों एक साथ बनें।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पीने-के-पानी की सप्ताई का प्रश्न है। मंत्री महोदया, यह स्थिति वास्तव में ग्रॉउन्ड लेवल पर बहुत ही खराब है। मैं समझता हूं कि विभाग इसमें टोटली फेल है, आपकी कोई नीति नहीं है, आपकी कोई योजना नहीं है, । can say that it is a system failure straight away. बल्कि मैं ऐसा समझता हूं कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है और इसके कारण हम

03/12/2015/1435/RG/AG/2

विधायकों को अपने क्षेत्रों में बहुत खरी-खोटी सुननी पड़ती है। हर दिन समाचार-पत्रों में समाचार आते हैं और जितने टेलिफोन आपको आते हैं उसमें 80या 90 प्रतिशत पानी की शिकायतें होती हैं। इसलिए पानी की समस्या गांवों में बहुत अधिक है। सीधे तौर पर मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं और समाज में पानी की किल्लत के कारण झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। समाज में टैन्शन होती है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में पानी की कमी है ,लेकिन आपके विभाग की अव्यवस्था के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। इसके कारण हैं। विभाग के मापदण्ड हैं कि हर 15 साल के बाद किसी भी स्कीम की री-मॉडलिंग होनी चाहिए। पहले पांच नलके होते थे, अब पचास हो गए, लेकिन पाईप का डाया उतना ही रहा। तो पानी की मात्रा सबको कम मिलेगी और गावों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए हरेक स्कीम की री-मॉडलिंग की जरूरत है, लेकिन ऑन दि ग्रॉउन्ड आपके यहां री-मॉडलिंग नाम का कोई शब्द ही नहीं है। विभाग की पाइपें बहुत सी जगहों पर सारी सड़ी हुई हैं और लिफ्ट किया हुआ पानी जब हम डिस्ट्रीब्युट करते हैं , तो उसमें 20 से 25% पानी लीक-ऑउट हो जाता है और आपका विभाग that is not responsible at all. Your distribution system is not fair. किसी को आपने टैंक से कनैक्शन दे दिया है, किन्हीं चहेतों को मेन लाईन से कनैक्शन दे दिया। इसलिए यदि हम ग्राउॅन्ड लेवल पर जाकर देखें, तो यह विभाग का जो पानी देने का सिस्टम है, that is not fair at all.

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर पंपिंग मशीनरी भी बहुत पुरानी है और उसको बार-बार रिपेयर करना पड़ता है At times cost of the repair is more than the cost of the equipment itself. इसकी कोई मॉनीटरिंग ही नहीं है और कोई

चैकिंग ही नहीं है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसी भी विभाग का स्ट्रक्चर pyramidal nature का होना चाहिए, जो अपैक्स बॉडी है वह डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए और जो बेस है उसका, वह बडा होना चाहिए ,वर्किंग हैण्ड होने चाहिए----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

03/12/2015/1440/MS/AG/1

श्री इन्द्र सिंह जारी--------

वह बेस वर्किंग हैंड होना चाहिए। आपका बेस बिल्कुल shrink हो रहा है I It is top heavy structure. आपका टॉप हैवी स्ट्रक्चर बन गया है इसलिए कैसे ग्राउंड में काम होगा? आपके पास मैन पावर नहीं है इसलिए फील्ड में कौन काम करेगा? आपके पास जे0ईज0 की कमी है। एक जे0ई0 तीन-तीन सैक्शन को देख रहा है। आपके पास सर्वेयर्ज और पटवारी निल (NIL)हैं। आपका काम कैसे चलेगा और डी0पी0आर्ज0 कैसे बनेंगी? इसलिए यह बात आपको सोचनी है कि इनकी आपूर्ति कैसे की जाएगी। ऊपर से मुख्य मंत्री महोदय जहां-जहां भी जाते हैं उधर डिवीजन और सब-डिवीजन खोल आते हैं। आपके पास आदमी हैं नहीं। इसलिए आप इन बातों के बारे में सोचिए कि मैन पावर के अभाव में कैसे काम करेंगे? कैसे लोगों को पानी देंगे? आपके पास 20 हजार कर्मचारियों की कमी है। आपने कुछ हजारों/सैंकड़ों जल-रक्षक रख दिए हैं। वे जो जल-रक्षक रखे हैं, मैं कहता हूं कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की उसमें लिमिट है। आप उनको 1350-/रुपये देते हैं Why don't you increase it? उनका काम बढ़ गया है। Your base is shrinking. आप कहते हैं कि दो घण्टे वे ऑफिशियली काम करते हैं, दो घण्टे सुबह और दो घण्टे शाम को काम करते हैं। यानी की पानी के डिस्ट्रिब्यूशन की टोटल डिपैडेंसी उन्हीं के ऊपर है। मेरा कहना यह है कि इस एक्सप्लॉयटेशन को बन्द कीजिए और उनकी तनख्वाह बढ़ाइए। Rs. 1350 is a peanut. आज के ज़माने में 1350/-रुपये क्या होता है, बताइए?

अध्यक्ष जी, सरकार ने बहुत सी योजनाएं आउटसोर्स कर दी हैं लेकिन कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है। सब एडहॉकिज्म चल रहा है। आपने 570 पीने-के- पानी की

स्कीमें आउटसोर्स कर दी हैं। उनको केवल एक या दो साल के लिए आउटसोर्स किया है। एडहॉकिज्म में XEN को ऑथोरिटी दी है कि वह उनको आउटसोर्स करेंगे। It is an open invitation to corruption. मैं ऐसा समझता हूं। कम-से-कम स्टेबिलिटी लाने के लिए उनको चार-पांच साल के लिए आउटसोर्स कीजिए। पांच साल का उनको मिनिमम समय दीजिए। बरसात में ई-टैण्डरिंग कीजिए। अच्छा ठेकेदार आगे आएगा और वह काम करेगा। अगर आप एक-एक

साल के लिए किसी भी स्कीम को चलाने के लिए दे देंगे तो वह आपकी मशीनरीज को घिसाकर चला जाएगा। ऐसी व्यवस्था क्यों है? आप प्रौपर नॉर्म्ज बनाइए और इसके लिए बजट का भी प्रावधान कीजिए। इसके साथ ही सिंचाई की 63 स्कीमें आपने केवल छः महीने के लिए आउटसोर्स की हैं। It is a big joke. What is this ?अगर यह हास्यास्पद नहीं है तो क्या है? यह आप क्या कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में भी आप सोचिए। अगर आउटसोर्स करना है तो उनको समय दीजिए। उनको चार-पांच साल के लिए दीजिए। उनकी प्रौपर ई-टैण्डरिंग कीजिए ताकि उसमें ओपन ट्रांसपेरैंसी हो लेकिन ऐसा नहीं है।

प्रदेश में नल के पानी को सैप्लीमैंट करने के लिए आप हैण्डपम्प लगा रहे हैं लेकिन उन्हें कहां लगा रहे हैं? उसके लिए जो विभाग को इन्स्ट्रक्शन्ज हैं they are not followed. कोई छोटा सा नेता बोल देता है कि मेरे घर के सामने लगा दो तो वहां लगा देते हैं। This should be stopped. और साथ में यह भी किसी को पता नहीं है कि प्रदेश में कितने हैंडपम्प लगे हैं, कितने खराब चल रहे हैं और कितने काम कर रहे हैं। इसकी किसी भी तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कितनी स्कीमें बिना फिल्टर के चल रही हैं किसी को पता नहीं है। हरेक स्कीम में फिल्टर होना चाहिए क्योंकि बरसात के समय सबको गन्दा पानी मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और हमारे सब साथी इस बात को जानते हैं। बहुत सी नालियों में जंग लगा हुआ है। आप जंग लगा हुआ पानी भी लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी कमजोरी आपके सिस्टम में इन्फोरमेशन फ्लो की है। इन्फोरमेशन नीचे से ऊपर जानी चाहिए और ऑर्डर ऊपर से नीचे आने चाहिए। आपके XEN को पता ही नहीं होता है कि कौन सी स्कीम उनके डिवीजन में खराब चली है या बन्द पड़ी है और कितने दिनों से बन्द पड़ी है। हम जब टेलीफोन करते हैं कि XEN साहब फलां स्कीम चार दिन से बन्द पड़ी है तो वह कहते हैं कि अच्छा मैं पता करता हूं ,मुझे तो पता नहीं है। What your JE is doing? JE should immediately inform it to your SDO who should pass it on to the XEN. लेकिन यह इन्फोरमेशन फ्लो का कोई सिस्टम नहीं है। मुझे लगता है कि आपका रिपोर्टिंग का सिस्टम भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है और यह सिस्टम के अन्दर इनबिल्ट होना चाहिए। किसी भी

कामयाब सिस्टम में यह टोटली इनबिल्ट होना चाहिए। जहां तक क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की बात है, जो आदमी नीचे ग्राउंड में काम करता है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

3.12.2015/1445/जेके/एजी/1

श्री इन्द्र सिंह ठाकुर:----------जारी-----

जो आदमी नीचे ग्राऊंड में काम करता है उसको फेसिलिटी भी तो होनी चाहिए। आपके कितने सब डिविजन्ज प्राईवेट बिल्डिंग्ज में चल रहे हैं। उनकी रिपेयर नहीं होती है। आप देखिये वहां पर कितना कूड़ा-कचरा पड़ा होता है। This is pathetic state. उसकी कोई चैकिंग नहीं है। जे0ई0 कहां बैठता है, उसका स्टाफ कहां बैठता है? सबसे बुरी हालत तो आपके पब्लिक स्टेशन की है जहां पर रात भर आदमी काम करता है। कई पब्लिक स्टेशन में पंखे तक नहीं है। बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है। I mean to say that you have to improve the quality of work life of the individual working there. लेकिन उस विषय में किसी को कोई चिन्ता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी आखिर में मैं इस सार पर पहुंचा हूं कि इरिगेशन सेक्टर टोटली नैगलेक्टिड है। मैं समझता हूं कि इस ओर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पानी के विभाग को अलग कर दिया जाए। इरिगेशन डिपार्टमैंट अलग से और पीने के पानी का डिपार्टमैंट अलग से हो। इरिगेशन के साथ आप स्वायल कंजरवेशन को मर्ज कर सकते हो। आप उसको चैनेलाईजेशन का काम दे सकते हो। मैं समझता हूं कि यह डिपार्टमैंट अब बाईफरकेट करना चाहिए। इरिगेशन अलग हो और उसको महत्व मिले। यह आज के समय की मांग है। आप गांवों में जाईये हमारे सारे खेत सूखे पड़े हैं। पुराने जमाने में जब खेतों को ठीक से पानी मिलता था। फसलें ठीक से बोई जाती थी। आज वह स्थिति नहीं है। स्थिति इसलिए नहीं है विभाग का सारे का सारा ज़ोर, सारी की सारी ताकत वह पीने के पानी के ऊपर लग जाती है। इसलिए हम यहां पर कामयाब नहीं है। यह भी मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस बारे में आप लोग सोचिये। इस बारे में एक्सपर्ट की एडवाईज़ ले लीजिए। लेकिन आपके विभाग में सुधार की बड़ी भारी गुंजाईश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

3.12.2015/1445/**जेके/एजी**/2

अध्यक्ष: मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि वे अपनी बात कम से कम समय में पूरी करें ताकि ये सारे मोशन्ज लग जाएं क्योंकि 5.00 बजे के बाद कोई भी एन्टरटेन नहीं होगा। अब मैं डॉ0 राजीव बिन्दल को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। कंवर वीरेन्द्र सिंह जी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प इस माननीय सदन के अंदर ले कर आए हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए जहां सड़कें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, वहीं पेयजल, हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यन्त संवेदनशील व महत्वपूर्ण मुद्दा है। लगातार सरकारें प्रयास कर रही है परन्तु इन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा कि आज वक्त आ गया है कि हम इसके लिए एक सम्पूर्ण नीति बनाकर होलेस्टिक अप्रोच ले करके सिंचाई विभाग और पेयजल विभाग दोनों को अलग-अलग करते हुए अलग से चिन्तन करके इनकी व्यवस्थाओं को सुचारू करें। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं और जैसा आपने आदेश दिया, चन्द मिनटों में मैं केवल अपने विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित पांच विषय रख कर अपनी बात को समाप्त करुंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नाहन की पेयजल समस्या अति गम्भीर है। वहां दो पुरानी स्कीमें हैं। एक नहर स्वार से ग्रेविटी की स्कीम है 1911 की पाईप लाईन है । अनेक बार इस सदन में चर्चा हो गई, एम.एल.ए. प्रायोरिटी डाली गई, डी.पी.आर. बन गई, नाबार्ड से सैंक्शन हो गई। 8 करोड़ 35 लाख रुपया स्वीकृत होने के बाद भी विभाग उसका पैसा रिलीज़ नहीं कर रहा है। अगर अधिकारी इसको नोट कर रहे हों तो कृपया यह पैसा रिलीज़ करवा दें ताकि ये पाईपें बदली जा सकें जिनमें सिल्टिंग हो चुकी है। दूसरी स्कीम खैरी की उठाऊ पेयजल योजना है, जो कि बार-बार टूटती है उसको इम्प्रूव करने के लिए एम0एल0ए0 प्रायोरिटी डली, डी0पी0आर बनी।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

03.12.2015/1450/SS-AS/1

डॉ0 राजीव बिंदल क्रमागत:

इसको इम्प्रूव करने के लिए एम0एल0ए0 प्रायोरिटी डली, डी0पी0आर0 बनी ,नाबार्ड से 4 करोड़ 80 लाख रुपया स्वीकृत हो गया लेकिन पैसा विभाग के पास नहीं पहुंच रहा है,

जिसके कारण यह काम नहीं हो रहा है। कुछ ग्राम पंचायतें लगातार पानी की कमी से जूझ रही हैं, मैं उनके नाम दे रहा हूं - ग्राम पंचायत बरमा पापड़ी, पालिओ, कोलोंवाला भूड, मातर ,हरिपुर खोल और नाहन पंचायत। लगातार गर्मी और सर्दी में इनमें पानी की कमी रहती है इसके लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसमें बहने वाले जितने खड्ड और नाले हैं उन पर डैम लगाने के लिए हमने एम0एल0ए0 प्रायोरिटी डाली है। उनकी डी0पी0आर0 अगर बन जायेगी और स्वीकृत हो जायेगी तब जाकर इनका परमानेंट समाधान हो सकता है। --(व्यवधान)-- माननीय मंत्री जी , अगर आपस की बात बाद में कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्राम पंचायतों का चिन्तन चला हुआ है या पेयजल का चिन्तन चला हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पुरानी पेयजल और सिंचाई योजनाएं हैं मैं उन सब के नाम लिखवा सकता हूं परन्तु नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री महोदय के पास पूर्ण स्टाफ है। सारी पेयजल योजनाओं की रिपेयर के जितने भी टैंडर हो रहे हैं, कम-से-कम मैं विधान सभा क्षेत्र का नाम सुनिश्चित कह सकता हूं कि जिस दिन उसकी मोटर और पम्प रिपेयर होती है 24 से 48 घंटे में खराब हो जाती है। अगले सात दिन में रिपेयर होकर आती है और फिर खराब हो जाती है। हम आपके एक्सियन और एस0ई0 से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि उसी की गारंटी में रिवाइंड करवा रहे हैं। अरे भाई, साल में 20 बार खराब हो गई तो कितनी बार गारंटी में करवा रहे हो? लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। स्टैंड बाई पम्प और मोटर ज्यादातर पम्प हाउसिज़ के ऊपर नहीं हैं, उसके लिए कारण तीन-चार दिन पानी नहीं मिलता है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है।

चौथा प्वाइंट, मारकण्डा नदी, मातर के खड्ड, रूण के खड्ड, सलानी के खड्ड, इनकी डी0पी0आर0 बनाने के लिए एम0एल0ए0 प्रायोरिटी दी है। इनकी

03.12.2015/1450/SS-AS/2

डी0पी0आरज़0 जल्दी बनें तो किसी-न-किसी फंडिंग एजैंसी से इसकी फंडिंग हो सकती है।

अंतिम विषय, कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो लगातार खराब रहती हैं वे नोट करवा रहा हूं। मोगीनंद, कालाअम्ब, खैरी, नागल सकेती, बिक्रम बाग और देवनी, ये स्कीमें लगातार खराब रहती हैं। इनको ठीक करने की आवश्यकता है।

अंत में, जो विषय कर्नल इन्द्र सिंह जी लेकर आये हैं यह बहुत बड़ा है। उसके ऊपर सरकार चिन्तन करे और इस संकल्प को स्वीकारते हुए इस पर एक आमूल-चूल नीति बनाए। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

समाप्त

03.12.2015/1450/SS-AS/3

अध्यक्ष: इस विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए और माननीय सदस्यों के भी नोटिस आए हैं। अब मैं श्री कुलदीप कुमार जी को चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री कर्नल इन्द्र सिंह जी द्वारा जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह मसला सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना व किसानों को सिंचाई की सुविधा देना, ये सारे विषय जन-जन से जुड़े हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

3.12.2015/1455/केएस/एएस/1

श्री कुलदीप कुमार जारी----

ये सारे मसले जन-जन से जुड़े होते हैं। मैं कई सालों से देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में काफी तरक्की हुई है। कभी समय था की घरों में नलका नहीं हुआ करता था, वाटर सप्लाई स्कीम नहीं हुआ करती थी। लोग कुंओं व बावड़ियों से पानी भरा करते थे और हम पहाड़ी लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि पहाड़ों में भी शहरों की तरह घर-घर नलके लगेंगें या सीवरेज़ सिस्टम लगेगा। यह शहरों में ही हुआ करता था। हमने कभी यह उम्मीद नहीं रखी थी कि हमारी रसोई में भी नलका लगेगा। हर गांव में सबसे ज्यादा जनता की विधायकों से शिकायत होती थी कि फलां-जगह पानी तीन दिन से छः दिन से नहीं आ रहा है ,यह हो गया, वह हो गया, इन समस्याओं को लेकर लोग ज्यादातर विधायक के पास आते थे। आज पीने के पानी की स्कीमों में हिमाचल में काफी तरक्की हुई है। काफी जगह पानी की स्कीमें चालू हुई है जिससे लोगों को काफी सुविधाएं मिल गई है। आज जो हम स्वच्छ अभियान चलाने की बात करते हैं, वह भी तभी चला है जब हर घर में शौचालय बने हैं। वे तभी बनें जब हमारी वाटर सप्लाई की स्कीमें बनीं। आज इंटीरियर गांव में भी लोग पक्के मकान बनाते हैं और यहां तक की अटैच बाथरूम भी बना रहे हैं। यह ठीक है कि जब कोई काम होता है तो उसमें कोई न कोई कमियां रह जाती है। स्कीमें बनी हैं तो उनमें कई अड़चनें भी है, कई कमियां भी है। कई स्कीमें पुरानी हो चुकी है उनको दोबारा से बनाना है और पुरानी पाईप लाईन बदली जानी है यानि कई स्कीमों में इस तरह की समस्या है। मैं एक बात कहना चाहूंगा जो सही मायने में हमारी समस्या का हल कर सकती है। हमारे पास फील्ड स्टाफ की बहुत कमी है। हम हर साल नई-नई स्कीमें बनाते जा रहे हैं लेकिन जो पुरानी स्कीमें भी हैं, उनके लिए भी

फील्ड स्टाफ पर्याप्त नहीं है। लोग रिटायर भी हो रहे हैं। हमारे यहां जो एक-एक पम्प ऑप्रेटर है या दूसरे लोग हैं उनको एक-एक के पास दो-दो स्कीमों का जिम्मा दिया हुआ है और एक आदमी कहां-कहां जाएगा इसलिए वह उन स्कीमों को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ है। मेरा यही निवेदन है कि मंत्री जी आपने एक साल पहले भी थोड़े-बहुत जल वाहक लगाने की स्वीकृति दी थी, उससे कुछ राहत

3.12.2015/1455/केएस/एएस/2

हमें मिली है लेकिन आप एक सर्वे करवाएं कि कहां-कहां, कितनी-कितनी वेकेंसिज़ हैं। पम्प ऑप्रेटर, फीटर आदि के पद कितनी जगह खाली है । उन स्कीमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए या हम जल वाहक भर्ती करें या कुछ और इंतज़ाम करें । मैं समझता हूं कि आधी समस्या तो गर्मियों में हमारी इन रिक्तियों की वजह से ही होती है। स्कीमें सही तरीके से समय पर चलती नहीं ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

3.12.2015/1500/av/as/1

श्री कुलदीप कुमार जारी-------

सही तरीके से स्कीमें टाइम पर चलती नहीं है और उसके कारण पीने के पानी की शॉर्टेज होती है। कभी-कभी खड्डों के पास ऊपर कहीं पशु मर जाता है तो उसकी वजह से वहां पर गंद पड़ा रहता है। गंदगी के कारण लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि पुरानी स्कीमों की रिपेयर करके और नये पम्प हाऊस बनाकर के लोगों को स्वच्छ पानी देने का प्रावधान करें। आपने विभाग में क्लोरोनाइजेशन का सिस्टम रखा हुआ है। आपके विभाग के अंतर्गत यह प्रोग्राम तो है मगर कई जगह टैंक्स में क्लोरोनाइजेशन पूरी तरह से नहीं होती है। उसको भी एनश्योर किया जाए ताकि क्लोरोनाइजेशन ठीक से हो और जनता को स्वच्छ पानी मिले।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हैंड पम्प की एक बहुत बढ़िया स्कीम शुरू हुई थी जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है। पहाड़ों में कई जगह ऐसी-ऐसी रॉक्स हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहां पर भी बोर हो सकता है मगर वहां पर भी हैंड पम्प्स लगे हैं। हैंड पम्प लगने के बाद लोगों को काफी राहत मिली है। जहां पानी की स्कीमें नहीं हैं वहां हमने हैंड पम्प लगवा दिए। हैंड पम्प के लगने से वहां के लोगों की पीने के पानी की समस्या का समाधान हुआ है। आपने कुछ

वर्षों से इसमें कंजूसी की है तथा हैंड पम्पों के मामले में अपना हाथ थोड़ा टाइट कर लिया है। माननीय मंत्री जी मैं इस बारे में आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरा दिल खोलकर हैंड पम्प दें ताकि हमारे इलाके में पीने के पानी की समस्या दूर हो। मैंने इस संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है। ऊना जिला का सारा पहाड़ी इलाका मेरे विधान सभा क्षेत्र के तहत आया हुआ है। वहां पर लोगों को चिन्तपूर्णी माता का आशीर्वाद भी है। वहां सदाशिव का मंदिर है तथा दूसरे मंदिर भी बहुत है। वहां पर सारे पहाड़ी लोग हैं मगर कई जगह पीने के पानी की तंगी है। आपने हैंड पम्प्स के मामले में थोड़ी कंजूसी की है। मैंने एक

3.12.2015/1500/av/as/2

पत्र लिखा है जो आपके पास आया होगा कि कम-से-कम 50-60 हैंड पम्प और दीजिए ताकि हमारे लोगों को जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है; वहां पर उनको हैंड पम्प्स के माध्यम से राहत मिल सके।

इसके अलावा सिंचाई की बात भी हुई है। हमारे कुछ जिले प्लेन एरिया में आते हैं जैसे ऊना, कांगड़ा जिला का कुछ हिस्सा, नालागढ़ और पांवटा साहब का एरिया है वहां ट्यूब वैल लग सकते हैं। इस बारे में मेरा कल ही प्रश्न लगा था। ऊना जिला में एक कहावत है कि अगर वहां किसानों को सिंचाई की सही सुविधा मिले तो ऊना जिला पूरे हिमाचल प्रदेश को अनाज उपलब्ध करवा सकता है। हुआ क्या? वर्ष 2011 में सैंटरल ग्राऊंड वॉटर ने ब्लैक एरिया डिक्लेयर कर दिया कि वॉटर लैवल लो हो गया है उसके कारण वहां पर आज कोई भी ट्यूब वैल बोर नहीं हो पा रहा है। उसको बैन कर दिया गया है। कई ट्यूब वैल सैंक्शन हुए हैं मगर उनके बोर नहीं हो रहे हैं। अब वर्ष 2015 चल रहा है। माननीय मंत्री जी, आपने जवाब में लिखा है। अभी दिनांक 17.9.2015 को एक स्टेट लैवल कमेटी की 6वीं बैठक में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और क्रोस चैकिंग के लिए एक 6 सदस्यीय उप समिति गठित की है। रिपोर्ट आने के बाद उसके दृष्टिगत इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ----------

श्री वर्मा द्वारा जारी

03/12/2015/1505/टी0सी0/ए0एस0/1

श्री कुलदीप कुमार----जारी

रिपोर्ट आने के बाद उसके दृष्टिगत इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अब वहां पर कई चैक डैम भी लगे हैं जिससे ऊना जिला का वॉटर लैवल भी काफी बड़ा है। इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भी गई है कि अब ऊना जिला का वॉटर लैवल काफी बढ़ गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब टयूबवैल को लगाने की अनुमति दी जाये। ताकि किसानों को पानी की कमी के कारण जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को दूर किया जा सके। एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है। उसमें नीचे तो प्लेन एरिया में टयूबवैल लगते हैं। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें 12 महीने पानी चलता रहता है। मैंने देखा है कि कई विभाग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे इन्टीग्रेटिड स्वां प्रोजैक्ट, वह अपने स्तर पर काम कर रहा है, कभी कोई जाईका वाला या सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग डैम

लगा रहा है। ऐसे कई विभाग हैं जो डैम लगा रहे हैं। लेकिन इससे पता नहीं चलता है कि कौन-कौन से विभाग/एजेंसिज़ डैम लगा रहे है या नहीं लगा रहे हैं। कुछेक तो कागजों में ही लगे होंगे लेकिन वॉश हो गये । मैं तो यह निवेदन करना चाहूँगा कि पहाड़ी क्षेत्र में जितनी खड्डे हैं, उनका एक बार कम्पलीट सर्वे कर लिया जाये कि कौन-कौन सी खड्डों में चैक डैम लग चुके हैं और कौन-कौन सी खड्डे रह गई हैं। जिन खड्डों में 12 महीने पानी रहता है उनमें बांध बनाने की योजना बनाई जाये। जिससे वॉटर लैवल बढ़ेगा और इसके साथ ही वहां के छोटे-छोटे मंझौले किसानों को भी इरीगेशन का फ़ायदा होगा। यह एक बहुत फायदे की बात है जिस पर अगर योजनावद्ध तरीके से काम किया जाये तो इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। एक और विषय के बारे में मैं कहना चाहता हूँ । ऊना जिला में एक समय था जब वहां से बहने वाली स्वां नदी वहां के लोगों का/किसानों का बहुत नुकसान किया करती थी। जानी-माली नुकसान भी बहुत हुआ करता था। लेकिन आज हम आभारी है हिमाचल सरकार के, माननीय मुख्य मंत्री जी के जिन्होंने ऊना जिला के लिए 922 करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट मंजूर करवाकर दिया। इसका श्रेय हिमाचल सरकार को जाता है। यह हिन्दुस्तान का पहला ऐसा प्रोजैक्ट है

03/12/2015/1505/टी0सी0/ए0एस0/2

जिसमें आपने इतना अमाऊंट ऊना जिला के लिए दिया है। आज किसानों की सैंकड़ो एकड़ ज़मीने रिक्लेम हो रही हैं और इसी कारण हमारे विरोधी पार्टी (विपक्ष) को तक्लीफ़ हो रही है। जहां पर किसानों की ज़मीन रिक्लेम हुई है वहां पर किसान बहुत ज्यादा मात्रा में फसलें ऊगा रहे हैं। किसानों के लिए यह प्रोजैक्ट वरदान सिद्ध हुआ है। आज वहां के किसान आपका गुणगान करते हैं ----

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी ----

श्री कुलदीप कुमार द्वारा---- जारी

सरकार का गुणगान करते हैं। मैं भी सारी जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं जिनकी जमीनें रिकलेम हुईं। मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि जो शेयर था मेरे हिसाब से 70:30 के अनुपात में था। यह शेयर 70 प्रतिशत केंद्र सरकार ने देना था लेकिन हिमाचल सरकार ने इसमें अपने हिस्से का सारा पैसा दे दिया। लेकिन केंद्र सरकार से 223 करोड़ रूपये की किस्त अभी बकाया है। ये किस्त नहीं आ रही है। केंद्र सरकार इस पर कुंडली मार कर बैठी है। हालांकि, हमारे हिमाचल के एम.पी. जो उस सरकार में भी शामिल हैं ,वे ऊना जिला में घूम कर भी जाते हैं, हम चाहते हैं कि एम.पी. जी वहां आवाज उठाते और जो पैसा बकाया है, वह धनराशि मिलती। अगर चैनलाईजेशन कर भी दी है, कई लोगों का पैसा देने को है, अभी लोगों का बकाया पैसा नहीं दिया जा रहा है। 2017 में जो काम, टाईम बाऊंड प्रोजैक्ट था, काम बंद होना था, आज केंद्र सरकार का जो पैसा नहीं आ रहा है उसकी वजह से काम ठप्प पड़ा हुआ है। कई खड्डों का चैनलाईजेशन हुआ और बाकी जो रह गई हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप केंद्र सरकार से इस मामले को उठाएं, पहले भी उठाया है ताकि वहां से पैसा जल्दी-से-जल्दी रिलीज हो। यह बहुत अच्छा प्रोजैक्ट है और काम जल्दी से कम्पलीट हो सके। --(व्यवधान) ---मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। माननीय मंत्री जी, मेरा विधान सभा क्षेत्र चिन्तपुरनी क्षेत्र है। वहां की कई योजनाएं जैसे वाटर सप्लाई योजना की डी.पी.आर. बनाकर भेजी है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस डी.पी.आर. को मंजूर करें ताकि आने वाली गर्मियों में हम इन योजनाओं को चालू कर सकें और लोगों की पीने के पानी की समस्या को दूर कर सकें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे चुनाव क्षेत्र में सीवरेज स्कीम का शिलान्यास किया था। उस समय यह स्कीम आठ करोड़ की थी अब 13 करोड़ की हो गई है। सारे काम हो गए हैं। जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है, टैंडर प्रोसैस में था, मुझे नहीं पता कि अब काम क्यों शुरू नहीं हो रहा है तो जल्दी-से-जल्दी इस काम को शुरू करवाएं ताकि कोस्ट एस्कालेशन हो रही है उससे भी बचा जा सके। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और आज

03.12.2015/1510/NS/AS /2

हिमाचल प्रदेश के घर-घर में नलके लगे हैं। पहले नलके सीटियां मारते थे लेकिन अब हम पानी भी दे रहे हैं। सरकार ने अच्छा काम किया है लेकिन जो काम हुआ है, स्कीमें लगी हैं उसमें अगर कोई न कोई कमी या त्रुटि रह जाती है तो आप उस त्रुटि को अवश्य दूर करेंगे। जो मैंने आपके सामने अपनी मांगे रखी हैं, उन मांगों पर आप जरूर बड़ा दयालुपन दिखाएंगे और हैंडपम्प के बारे में भी आप जरूर मेहरबानी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष: अब श्री गोबिन्द ठाकुर जी बोलेंगे, कृपया आप संक्षेप में कहें।

श्री नेगी द्वारा जारी

03.12.2015/1515/negi/AG/1

श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में हमारे मित्र, सहयोगी, कर्नल इन्द्र सिंह जी के द्वारा शुद्ध पीने का पानी व सिंचाई के लिए एक सुदृढ़ और ठीक प्रकार की योजना बनें, ऐसा संकल्प इस सदन में लाया है । मैं कर्नल इन्द्र सिंह जी के इस मूलभूत संकल्प के समर्थन में अपनी बात करने के लिए अपने स्थान पर खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, अपने विषय पर चर्चा प्रारम्भ करने से पहले, हमारे बहुत सीनियर मेम्बर, श्रीमान् कुलदीप कुमार जी ने एक बात कही, जब तो 90:10 का शेयर व केन्द्र की नरेन्द्र मोदी की सरकार ने विशेष श्रेणी का दर्ज़ा जो यू.पी.ए. की सरकार ने हमसे छीना था, हिमाचल प्रदेश को फिर से दिया तब तो कहा जाता है कि हम बड़े योग्य हैं और हमने केन्द्र से अच्छे से वकालत की है । लेकिन जब काम हो नहीं पाता तो फिर यह कहते हैं कि यह आपके कारण नही हो पाता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की सोच ठीक नही है ।

अध्यक्ष महोदय, पीने का पानी सबको शुद्ध मिले, यह हम सबका मौलिक अधिकार है । लगभग 3 वर्ष पहले मनाली के पास ग्राम पंचायत वशिष्ट का गांव चचोगा, जाडग और अलेऊ, इन तीन गांव के लोग 3 साल से धूल और मिट्टी वाला पानी पीने को मज़बूर हैं। स्थानीय जनता भी आवाज़ उठाती रही और अनेक बैठकों में हम भी यह बात करते रहे । लेकिन अभी तक भी उनको शुद्ध जल सरकार के द्वारा प्रदान नहीं किया जा

सका। कारण क्या था? कारण यह था कि यह सरकार बड़े लोगों के दवाब में रह करके काम करती है । अलॉयन-दुहांगन परियोजना के बैराज़ साईट से पीने के पानी की योजना का काम चला। उस समय कुछ पैसा उन्होंने जमा करवाया। बाद में उनकी बैराज साईट की फ्लैशिंग होती है तो फ्लैशिंग के कारण सारी लाईन डेमेज़ हुई और लाईन डेमेज़ होने के कारण से फिर अलॉयन नाला के अन्दर उनका फ्लैशिंग की गन्दगी आती थी और लोगों को मैला और गन्दा पानी पीने के लिए मज़बूर होना पड़ा । हमने अनेक बार बात की लेकिन अभी तक भी अलॉयन दुहांगन परियोजना सरकार और सिंचाई विभाग के दबाव में नहीं आई और अभी तक

03.12.2015/1515/negi/AG/2

उसकी रिपेयर के लिए धनराशि जो देनी थी वह नहीं दी । इसमें जहां तक मैं मानता हूं कि वे दोषी हैं लेकिन साथ में सरकार भी बराबर दोषी है क्योंकि वह लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है । मुझे कुल्लू जिला के संबंध में यह भी कहना है, चाहे मलाणा प्रौजेक्ट है, चाहे एन.एच.पी.सी. है और चाहे एच.पी.टी.सी.एल. है, जहां-जहां पर भी पीने के पानी की योजना इनके कारण से खराब हुई है, वे प्रभावशाली लोग हैं और वे सरकार और आपके अधिकारियों का कहना मानते नहीं हैं और अपना काम करते जाते हैं । लोगों को गन्दा पानी पीने के लिए मज़बूर होना पड़ रहा है और उनकी सिंचाई की योजनाएं भी नष्ट हो गई हैं। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जब डिपार्टमैन्टली वहां पर रिपेयर का काम शुरू किया है तो परियोजना के प्रबन्धकों को चाहिए कि उसका पैसा वह विभाग को दें।

अध्यक्ष जी मेरा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न विशेष तौर पर मनाली के संबंध में है।अध्यक्ष महोदय, मनाली और मनाली के आसपास का क्षेत्र जहां पर फ्लोटिंग पपुलेशन बहुत है और अभी एक अन्दाज़ा के मुताबिक जब आई.पी.एच. डिपार्टमैन्ट पीने के पानी की योजना पर काम करता है तो कहा जाता है कि

श्री शर्मा जी द्वारा जारी....

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ...जारी

तो कहा जाता है कि विभाग 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से योजना को तैयार करता है। अब मनाली एक पर्यटन नगरी होने के नाते, जिस-जिस गांव में ग्राम पंचायत की पानी की योजना बनती है उस क्षेत्र में एक साल में लगभग 25-50 होटल या गैस्ट हाऊसिज बन जाते हैं। होटल या गैस्ट हाऊस की खपत 80 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति कमरे के हिसाब से है। होता क्या है कि जब होटल या गैस्ट हाऊस बन गए, उनसे स्थानीय गांव के निवासियों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए विभाग को इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है कि जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से योजना बनती है ,वहां योजना में ऐसा स्कोप रखा जाए कि आने वाले समय में जो 20-25 होटल और गैस्ट हाऊस वहां बनेंगे , उनका भी प्रावधान उसमें रखा जाए ताकि स्थानीय निवासियों को पीने के पानी की कोई कमी न रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि होटल या गैस्ट हाउस वालों के लिए आप अलग से योजना बनाएं ताकि गांव के लोगों को कठिनाई न हो? अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी व्यवहारिक समस्या है। जब पर्यटन सीजन चलता है तो उस सीजन के दौरान गांव के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता। अधिकतर होटल या गैस्ट हाऊस वाले क्या करते हैं कि योजना में जो छोटे स्तर का कर्मचारी होता है उसको कहते हैं कि मेरे होटल के पांच कमरे लगे हैं मेरा सीजन खराब हो जाएगा, इसलिए मेरा पानी जारी रखना; तुम्हें 200, 400या 500 रुपये दे दूंगा। हम ठीक प्रकार से होटल वालों को पानी उपलब्ध नहीं करवा पाते, इसी कारण से यह होता है। इस पर सोचने की आवश्यकता है। मनाली का जो क्षेत्र है उसमें ग्राम पंचायत मसोगी का रांगड़ी, सिन्सा और लैफ्ट बैंक में प्रीणी गांव, सुरू गांव, अलेरू गांव; इन गांव में बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यहां पर बहुत बड़े-बड़े, 80-80 और 100-100 कमरों के होटल बन रहे हैं। इसमें दिक्कत यह है कि हमको पीने का शुद्ध पानी देना है। पर्यटन सीजन में जब पानी उपलब्ध नहीं होता तो बाहर से जो टूरिस्ट आता है ,उस टूरिस्ट को हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लोग कहीं से किसी भी नाले से ट्रैक्टर में पानी भर कर उपलब्ध करवाते हैं, यानी गंदा पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। इस दिशा में भी विचार करना आवश्यक है।

माननीय मंत्री जी, मनाली और कुल्लू नगर परिषद् के क्षेत्र में केंद्र सरकार की मदद से जो 90 प्रतिशत् राशि केंद्र सरकार की और 10 प्रतिशत् राशि नगर निकाय की लगनी है ,उसके अंतर्गत जिन स्कीमों की फाऊंडेशन एक साल पहले हो चुकी है उन पर भी अभी तक काम प्रारंभ नहीं हुआ। उस काम को तेज गति से चलाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए उनके टैंडर तेजी से हों और काम तेजी से चले।

कर्नल साहब ने सिंचाई की योजनाओं की भी बात की। मैंने 2010-11 की विधायक प्राथमिकता में कहा था कि जो हमारा लैफ्ट बैंक का क्षेत्र है, प्रीणी गांव से लेकर बिजली महादेव तक का, इसमें कुल्लू विधान सभा का महेश्वर सिंह जी का क्षेत्र भी आता है ,यह ड्राई क्षेत्र है। यहां पर अनेक प्रकार की फसलें होती हैं लेकिन वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रीणी से बिजली महादेव तक सिंचाई की योजना की लगभग 400 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. बनकर तैयार है। लेकिन मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी सरकार के लगभग 3 साल बीत चुके हैं परंतु उस 400 करोड़ की डी.पी.आर. पर काम नहीं हुआ। अभी तक यह भी मालूम नहीं कि वह सैंट्रल वॉटर कमीशन को गई है या नहीं। इसी के साथ, कुल्लू मनाली के अंदर सिंचाई की योजनाओं के लिए अनेकों नाले हैं और ब्यास नदी भी है जिनका ठीक प्रकार से चैनेलाईजेशन करके पानी को सिंचाई के काम में और शुद्ध करके पीने के काम भी ला सकते हैं।

जारी ... श्री गर्ग जी

03/12/2015/1525/RG/AG/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर-----क्रमागत

इसका ठीक प्रकार से चैनेलाईजेशन करके, इसको ठीक प्रकार से शुद्ध करके हम पीने के काम में भी ला सकते हैं, सिंचाई का काम भी लैफ्ट बैंक और राईट बैंक सारे क्षेत्र में कर सकते हैं। इसके साथ-साथ एक डी.पी.आर. वर्ष 2011-12 की मेरी विधायक प्राथमिकता की है जिसमें मैंने कहा है कि व्यास-कुण्ड पलचान जहां से व्यास नदी का उद्गम होता है ,वहां से लेकर ऑट तक पर्यटन की दृष्टि से चाहे वहां फिशरीज का काम हो ,चाहे पार्क बने ,चाहे तालाब बने ,चाहे सिंचाई के काम आए। -(घण्टी)-इस सारे क्षेत्र की चैनेलाईजेशन की जाए। लगभग 1200 करोड़ रुपये की डी.पी.आर्ज. अब

सरकार ने कहां रखी हैं ,पता नहीं। मेरा कहना है कि इनको तेज गति से बढ़ाएं ताकि उनके साथ-साथ हमारे सारे काम हो सकें। चाहे वह मल निकासी का काम हो ,पीने-के-पानी का काम हो या सिंचाई की योजना हो या पर्यटन का काम, सभी हल हो सकें।।-(घण्टी)-अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कर्नल साहब ने यहां पीने-के शुद्ध पानी और सिंचाई की योजना का भी जिक्र किया। मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या सीवरेज है और वर्तमान में मुख्य मंत्री जी की घोषणा को भी तीन साल बीत गए हैं जिसमें ओल्ड मनाली से मनु मंदिर से मनाली गांव से लेकर ग्रीन बैल्ट बैरियर आलू ग्रॉउन्ड और लैफ्ट बैंक में बारन से लेकर जगतसुख तक 101करोड़ रुपये के सीवरेज की एक डी.पी.आर. बनकर तैयार हो गई है। लेकिन अभी शहरी मंत्रालय ने इनकार कर दिया है और कहा है कि हम उसके लिए फण्डिंग नहीं करेंगे। यह मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा है। अब यह कहां से पैसा आना है, कैसे आना है? यदि बाकी पैसा मिले, तो मल निकासी आदि का उससे कार्य हो।

इसके अलावा जो हमारी छोटी कूहलें एवं सिंचाई की योजनाएं हैं इनको भी सब-डिवीजनवाईज चिन्हित करके इनकी रिपेयर एवं मैंटीनैंस की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि इसमें भी ठीक पैसा आ सके। जो बहुत पुरानी पानी की स्कीमें हैं जिन स्कीमों की पाईपें सड़ चुकी हैं या टूट चुकी हैं उनके लिए पैसा उपलब्ध हो। इन सारी योजनाओं को सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग सुदृढ़ रूप में एक अच्छी सी योजना बनाए ताकि प्रदेश में आम-आदमी को बाहर से आने वाले पर्यटकों को, हर व्यक्ति को शुद्ध पीने-का-पानी मिले और सिंचाई भी उपलब्ध हो ,मल निकासी की भी सुविधा मिले। पर्यटकों को पीने-का-पानी अच्छी प्रकार से उपलब्ध हो सके। आपने

03/12/2015/1525/RG/AG/2

मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। श्री इन्द्र सिंह जी ने जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं और इसी के समर्थन में मैंने अपनी बात रखी, समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

/-

03/12/2015/1525/RG/AG/3

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह जी अपनी बात संक्षेप में यहां रखेंगे। मैं माननीय सदस्यों को अवगत करा देना चाहता हूं कि इसके अलावा दो संकल्प और हैं और अभी इसी संकल्प पर सात सदस्य और बोलने वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि कृपया पांच-पांच मिनट से ज्यादा न लें। उसी समय में अपनी बात रखें।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता को बधाई देना चाहूंगा कि कर्नल साहब जब भी कोई विषय संकल्प के रूप में लाते हैं, तो वह अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। पिछली बार यह शिक्षा नीति के बारे में लाए थे और इस बार इनका संकल्प पेयजल योजनाओं और सिंचाई योजनाओं के सुधार लाने के लिए और इन पर नीति बनाने के लिए लाया गया है और मैं इस पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे वर्ष 1977 का समय याद आता है। उस समय पेयजल को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती थी और ब्लॉक डिपार्टमेंट पीने-के-पानी की योजनाएं बनाता था और यदि इसको महत्व दिया, तो श्रीमान् शान्ता कुमार जी ने दिया और न केवल हिमाचल में बिल्क सारे देश में वे पानी वाला मुख्य मंत्री कहलाए। आज इन योजनाओं में इतना विस्तार हुआ है कि गांव-गांव में जो कल्पना नहीं कर सकते थे, पीने-का-पानी पहुंचा है। इसके अतिरिक्त सिंचाई योजनाओं को द्वितीय प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद जो भी सरकारें आईं इसमें सबने अपना-अपना योगदान दिया है------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

03/12/2015/1530/MS/AG/1

श्री महेश्वर सिंह जारी-------

इसमें सबने अपना योगदान दिया है। चाहे धूमल जी की सरकार रही हो या वर्तमान सरकार रही हो। वर्ष 1970 से पहले सिंचाई विभाग लोक निर्माण विभाग का अंग था। महोदय, जहां इसका विस्तार हुआ है वहां पेयजल में ऐसी स्थिति आई है कि ऑग्यूमैंटेशन, उसका रख-रखाव और रिपेयर के कार्य इस समय संतोषजनक नहीं हैं। यह बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैडम, बेशक आप अथक प्रयास करती हैं। आपके प्रयास में कमी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन जहां तक पेयजल योजनाओं का सवाल है उनका आखिर रख-रखाव कैसे होगा? आज इस प्रदेश में डिप्लोमा होल्डर्ज फिटर्ज और प्लम्बर्ज हैं लेकिन सारा काम किसके हवाले किया गया है, वह किया है दिहाड़ीदार मज़दूरों के हवाले जो रेगुलर फिटर भी नहीं हैं वह इस काम को करता है। सिंचाई योजनाओं की जहां तक बात है, जब सिंचाई का सीज़न आता है तो ये योजनाएं ठप्प हो जाती हैं। ऐसा क्यों? वह इसलिए कि एक तो आपने यह मैंटीनैंस का सारा काम कई जगह कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया और महंगी-महंगी वहां मशीनरी पड़ी हुई हैं। वह कॉन्ट्रैक्टर कितना उसका ध्यान रखेंगे? जो डिप्लोमा होल्डर्ज आज उपलब्ध हैं इतनी महंगी मशीन पर उनमें से कम-से-कम एक तो रख दीजिए या दो स्कीमों पर एक रख दीजिए। बाकी हैल्पर्ज से काम चलाइए। कौन जिम्मेदार होगा यदि वे इन पम्पों को नष्ट करके चले जाएं ?इस बात की चिन्ता करने की जरूरत है। जब तक आप इसकी मैंटीनैंस नहीं करवाएंगे इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है।

अभी यहां एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो जल-रक्षक रखे गए हैं, यह एक बड़ी अच्छी योजना है। मुझे तो समझ नहीं आता कि यह जल-रक्षक क्या करता है? मुझे कहां से समझ आएगा जबकि पिछले सत्र में माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं एक प्रश्न के उत्तर में मुझे कहा कि अभी मेरी ही समझ में नहीं आया है कि जल-रक्षक है क्या चीज।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

03/12/2015/1530/MS/AG/2

अब ये पानी में कैसे सुधार लाएंगे ?आपने अगर उसको कम्पलेंट अटैंडेंट रख दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जल-रक्षक के बजाए यदि आप उसको हैल्पर लगा दें तो वह ज्यादा सार्थक सिद्ध होगा और लोगों को पीने-का-पानी भी मिलेगा। जो रैंच चलाना नहीं जानता, जिसने प्लम्बर का काम सारी उम्र नहीं किया अगर केवल और केवल वह बी0पी0एल0 परिवार का है और उसको आप प्लम्बर लगा देंगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे वह पानी छोड़ेगा? कहीं वह पिटवॉल्व तोड़ेगा, कहीं दूसरा नुकसान करेगा और फिर आनन्द लो। इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें डिफरैंस है। जल-रक्षक एक कम्पलेंट अटैंडेंट तो हो सकता है लेकिन वह फिटर और प्लम्बर नहीं हो सकता। इसलिए जब तक यह प्रबंध नहीं होता कुछ नहीं हो सकता। अभी माननीय गोविन्द सिंह ठाकुर जी एक पेयजल योजना की बात करते हुए कुछ कह रहे थे। लेकिन एक बात की प्रसन्नता है कि आपने भी प्रयास किए

और सरकार ने भी प्रयास किए कि 24घण्टे इन दोनों क्षेत्रों में, मनाली और कुल्लू शहर में न केवल शिलान्यास हुआ है बल्कि पाइप्स भी पहुंची हैं। परन्तु देखना यह है कि इसका काम दुरूस्त हो। अब लगघाटी से कुल्लू शहर को पानी आ रहा है। यहां आपके ऑफिसर्ज भी बैठे हैं वे इस चीज को चैक करें। जब सड़क की साइड-साइड से पाइप्स बिछाई जा सकती हैं तो नीचे खड्ड के किनारे पाइप्स क्यों बिछा रहे हैं? सरवरी खड्ड इतनी खतरनाक आती है कि कहीं ऐसा न हो कि पाइप्स बिछाते-बिछाते उनको खड्ड ले जाए। इसलिए इस चीज को देखिए ताकि पानी सुचारू रूप से शहर को मिले और जल्दी मिले।

महोदय, दूसरा इन्होंने एक सुझाव दिया है कि सीवरेज और दूसरे कार्य के लिए क्या होटलियर्ज के लिए अलग पानी नहीं दिया जा सकता। मुझे लगता है कि ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन आपको याद होगा, एक सुझाव मैंने पिछली बार भी दिया था और वह कच्चे पानी के बारे में था। हम सीवरेज के लिए इन होटलियर्ज के होटल के अंदर जितने टॉयलेट्स हैं और कपड़े धोने की बड़ी-बड़ी लाँड्रीज हैं, इनको दरिया का कच्चा पानी उठाकर पहुंचा सकते हैं। इनर फिटिंग्स वे स्वयं कर लें। मुम्बई तक में होटल्ज में कच्चा पानी होता है। क्या आप मनाली में इस चीज को नहीं कर सकते? फिर तो जो अभी आपने पीने-का-पानी

03/12/2015/1530/MS/AG/3

दिया है ये कई वर्षों के लिए पर्याप्त होगा। अन्यथा कितनी ही योजनाओं बना लो। मैडम, आपने कहीं दिल्ली या मुम्बई की बात की थी कि वहां अलग से कच्चा पानी आता है। तो हम मनाली के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते या बड़े शहरों जैसे शिमला आदि के लिए क्यों नहीं कर सकते?

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

3.12.2015/1535/जेके/एजी/1

श्री महेश्वर सिंह:------जारी---------

तो मनाली के लिए क्यों नहीं कर सकते, शिमला के लिए क्यों नहीं कर सकते? एक-एक होटल में 100-100 शौचालय हैं। जब फ्लड का सिस्टम खराब होता है वह पानी दिन-रात बहता रहता है। उसकी कोई परवाह नहीं करता है। क्योंकि फ्लैट रेट्स में तो आपको पैसे देने हैं। इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। अगर परिवर्तन लाएंगें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो हम यहां पर बोलते हैं कई बार उस पर विभाग ध्यान नहीं देता और कहता है कि बोलते रहते हैं कोई बात नहीं। लेकिन जब मूल्यवान सुझाव आते हैं और जो आपको उचित लगते हैं ,उन पर कार्यान्वयन होना

चाहिए। आज सचमुच बहुत अच्छा लगा। मंत्री जी ने एक-एक बात का उत्तर दिया। हम सब को सन्तुष्ट करवाया लेकिन परसों न जाने मुख्य मंत्री जी का मूढ़ क्यों खराब था। हम 21 लोगों ने सड़कों के रख-रखाव पर चर्चा की और उन्होंने दो-टुक ज़वाब दिया कि बायस्ड है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी बात यहां पर कहता हूं ईमानदारी से ,मेहनत करके कहता हूं और कंसट्रक्टिव सुझाव देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह का ज़वाब मिले, ठीक है वे बड़े हैं उसमें मैं कुछ नहीं कहता। परम् पिता परमेश्वर से इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि उनको थोड़ी शांति दें ताकि वह प्रस्ताव को इग्नोर करके अपनी बात न कह कर जाएं। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप तो ऐसा नहीं करेंगी। आप हमारी संतुष्टि करवाएंगी। पूरा ज़वाब देंगी। मुझे आप पर विश्वास है। उन 21 लोगों की चर्चा भी व्यर्थ हो गई, कहां गई वह चर्चा उसका पता ही नहीं लगा और हमारे साथ ऐसी बीती कि हम ठगे से रह गये।

महोदया ,आपको बधाई देना चाहता हूं कि यह टेण्डर बिजनैस पाईपों का इस प्रकार का सर्कल बना हुआ था कि मंत्री ही सेन्टरलाईज करके टेण्डर फाईनल करेंगी। फलस्वरूप पिछली साल यहां पर विभाग वाले बैठे हैं, किसी भी डिविजन में एक भी मीटर पाईप नहीं खरीदी गई। आपके हस्तक्षेप के बाद और मेरे प्रश्न पूछने के

बाद मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहां से स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दी तब जा करके नवम्बर मास में इस साल की पाईपें जो स्कीमों के लिए खरीदनी थी उसकी खरीद शुरू हुई। इसके लिए आपका और विभाग का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कम से कम आपने सुनवाई तो की और अब पाईपें उपलब्ध है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज आप जैसे ईमानदार मंत्री हैं, जो कि पूरी पे भी नहीं लेते सिर्फ टोकन लेते हैं। मुझे विश्वास है आपके होते हुए पाईपों के खरीदने का मसला डी-सैंटरलाईज़ हो जाएगा। आपके चीफ इंजीनियर्ज हर ज़ोन में बैठे हैं इन पर भी तो थोड़ा विश्वास करें। अगर कोई व्यक्ति बेईमान है तो एक लाठी से सबको मत हांकिए। ये पाईपें तुरन्त खरीदी जानी चाहिए और रेट कॉंट्रैक्ट समय रहते एप्रूव होना चाहिए ताकि जैसे ही बजट पास होता है तीन मास के भीतर पाईपें आ जाएं और काम फिर ढंग से हो। मैं उपाध्यक्ष महोदय का भी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और आपको घण्टी भी नहीं बजानी पड़ी। यहां पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

3.12.2015/1535/**जेके/एजी**/3

उपाध्यक्ष: श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव) चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव) **:**माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो निजी प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री इन्द्र सिंह जी द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया गया है, इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो स्वस्थ पेयजल व सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की पहले से भी नीति है और बहुत कोशिश भी हुई है। बहुत सारी ऐसी हेबिटेशन्ज प्रदेश के अन्दर हैं जो पूरी तरह से उनको कवर किया गया है। बहुत कम हेबिटेशन्ज ऐसी हैं जहां पर हम पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पाये हैं और वहां पर भी प्रयास है तथा आने वाले समय में वहां पर भी पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। जहां तक सिंचाई व्यवस्था की बात है और जो सिंचाई योजनाएं बहुत सारी बनी हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

03.12.2015/1540/SS-AS/1

श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागत:

लेकिन कई योजनाएं पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हैं, पार्शियली फंक्शनल हैं या कई पूरी तरह से डिस्फंक्शनल हैं यानी आउट ऑफ ऑपरेशन हैं। ये जो प्रस्ताव माननीय सदस्य द्वारा यहां पर रखा गया है वह एक अच्छी भावना से लाया गया है। इसके माध्यम से हम सभी ने अपने-अपने विचार यहां पर प्रस्तुत करने हैं। हमें उम्मीद है कि आप जितनी मेहनत करती हैं उस मेहनत का परिणाम यह है कि इन तीन सालों के अंदर ऐसा कोई विधान सभा क्षेत्र नहीं है जहां पर योजनाएं नहीं बनाई गई हैं। बहुत सारी जगह शिलान्यास हो रहे हैं और बहुत सारी जगह उनका उद्घाटन भी किया है। कई जगहों पर योजनाओं का कार्य चला है। जहां पर छोटी योजनाओं पर काम किया गया है वहीं पर बड़े-बड़े प्रोजैक्टस पर विभाग ने काम किया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। शुद्ध पेयजल सबको मिले इसके लिए अभी भी बहुत सारे प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पेयजल हम उपलब्ध करवा रहे हैं उसमें कई जगह कम्प्लेंटस आती हैं। अगर हॉस्पिटल में जाएं तो देखते हैं कि water borne disease के मरीज़ होते हैं तो सरकार को वहां तक अपना टारगेट तय करना है कि हर

व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिले ताकि कम-से-कम जो जल जनित रोग हैं उसका कोई भी व्यक्ति शिकार न हो।

माननीय महेश्वर ठाकुर जी ने सही कहा कि आप ईमानदारी की प्रतीक हैं और उस ईमानदारी का परिणाम है कि आज विभाग के अंदर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है और उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछेक सुझाव मैं भी इसमें रखना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछेक गांव ऐसे हैं जहां हम उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक या तो पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं या फिर बहुत सारी जगह ऐसा देखने को मिला है कि सोर्स में पानी है और स्टोरेज टैंक तक भी उचित मात्रा में पहुंचता है लेकिन उसकी वितरण प्रणाली में कहीं-न-कहीं कमी नज़र आती है। अगर हमारा डिस्ट्रिब्यूशन सही नहीं होगा तो फिर जो कमजोर लोग हैं उनको ज्यादा नुकसान होता है। गोविन्द ठाकुर जी ने सही

03.12.2015/1540/SS-AS/2

कहा कि कई बार जो प्रभावशाली व्यक्ति है वह हमारे स्टाफ के लोगों जैसे वाटर गार्ड हैं या जो नीचे पानी छोड़ते हैं उनके साथ मिलकर उसको मैनीपुलेट करते हैं। कुछ को पानी बहुत ज्यादा मिल जाता है और कुछ को पानी नहीं मिलता है। लोग शिकायत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक ऐसा होगा जिसके पास प्रत्येक दिन पानी संबंधी कोई शिकायत न आती हो। हालांकि आपने कॉल सैंटर बनाया है, अच्छी बात है। ई-समाधान और राइट टू सर्विस ऐक्ट भी सरकार ने बनाया है हालांकि हमने उसमें कुछेक कमियां प्वाइंट आउट की थीं। उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो ग्रिवैंसिज़ रिड्रैसल सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। हम तो उस समय को आइडियल मानेंगे जब कम-से-कम जो शिकायतकर्ता है और उसका विभाग का जो फर्स्ट कंटैक्ट पर्सन है या जो रजिस्टर पर कम्पलेंट लिखता है या किसी आई0टी0 टूल के माध्यम से अपनी शिकायत रजिस्टर करता है उसका तुरन्त समाधान हो जाए। उसकी समस्या का तुरन्त समाधान होना चाहिए। अगर नलके में पानी नहीं आ रहा है और लोगों को विधायक से एप्रोच करना पड़े तो स्वाभाविक है कि कहीं-न-कहीं सिस्टम में कमी है। उस सिस्टम को दुरूस्त करने की ज़रूरत है।

जारी श्रीमती के0एस0

3.12.2015/ 1545/केएस/एएस/1

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में वैसे पानी की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत बड़े जल संसाधन है लेकिन उनका हम सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। बर्फ का जो पानी है जो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है उसका कई जगह तो उपयोग किया गया है। कई जल विद्युत योजनाएं बनाई गई है, पेयजल और सिंचाई की योजनाएं भी बनाई गई है लेकिन अगर इसका पूरा उपयोग किया जाए तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हम हर जगह सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी पानी पहुंचा सकते हैं इसलिए इसके ऊपर और ज्यादा प्रयास किए जाने चाहिए । मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कई ऐसी छोटी स्कीमें हैं जहां कई बार गर्मियों में स्त्रोत सूख जाते हैं उनको ऑगमैंट करने के लिए हमने माननीय मंत्री जी के निर्देश के अनुसार एक स्कीम सरकार को भेजी थी जिसमें सरकार ने कुछ पैसे का प्रावधान कर दिया है। ब्यास से पानी उठाने की स्कीम है वह लगभग 137 करोड़ की योजना है उसके लिए JICA या वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने प्रस्तावित है। मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि इस सम्बन्ध में आप विभाग को दिशा-निर्देश दें ताकि वह उसको भारत सरकार से या फंडिंग एजैंसिज़ से टेकअप करें और जल्दी से जल्दी उस स्कीम के लिए पैसे सेंक्शन हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिला में एक गोबिन्द सागर झील है । कुदरत का कोई ऐसा प्रकोप है कि उस झील के किनारे जो गांव हैं, उनमें पेयजल की ज्यादा समस्या है । पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए अगर हम उस झील के पानी को टैप कर पाएं तो कम से कम जो झील के किनारे गांव हैं उनको पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके लिए भी स्कीम प्रस्तावित की है विभाग ने टैंडर भी लगाए लेकिन अभी तक किसी ने टैंडर नहीं भरा है तो उसके लिए आप ग्लोबल टैंडर कॉल करें क्योंकि बड़ी स्कीम बननी है और उससे हम सिंचाई की सुविधा भी ले सकते हैं। कुछ एक प्वाइंट्स ऐसे हैं जहां पर लैवल फ्लक्चुएट होता है लेकिन उसका ज्यादा असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जितने भी वाटर सोर्सिज़ हैं उनकी ओवर ऑल मैपिंग करवाई जाए और यह देखा जाए कि कहां पर पानी को टैप करके किस

3.12.2015/ 1545/केएस/एएस/2

एरिया में पेयजल और इरिगेशन के लिए उसका बैनिफिट लिया जा सके और विभाग की यह कोशिश होनी चाहिए कि यह देखें कि ग्रेविटी बेस्ड स्कीमें ज्यादा से ज्यादा बन

सकें क्योंकि वे एन्वायरन्मैंट फ्रैंडली हैं। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । हम जानते हैं कि मा0 मंत्री जी इसके लिए बड़ी कंसंर्ड रहती हैं और जहां पर भी एन्वायरन्मैंट प्रोटैक्शन की बात आती है आपकी तरफ से पहले भी प्रयास हुए हैं लेकिन बड़ी स्कीमों के लिए ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत है । कई बार अधिकारी शॉर्ट कट देखते हैं और वे कई बार पोलिटिशियन को भी अपने प्रभाव में ले लेते हैं कि आपके समय में ही यह स्कीम सेंक्शन हुई इसलिए इसी में समाप्त हो और इसी में इसका उद्घाटन हो जाना चाहिए । हम लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं कि उद्घाटन भी हमारे समय में होगा तो चलो शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं। बड़ी स्कीम बनाने की जरूरत है । मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में एम.एल.ए. प्रायोरिटी में डाला था कि जो हमारी पुरानी ग्रेविटी बेस्ड स्कीम्ज़ हैं उनको हम सुधार सकें। लगभग 17 छोटी स्कीमें हैं उनके लिए मैं मंत्री जी आपका धन्यवाद करुंगा कि आप ने उनके लिए लगभग एक करोड़ रु0 मंजूर किए हैं और विभाग बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू करेगा और ऐसा सभी जगह करने की जरूरत है। जो ग्रेविटी बेस्ड स्कीमें डीफंक्ट हो गई है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

3.12.2015/1550/av/as/1

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव) ------ जारी

चाहे वे सिंचाई की स्कीमें है या पेयजल की स्कीमें हैं उनको रिवाईव करने की जरुरत है। मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसी पुरानी स्कीमें चाहे वे पंचायती राज विभाग द्वारा चलाई गई थी या लोगों द्वारा अपने-आप बनाई गई थी। चाहे कूहलें हैं या पेयजल की स्कीमें हैं; उनको रिवाईव करने के लिए प्लान बनाने की जरुरत है। यहां पर सभी स्कूलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सरकार ने एक 'जलमणि' प्रोग्राम शुरू किया था। कई स्कूलों में उस प्रोग्राम के तहत खर्चा किया गया और वॉटर प्योरिफायर लगाये गये। कई जगह हैंड पम्प के पानी में टैप की व्यवस्था की गई थी मगर बहुत सारे स्कूलों में उसके ऊपर काम नहीं हुआ। आप उसके लिए रखे गये फंड्ज के बारे में विभाग को निर्देश दें और उस पर काम हो। इसके अतिरिक्त जो म्युनिसिपल वेस्ट हैं या आजकल हमारे यहां पर फर्टिलाइजर और पैस्टिसाइड का यूज़ बहुत बढ़ा है; उस पानी को हम प्योरिफाई कर सकें उसके लिए भी विभाग के सामने एक बहुत बड़ा चेलैंज है। हालांकि अभी बहुत सारी स्कीमें ऐसी बाकी हैं जहां नॉमर्ल वॉटर ट्रीटमैंट प्लांट बनाने की जरुरत है, उनको भी पूरी-की-पूरी कवर किया जाए ताकि लोगों की सेहत ठीक रह सके और उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिले।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब कोई पेयजल की स्कीम बनाते हैं तो उसको आप 70 लीटर पर-कैपिटा के हिसाब से डिजाईन करते हैं। उसको भी रिवाईज करने की जरुरत है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 70 लीटर रखा गया है और शायद शहरी क्षेत्र में 140 लीटर है। मगर आजकल

गांव में कनजम्प्शन ज्यादा है। यह स्टैंडर्ड पहले के फिक्स किए हुए हैं। मगर पहले गांव में पशुओं को खुला छोड़ा जाता था और पशु बाहर पानी पीते थे। आज के जमाने में पशु घरों में ही बांधे जाते हैं और घर में ही उनके पीने के पानी का प्रबंध करना होता है, इसलिए उसको भी रिवाईज करने की जरुरत है। पानी की वैस्टेज को रोकने की भी बहुत ज्यादा जरुरत है।

3.12.2015/1550/av/as/ 2

जहां तक सिंचाई की बात है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए पूरे प्रदेश में असैसमैंट करवाएं। आपकी सिंचाई की स्कीमें जिस सी.सी.ए. के लिए डिजाईन की गई थी उसमें से कितने प्रतिशत जमीन को आप फीड कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम 10 प्रतिशत से ज्यादा एरिया कवर कर पा रहे हैं। अगर कोई स्कीम 100 हैक्टेयर के लिए डिजाइन की गई है तो हम मुश्किल से उससे 10 प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। जैसे हमारे केंद्र सरकार की ए.आई.बी.पी. की योजना थी, नाबार्ड ,कैट या एस.सी.सी.पी. के माध्यम से छोटी-छोटी स्कीमें बनाते हैं। ए.आई.बी.पी. स्कीमों के बारे में बहुत सारे विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी तक एक भी स्कीम मंजूर नहीं हुई है। बल्कि जो भेजी गई थी वे भी भारत सरकार के पास अभी तक पैंडिंग हैं। भारत सरकार इसको जल्दी करे इस बारे में भी उनसे मामला उठाया जाए ताकि लोगों को इसकी शीघ्रातिशीघ्र सुविधा मिल सके। यहां अभी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आपके साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। इसमें अलग-अलग विभाग काम करते हैं जैसे कुलदीप कुमार जी ने कहा। वन विभाग वॉटर हार्वेस्टिंग पर काम करता है। कृषि विभाग भी करता है। इनकी कनवर्जैंस की जरुरत है ताकि हमारा जो रेन वॉटर वेस्ट जा रहा है उसको हार्वेस्ट कर सकें और हमारे भू-जल में भी सुधार हो सके। हम जो हैंड पम्प के माध्यम से ग्राऊंड वॉटर को टैप करने की बात करते हैं इस बारे में थोड़ा और ज्यादा सोचने की जरुरत है क्योंकि कई जगह पानी के प्राकृतिक स्त्रोत भी सूख गये हैं। कई जगह हैंड पम्प ज्यादा लगे हैं और कई जगह जहां पर नये रोड बन रहे हैं वहां कोई हैंड पम्प नहीं है। जैसे-जैसे हमारी रोड कनैक्टिविटी बढ़ रही है उसी के अनुरूप हैंड पम्प लगाने की जरुरत भी है। मगर जहां ज्यादा लगे हैं वहां नये हैंड पम्प लगाने के लिए भी बैन करना चाहिए ताकि हमारे भू-जल का संरक्षण हो सके। उसकी रीचार्जिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

समाप्त

3.12.2015/1550/av/as/3

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य इन्द्र सिंह जी ने जो यहां पर प्रस्ताव रखा है यह पिछले कल सड़कों के बारे में लगे प्रस्ताव से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज सभी बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि अगर थर्ड वार होगी तो वह पानी के लिए होगी। इसके लिए हमें अपने पानी के स्त्रोतों का सही मेनेजमैंट करना चाहिए। मैं सबसे पहले----------

श्री वर्मा द्वारा जारी

03/12/2015/1555/टी0सी0/ए0एस0/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर----जारी

पानी के स्त्रोतों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सबसे पहले इरीगेशन के बारे में कहना चाहता हूँ कि इसके लिए मॉस्टर प्लॉन बनाना चाहिए। मॉस्टर प्लॉन के लिए तीन चीजें जरूरी होती है availability of land, availability of water and then cost factor. इसके लिए जहां पर पर्याप्त लैंड और पानी एवेलेब्ल हैं और कम कॉस्ट में स्कीमें बनती हैं उनको मास्टर प्लान में सबसे पहले "ए" कैटेगिरी में चिन्हित करना चाहिए। उसके बाद मिडियम रेंज को बी कैटेगिरी में रखना चाहिए और कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पर अधिक पैसे में कम बैनिफिट मिल रहा हो वह मास्टर प्लॉन में सी कैटगिरी आए। सिंचाई में कोई पिक-एण्ड चूज न हो और पूरे स्टेट के लिए मैरिट पर काम हो। इरीगेशन के बाद बेलैंस मैंटेन करने वाली बात है जहां हमने ग्राऊंड वाटर एक्सपॉलाईट करना है, प्लेन्ज का एरिया है वहां पर यह ध्यान देने की बात है कि ग्राऊँड वॉटर के साथ-साथ सरफेस इरीगेशन भी बहुत जरूरी है। सरफेस इरीगेशन हमारी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से हो सकती है। इसका बेलैंस मैंटेन करना बहुत जरूरी है। वरना तो जैसे ऊना जिला में सेंटर ग्राऊँड वॉटर बोर्ड ने बैन लगा दिया कि इससे ज्यादा हम ग्राउँड वॉटर नहीं निकाल सकते, ऐसा प्लेन्ज के एरियाज़ में हर जगह होने वाला है। इसलिए जरूरी है कि हम साथ-साथ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर के माध्यम से सरफेस इरीगेशन करें ताकि ग्राऊँड वॉटर की रिबेलैंसिंग साथ-साथ होती रहे। इसके साथ-साथ इरीगेशन के तीन फैक्टर हैं। जैसे हमारे हार्टिकल्चर एरियाज़ हैं वहां हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ड्रिप इरीगेशन का प्रयोग भी जरूर करें। क्योंकि उसके माध्यम से हम कम पानी से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। जो प्लेन एरियाज़ हैं जहां पानी की बहुत कमी है वहां पर स्प्रिंकलर यूज करने चाहिए। जो कन्वैन्शनल इरीगेशन है जिसको हम आजकल फल्ड इरीगेशन कहते हैं जिसका हम अधिकतर प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग हमारे लिए कॉशियस ढंग से करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम ज्यादा फल्डिंग करते हैं तो फसल के न्यूर्टियन्टस ड्रेन हो जाते हैं और वहां पर प्राडेक्टेविटी बहुत कम हो

03/12/2015/1555/टी0सी0/ए0एस0/2

जाती है। इसके लिए इस बारे में बहुत ध्यान देने की बात है। यह मैं प्रेक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ। इसके अलावा पोटेंशियलिटी बरकरार रहनी चाहिए। जैसे धर्माणी जी ने कहा कि वह 10 परसेंट हैं लेकिन मेरे विचार से यह अराऊँड

30 पर 1/3 हो गई है। अगर हम प्लानिंग स्टेज पर ढंग से काम करें और पूरा सी0सी0ए0 लें और उसके बाद हमारी एक्स्टेंशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जैसे हमारे एग्रीक्लच्चर डिर्पाटमेंट के ऑफिसर हैं, उनके साथ आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट टाईअप करें और क्रॉपिंग पैटर्न अपनाए। ट्रेडिशनल क्रॉप्स से हटकर कैश क्रॉप्स की तरफ जाएं और नुकसान का पूरा ऐस्टिमेट करें तो उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी पोटेंशियल युटेलाईजेशन रहेगी । कम से कम वह 75 परसेंट होनी चाहिए। तभी हम जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं और तभी हरित क्रान्ति वाली बात हो सकती है। इसके आगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल हमारी कोई भी स्कीम शड्यूल के हिसाब से नहीं बन रही हैं। अगर 3 साल में उसकी कम्पलीशन होनी है तो उसको पूरा होने में 6-7 साल लग रहे हैं। उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी आजकल हमारी डी.पी.आर. बनती हैं, मुझे पता है कि उसकी डिटेल बन रही है, जब एक बार फंडिंग एजेंसी के माध्यम से उसकी फंडिंग स्वीकृत हो जाती है तो उसकी उसी दिन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल और टैक्नीकल सैंक्शन हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें 5-6 महीनें लग जाते हैं और उसके एक-डेढ़ साल बाद ही टेंडर होता है। इसलिए यह टैक्नीकली सैंक्शन भी साथ-साथ हो जानी चाहिए ताकि एक महीनें के अंदर टेंडर हो जाए और जो प्रोजैक्ट का कम्पलीशन पीरियड दो या तीन साल होता है उसके बीच में वह कम्पलीट हो जाए ताकि बेनिफिशरीज को लाभ मिल सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी सिंचाई की एग्जिस्टिंग स्कीम्ज हैं, वे बरसाती खड्ड या नाले के किनारों में बनी हैं। बरसात के बाद उनमें पानी कम रह जाता है। होता क्या है कि वे स्कीमें सीजनल होती हैं और बरसात के बाद उन्हें बंद कर देते हैं। सील्ट आने

03/12/2015/1555/टी0सी0/ए0एस0/3

की वजह से हमारे वाटर चैनल डिस्ट्रॉय हो जाते है। यहां पर नई स्कीमें बनाने के साथ-साथ मेरा यह प्रस्ताव है .....

श्रीमती एन.एस. द्वारा जारी.....

3.12.2015/1600/NS/AG/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर द्वारा --- जारी

नई स्कीमें बनाने के साथ-साथ मेरा यह प्रस्ताव है कि हम इसको नई तकनीक से ऐसी स्कीम तैयार करें जो ऑल वैदर स्कीम बनें। इन स्कीमों को बनाने के लिए भले ही हमें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़े परन्तु हमें अवश्य ही इन नई स्कीमों को बनाने की आवश्यकता है। हमारे एरिया में बहुत सी स्कीमें सीजनल हैं। बरसात के मौसम में अधिकतर स्कीमें बंद हो जाती हैं और जब बरसात खत्म हो जाती है तो लोग बार-बार इन स्कीमों को चलाने का आग्रह करते हैं। जो पीने वाले पानी की स्कीमें हैं उनको तो जल्दी चालू कर दिया जाता है परन्तु खासकर के जो सिंचाई की स्कीमें हैं ,उन स्कीमों को चलाने में देरी हो जाती है और किसान सिंचाई से वंचित रह जाता है। फसलों से संबंधित स्कीमें दिसम्बर में शुरू होने जा रही हैं और कुछ स्कीमें तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई हैं। यह बहुत जरूरी है कि इनको हम ट्रीट करके ऑल वेदर स्कीम बनाएं। मुझे लगता है कि इसके लिए किसी भी विधान सभा क्षेत्र में फंडिंग की कमी नहीं है। फंडिंग तो हमारे पास बहुत है पर हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके आगे हम स्टैण्डबाई इरिगेशन पम्पिंग भी देते हैं परन्तु हमारे पास एक ही इरिगेशन पम्प होता है। पीक सीजन में अगर पम्प खराब हो जाता है तो वह 10-15 दिन के बाद वापिस आता है। एन्श्योरड इरिगेशन देने के लिए और इरिगेशन को महत्व देने के लिए स्टैण्डबाई पम्पिंग मशीनरी की जरूरत है। मेरा कहना है कि स्टैण्डवाई पम्पिंग मशीनरी पुरानी स्कीमों में भी दी जाए और नई स्कीमों में भी इसका प्रोविजन दिया जाए। स्टैण्डबाई पम्पिंग मशीनरी की परमीशन भी दी जाए। मेरा एक प्रैक्टिकली एक्सपिरियंस है जो हम आर.सी.सी.

पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा रहे हैं, वह बिलकुल फेल हो रहा है। हम आते-जाते देखते हैं कि ग्राऊंड में सीमेंट में लीकेज होती है। तो इसी तर्ज पर हमारी पी.वी.सी और एच.डी. पाईप हैं इनका कई जगह पर विरोध भी कर दिया है। इसके डिजायरड रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इसके साथ-साथ हमारे आई.पी.एच. और पी.डब्लयू.डी. विभाग

3.12.2015/1600/NS/AG/2

में भी स्टाफ की कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि आई.पी.एच .विभाग में स्टाफ की कमी को आऊटसोर्स से पूरा किया जाए ताकि डी.पी.आर्ज .समय पर बन सकें। यह आऊटसोर्स कम-से-कम पांच साल के लिए होनी चाहिए। अगर हम एक साल के लिए आऊटसोर्स करते हैं तो ठेकेदार देखता है कि एक साल पूरा हो गया और वह अपना सामान उठाकर चला जाता है तथा स्कीम को आधे-अधूरे में छोड़ कर चला जाता है।

इसलिए इसकी आऊटसोर्स/मैंटेनैंस कम-से-कम पांच साल के लिए होनी चाहिए। अगर कोई नई स्कीम बने उसका भी पांच साल के लिए मैंटेनैंस का प्रोवीजन होना चाहिए। जो ठेकेदार या फर्म बनाएगी वह पांच साल के लिए उसे मैंटेन भी करेगी। इस तरह इस स्कीम से लोगों को बहुत लाभ होगा। मैं नालागढ़ क्षेत्र के बारे में भी कुछेक बातें कहना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी नालागढ़ में अब कम आते हैं पहले तो काफी आते थे। नालागढ़ का नाम ही नालों से पड़ा हुआ है। यहां पर बरसाती नाले बहुत ज्यादा हैं और वे उपजाऊ मिट्टी को बहा कर ले जाते हैं। इससे एक तो स्वॉयल का नुकसान हो रहा है और ग्राउण्ड वाटर भी डीप होता जा रहा है। एम.एल.ए. प्रायोरिटी में मैंने सारी डी.पी.आर्ज .डाल दी थीं परन्तु बड़े दुख की बात है कि उसकी फीजीबिलिटी स्टडी भी नहीं दोहराई गई है और जो डी.पी.आर.थी Channelization of various nullahs in Nalagarh area and construction of small dams wherever feasible तो स्माल डैम जो हम बनाते हैं, जहां फिजीबिलीटी है, उससे इरिगेशन में हमारा पानी यूज हो सकता है। इसके साथ जो हमारे ट्यूब वैल्स लगे हैं जिससे ग्राऊंड वाटर लिफ्ट हो रहा है उनकी डी.पी.आर्ज .की नॉर्मल स्टडीज करवाई जाए ताकि जल्दी रिपलेसमेंट हो। यह एक बड़ा प्रोजैक्ट है और इसमें समय लगेगा परन्तु इसका काम अभी तक न के बराबर हुआ है। हमारे जो पहाड़ी एरियाज हैं वहां रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारी 75 प्रतिशत जमीन पहाड़ी क्षेत्रों में है और 25 प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों में है। मैदानी क्षेत्रों में ट्यूबवैल्स की और पहाड़ी

3.12.2015/1600/NS/AG/3

क्षेत्रों में रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। इससे हमारे सरफेस वाटर और ग्राऊंड वाटर की जो एक्सकेवेशन है वह बैलैंस रहेगी। इसके अलावा जहां तक वाटर सप्लाई की बात है वाटर सप्लाई के लिए आज से 10-15 साल पहले हम कहते थे कि पीने-का-पानी दीजिए। परन्तु पीने के पानी से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए। पीने के पानी का जो हमारा स्रोत है वह सस्टेनेबल होना चाहिए और उसकी प्रोटैक्शन भी होनी चाहिए। सस्टेनेबल सॉर्स की ट्रीटमेंट हम चैक डैम या बाऊंड्री लगाकर कर सकते हैं ताकि वहां पशुओं की आवाजाही न हो। सबसे बड़ी जरूरत स्रोत की सस्टेनेबलिटी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग पीने के पानी की 50स्कीमें ऐसी हैं जिनमें दिखाने के लिए फिल्टर बैड्स लगे हुए हैं परन्तु वे पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हैं और पानी बाईपास दिया हुआ है।

श्री नेगी द्वारा जारी।

03.12.2015/1605/negi/AG/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर जारी..

तो सभी पुरानी स्कीमों में भी ट्रीटमैन्ट यूनिट एन्श्योर किया जाए। जो भी नई स्कीमें बनती हैं उनमें ट्रीटमैन्ट यूनिट/ फिल्टर टैंक जो भी है वो प्रौपर बनें। इसके अलावा कई स्कीमें हम बनाते हैं, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है कि कई स्कीम शुरू होने के बाद पानी नहीं पहुंचता है। मुझे लगता है कि कुछ कलस्टर्ज़ में पानी नहीं पहुंचता है। यह हमारे लिए सोचने वाली बात है। इसके लिए डिज़ाइनिंग में और एग्ज़ीक्युशन में कहीं प्रॉब्लम है और उसको रिव्यु करने की आवश्यकता है। जब हम पाईपें बिछाते हैं तो मेरा सुझाव है कि विभाग में कई लोग होते हैं, सुपरवाइज़र होता है ,डेली-वेजर होता है और बेलदार होता है, वे पाईप अपने सामने बिछाएं। क्योंकि आधे इंच की पाईप में जब सॉकेट डालते हैं तो कई बार वो ठीक से नहीं चढ़ाते हैं और पाईपें वैसे ही दबा देते हैं जिसके कारण 20,30 या 40 परसेन्ट पानी वेस्ट हो जाता है। सोर्स में पानी बहुत है लेकिन कंज्युमर तक 65से 70 परसेन्ट ही पानी पहुंचता है । इसलिए यह जरूरी है कि पाईप विभाग के किसी कर्मचारी के सामने जुड़वाएं और फिर उसको दबाएं । क्योंकि आज यह दिक्कत आ रही है कि नई स्कीम बनने के बाद पानी नहीं पहुंचता है। हमें फील्ड में सबसे ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम आती है। इसके बारे में सोचने की जरूरत है।

इसके अलावा यह ठीक है कि इरिगेशन और वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए स्टॉफ की शार्टेज़ है जिसकी वजह से हम आऊट सोर्सिंग करते हैं। जो हम आऊट सोर्स एक साल के लिए करते हैं और उसके बाद ठेकेदार उस स्कीम का भट्ठा बिठा कर चला जाता है इसमें मेरा सुझाव है कि 5 साल के लिए आऊट सोर्स होना चाहिए। इसके अलावा मेरी कॉन्स्टीच्युएंसी में काफी स्कीमें कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से चौक हो गई हैं । मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम पूरे हिमाचल प्रदेश में होगी । सरफेस वाटर में कैल्शियम काफी मात्रा में होता है और जिसके कारण कई पाईपें चौक हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि जो भी पाईपें कैल्शियम की वजह से ब्लॉक हो चुकी हैं उन पाईपों को रिप्लेस किया जाए।

03.12.2015/1605/negi/AG/2

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीने के पानी का मिसयूज़ बहुत होता है । उसके लिए कई बार हमें बुरा बनना पड़ता है। कई बार हमारे अपने लोग पानी मिस यूज करते हैं इसके लिए हमें सख्ती से निपटना पड़ेगा।

इसके अलावा नालागढ़ में सीवरेज़ स्कीम के लिए गवर्नमैन्ट ऑफ इण्डिया से फंडिंग भी आ चुकी है और उसका टेन्डर भी हो चुका है । इसमें मेरा कहना यह है कि सीवरेज़ स्कीम तो बन भी जाएगी लेकिन जब तक वहां पर सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर नही होगा तब तक यह स्कीम कामयाब नही होगी।.... (घंटी).... सीवरेज का डिस्चार्ज प्रौपर तभी होगा जब सफिशिएंट पानी होगा। अभी हम कंज्यूमर्ज़ को 120 लीटर के हिसाब से पानी नहीं दे रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वहां पर साथ में वाटर सप्लाई स्कीम को इम्प्रूव करने के लिए भी आप डी.पी.आर. बनाएं । वहां सीवरेज़ स्कीम पर लगभग 21 करोड़ रूपये खर्च होगा और अगर सीवरेज के फ्लो के लिए पानी प्रौपर नही होगा तो यह स्कीम फिजूल चला जाएगा। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट है कि सीवरेज की स्कीम के साथ-साथ आप वहां पर पीने के पानी की स्कीम को भी इम्प्रूवमैन्ट करें।

अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में पिछले 3 सालों में बहुत कम हैंडपम्प लगे हैं । मैं मंत्री महोदया को यह कहना चाहता हूं कि आप बहुत ईमानदार मंत्री हैं, इसमें कोई शक नही है, परन्तु आप नालागढ़ का भी ध्यान रखें। हमारे क्षेत्र में हैंड-पम्पज़ ,ट्यूब-वैल्ज़ और जितनी भी स्कीमें चल रही हैं जो मैंने यहां पर बतायी है वे सारी इन-कारपोरेट होनी चाहिए क्योकि ये प्रैक्टिकल बातें हैं और इससे पूरा लाभ मिलने वाला है । उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

समाप्त

03.12.2015/1605/negi/AG/3

उपाध्यक्ष: अब श्री मनसा राम जी। अनुपस्थित।

अब श्री रोहित ठाकुर जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रोहित ठाकुर (मुख्य संसदीय सचिव) :उपाध्यक्ष महोदय, कर्नल इन्द्र सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहां माननीय सदन में उठाया है जिसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

जल ही जीवन है । जल को मूलभूत आवश्यकताओं में सर्वोपरि रखा जाता है और यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है । इस विषय में चाहे वह जल उपलब्ध करवाने की बात हो, इसके अन्तर्गत जो और भी गतिविधियां आती है, चाहे वो सिंचाई योजनाओं की बात

हो, मल निकासी की बात हो और चाहे वो चैनेलाइजेशन की बात हो, हमारी सरकार की पूरी प्राथमिकता रही है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और सिंचाई एवं जन-स्वास्थय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । लेकिन साथ ही साथ जो कर्नल इन्द्र सिंह जी ने एक बात यहां पर रखी है उसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूं। हिमाचल प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है।

श्री शर्मा जी द्वारा जारी....

03.12.2015/1610/SLS-AG-1

श्री रोहित ठाकुर ,माननीय मुख्य संसदीय सचिव... जारी

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा अधिकतर क्षेत्र रेनफैड है। हमारा किसान वर्षा, मौनसून और बर्फ के पानी पर निर्भर रहता है। मैं समझता हूं कि हमारे इरीगेशन विंग को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, कहीं-न-कहीं उस प्राथमिकता का अभाव रहा है। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि हर गांव को, हर हैबिटेशन को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। आज सिंचाई भी हमारे क्षेत्र और प्रदेश की प्राथमिकता है। मैं अपने ही चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा। पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही सिंचाई को हार्टिकल्चर के साथ जोड़ा गया। मेरा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई बागवानी के लिए सारे प्रदेश भर में जाना जाता है। यहां पर भी सिंचाई को बागवानी के साथ जोड़ा गया है और 2007में AIBP के तहत लगभग 52 करोड़ रुपये की योजना मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई थी। लेकिन खेद का विषय है कि वर्ष 2007 के बाद 5 वर्ष आपकी सरकार भी रही; उस समय शिलान्यास तो अवश्य हुए लेकिन जिस तरह उन स्कीमों को मुक्कमल होना चाहिए था, जनता को समर्पित होना चाहिए था, उसमें कमी रही। जो हमारे 52करोड़ रुपये के तहत13 प्रोजैक्ट बन रहे थे, आज वह 80-90 प्रतिशत मुक्कमल हो चुके हैं। मेरा माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री, जिनके पास हार्टिकल्चर डिपार्टमैंट भी है ,आपसे अनुरोध है क्योंकि यह दोनों विभाग एक-दूसरे से लिंकड भी हैं; जिस तरह से मैंने अपनी बात रखी, शीघ्रातिशीघ्र, टाईम बाऊंड तरीके से इसी वर्ष यह 52 करोड़ रुपये की योजनाएं ,जो आज से कोई 8-9 वर्ष पहले स्वीकृत हुई थीं, यह जनता को समर्पित की जाएं। साथ-ही-साथ, मैंने कहा कि इरीगेशन आज

समय की आवश्यकता है। वर्तमान में भी हमारी सरकार ने केंद्र को जो 324करोड़ रुपये की अपनी योजनाएं AIBP के तहत भेजी हैं, पिछले एक-डेढ़ वर्ष से उनकी स्वीकृति भी नहीं आई है। एक स्कीम one drop one crop की बात कही जा रही है लेकिन उसकी गाईडलाईंज कि वह हमने किस तरीके से भारत सरकार से लानी है , वह पता नहीं है। मैंने भी उसके बारे में पता किया था। उसमें कृषि विभाग को भी लिंक किया गया है। उसमें डिस्ट्रक्ट तथा सब-डिविजन लेवल पर और एक सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो रिकॅमैंड करेगी। हमारी लगभग 70-80 स्कीमें हैं, यह

स्कीमें जो पिछले एक-डेढ़ वर्ष से केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं, फिर से केंद्र को जाएं । इसके लिए भी मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा। इसी तरह से NRDWP है जिस पर, मैं समझता हूं कि हमारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग अधिकतर निर्भर रहता है। इसमें भी फंडिंग की समस्या है।

आज से पहले जो हमारी स्कीमें 90:10 के अनुपात में स्वीकृत होती थीं ,उस पर 50:50 के अनुपात की बात चली और ये अच्छे दिनों की बातें आई। लेकिन अभी कौंडल साहब भी कह रहे थे कि अब 90:10 के अनुपात के स्टेटस को शायद फिर से रैस्टोर किया गया है। जो इंदिरा जी के समय से, राजीव जी के समय से हमारे पहाड़ी प्रदेश को इस तरह की रियायतें दी गईं ,हमारे पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की सैंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम्ज दी गईं ,और यह स्कीमें शुरू की गईं ,यह जारी रहनी चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि वर्तमान की एन.डी.ए. सरकार भी 90:10 के अनुपात से फंडिंग करेगी। चाहे वह हमारे पेयजल की बात हो, चाहे NRDWP की बात हो, चाहे PMGSY की बात हो, जितनी भी हमारी सैंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम्ज हैं ,हमारे पहाड़ी क्षेत्र की जो विशेष समस्याएं रहती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए यह फंडिंग जारी रहनी चाहिए।

इसके साथ ही श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी, जो हमारे रोहड़ू क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं ,उनके क्षेत्र में पब्बर चैनेलाईजेशन की महत्वकांक्षी योजना का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी और आपने किया है। इसका कार्य भी शीघ्र शुरू हो क्योंकि वहां पर जो राहड़ू विधान क्षेत्र और जुब्बल कोटखाई का हमारा बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का क्षेत्र है ,इस योजना से उस क्षेत्र में बड़ा अंतर आएगा। अभी कुलदीप कुमार जी कह रहे थे कि स्वां चैनेलाईजेशन हमारी सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है।

जारी ... श्री गर्ग जी

03/12/2015/1615/RG/AS/1

श्री रोहित ठाकुर (मुख्य संसदीय सचिव)-----क्रमागत

इस तरह से अभी श्री कुलदीप कुमार जी कह रहे थे। स्वां चैनेलाईजेशन जो हमारी सरकार का एक ऐम्बीशियश प्रोजैक्ट है। उसके बनने से ऊना जिले में जितना कृषि क्षेत्र था जिसको हिमाचल प्रदेश की ग्रीनरी कहा जाता है ,उसको री-क्लेम किया गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि पब्बर चैनेलाईजेशन का कार्य भी युद्ध स्तर पर आने वाले समय में व आने वाले वर्ष में तेजी से चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से आग्रह रहेगा कि हाटकोटी जो मैं समझता हूं कि शिमला का सबसे धार्मिक पर्यटक स्थल है और वहां एक तरह से बहुत बड़ा शक्तिपीठ भी है। जहां तक सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी की बात है , उनकी ननिहाल है, हमारी भांजी हैं ,वहां सीवरेज मल निकासी योजना की हमारे कार्यकाल के दौरान और पिछली कांग्रेस सरकार के समय में इसका प्रावधान किया गया था। हाटकोटी, रोहड़ू, जुब्बल और रियासतकाल से लेकर3 - 4स्टेट्स की princely estate वह बॉउन्ड्री हुआ करती थी और मैं समझता हूं कि वहां सब रियासतों का सामूहिक अधिकार था। आज के समय में भी वहां हमारा 110 मेगावाट का प्रोजैक्ट बन रहा है, साथ-ही-साथ हमारा कालिज है और वहां बड़े-बड़े सी.ए. स्टोर्ज हैं और वहां से सीधी कनैक्टिविटी उत्तराखण्ड और आगे सिरमौर के साथ है। यहां सीवरेज का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए बजट का प्रावधान वर्ष 2006-07 में किया गया था। हमारी पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति और अनुमोदन भी स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत प्राप्त हो चुकी है। लेकिन इस पर जिस तरह से कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैडम अपने ननलिहाल का ख्याल रखते हुए आने वाले समय में पर्याप्त मात्रा में हमारी हाटकोटी माता के मंदिर और परिसर के लिए और पूरे शहर के लिए बजट का प्रावधान करेंगी ताकि लंबे समय में जो हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं उनका समाधान निकले।

अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने जो बातें यहां रखी हैं उसमें विशेष रूप से फील्ड स्टाफ की जो कमी है उसका जिक्र किया गया है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा स्नो-बॉउन्ड क्षेत्र है और यहां अपनी तरह की समस्याएं रहती हैं। हमारा वर्किंग सीजन मात्र कोई 5-6 महीने का होता है। इसमें पाईपों की कभी

कोई कमी न रहे ,इन क्षेत्रों को प्राथमिकता मिले। मेरा इनसे यही आग्रह रहेगा। यहां वाटर गाड्र्ज जैसा श्री महेश्वर सिंह जी ने कहा जो हमारे वरिष्ठ
03/12/2015/1615/RG/AS/2

सदस्य हैं ,मैं समझता हूं कि वाटर गाड्र्ज एक टेम्पोरेरी समाधान हो सकता है, लेकिन जब तक जो हमारा फील्ड स्टाफ है जिसमें सबसे जरूरी जे.ई, लाईनमैन ,फिटर आदि है इस तरह के सैंकड़ों पद हर डिवीजन में खाली पड़े हैं। इनको प्राथमिकता के आधार पर चाहे सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की बात हो या बिजली बोर्ड की बात हो या लोक निर्माण विभाग की बात हो, जो हमारे बेसिक सैक्टर्ज हैं इन पदों को भरने की अत्यन्त आवश्यकता है। ड्राइंग ब्रांच जैसे डी.पी.आर. की यहां बहुत लोगों ने बातें कीं। इसमें ड्राइंग ब्रांच की अपनी महत्ता है। मैं समझता हूं कि इसको भी फिलअप किया जाए। जो ट्रेडीशनल वाट बॉडीज जिनके बारे में पिछली यू.पी.ए. सरकार के समय में भी एक योजना थी और उनके लिए अलग से पैसा आया करता था। वह रिस्टोर हो। हमारी पानी की स्कीमों की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जाए। ये सब मेरे सुझाव भी इन्हीं विषयों से संबंधित हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया ,इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

समाप्त
/-2

03/12/2015/1615/RG/AS/3

अध्यक्ष : मेरा सभी सदस्यों से यह आग्रह और निवेदन रहेगा कि ब्रीफली बोलें क्योंकि अभी दो संकल्प और रह गए हैं और पांच बजे के बाद कोई संकल्प नहीं आएगा।

अब श्री बलदेव सिंह तोमर जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री बलदेव सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प माननीय श्री इन्द्र सिंह जी ने नियम-101 के तहत सदन में लाया है। क्योंकि जैसा भाई रोहित जी ने कहा कि जल ही हमारा जीवन है और जल के बिना जीना बहुत मुश्किल है। यहां पर बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं कि किस तरह से हमें प्रदेश में यह स्थिति सुधारनी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और अपने विधान सभा क्षेत्र के ऊपर माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। यहां की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। क्योंकि प्लेन के एरियाज में पानी की समस्या का समाधान-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

03/12/2015/1620/MS/Ag/1

श्री बलदेव सिंह तोमर जारी---------

वहां हैंडपम्पस और ट्यूववैल्ज के द्वारा पानी की समस्या का समाधान होता है लेकिन हमारे विधान सभा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में या तो नदियों से पानी उठाया जाए या जो प्राकृतिक स्रोत हैं, वहां से पीने-के-पानी की व्यवस्था हो सकती है। आज हम यहां स्वच्छ जल के स्रोतों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसे भी स्थान हैं जहां पर पीने के लिए जल ही नहीं है और लोगों को कई-कई किलोमीटर अभी भी खच्चरों और घोड़ों पर पीने-का-पानी ढोना पड़ता है। हालांकि कोई भी सरकार इस प्रदेश में रही हो, सबने प्रयास किया है कि सिंचाई और पीने-के-पानी की स्कीमें बनें। आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 30स्कीमें ऐसी हैं जिनके टैण्डर7 - 8साल पहले हो चुके हैं और वे चल भी

रही हैं लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसका क्या कारण है? क्या उसमें ठेकेदार जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार है? आखिर वे स्कीमें इतने सालों से क्यों नहीं बन रही है? एल0डब्ल्यू0एस0एस0 बालीकोटी स्कीम पिछले आठ साल से बन रही है और वहां के लोगों को पीने-के-पानी की इतनी समस्या है कि सबने अपने घरों में घोड़े और खच्चरें रखी हुई हैं। उनको दूर से ढोकर पानी लाना पड़ता है और घर का एक सदस्य इसी काम में लगा रहता है। वहां की महिलाएं पानी ढोने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती है। उन्हें पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है और वहां पर जब पानी भरने का नम्बर आता है तो बर्तन भरकर लाती है और फिर उसके बाद दुबारा जाना पड़ता है। इस तरह से मुश्किल से दो या तीन बर्तन एक महिला को एक दिन में मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति भी आज इस प्रदेश के अंदर है। माननीय मंत्री जी इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों को इस क्षेत्र में भी भेजिए ताकि वे वहां जाकर देखें कि वहां की वस्तुस्थिति क्या है। वहां पर पीने-के-पानी की क्या समस्या है। स्वच्छ जल तो बहुत दूर की बात है, वहां पर जल भी पीने को नहीं मिल रहा है। कृपया आप थोड़ा इस ओर भी ध्यान दीजिए। दूसरा जो सिंचाई की स्कीमों की बात की गई हैं, इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में दो-तीन प्रमुख नदिया, जिनमें टौंस नदी ,नेड़ा नदी और गिरी नदी है वहां से हम सिंचाई की स्कीमें बना सकते हैं। मेरे यहां से अभी तक एक भी सिंचाई की स्कीम नहीं बनी

03/12/2015/1620/MS/Ag/2

है। हमने इनको विधायक प्राथमिकता में भी डाला है लेकिन अभी तक उनकी डी0पी0आर्ज 0नहीं बनी है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमने विधायक प्राथमिकता में स्कीमें डाली हैं या पहले भी डाली होगी ,उनकी डी0पी0आर्ज0 बनाई जाए। आज तक उस क्षेत्र में कोई भी सिंचाई की स्कीम नहीं चल रही है। जबकि हमारे यहां लोगों का आय का साधन कैश क्रॉप्स ही हैं यानी सब्जियां और टमाटर वहां काफी मात्रा में होते हैं और उसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता रहती है। परन्तु सिंचाई की स्कीम न होने के कारण लोगों को दूर-दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है और फिर वे उस पानी से सिंचाई करते हैं और सब्जियां पैदा करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें।

यहां पर पूर्ववक्ताओं ने कूहलों के बारे में कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर से खाले (ऊपरी क्षेत्र से पानी का बहाव)आते हैं और नीचे ज़मीनें आती हैं। इसलिए वहां पर कूहलें कामयाब हो सकती हैं। पहले कूहलें बनी भी थीं लेकिन अब उनमें से कुछ कूहलें खराब हो चुकी हैं और उनकी रिपेयर नहीं हो रही है। कई जगह जहां सड़कें निकली हैं वहां कूहलें सड़कों के नीचे दब गई हैं। वे साफ नहीं हो रही है। इसलिए कूहलों के ऊपर भी ध्यान दिया जा और अधिकारियों को कहा जाए क्योंकि बहुत सारी भूमि ऐसी हैं जहां कूहलों से सिंचाई हो सकती है। इसलिए उन पर भी थोड़ा ध्यान दें। विशेषकर मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरे क्षेत्र की लगभग 30 स्कीमें हैं जिनके बारे में पिछले सत्र में मैंने प्रश्न भी लगाया था और उसमें जवाब आया था कि शिलाई विधान सभा क्षेत्र में लगभग 30स्कीमें सिंचाई एवं पीने-के-पानी की ऐसी हैं जिनका अभी तक काम नहीं हुआ है। उसका प्रमुख कारण यह है कि ठेकेदार ठेके ले लेते हैं। उसमें जो बड़ी-बड़ी पाइप्स लगनी होती हैं वे पाइप्स वहां पहुंचा देते हैं और उसकी पेमैंट ले लेते हैं लेकिन उन पाइप्स को दबाने का कार्य वे ठेकेदार नहीं करते। -(घण्टी)- जिससे वे स्कीमें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। माननीय सदस्य के0एल0 ठाकुर जी इस विभाग से जुड़े रहे हैं और हमारे डिवीजन में

भी इन्होंने काफी समय तक काम किया है। इनके समय में ये 30 स्कीमें स्वीकृत हुई थी। ये स्वीकृत करवाकर लाए थे और इनके टैण्डर भी हुए

03/12/2015/1620/MS/Ag/3

लेकिन वे आज तक पूरी नहीं हुई हैं। मेरा निवेदन है कि अगर आप इन स्कीमों को पूरा करवाएंगे तो हमारे क्षेत्र की सिंचाई एवं पीने-के-पानी की समस्या हल हो जाएगी और मैं कुछ स्कीमें जिनमें एल0डब्ल्यू0एस0एस0 बाली चौकी------,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

3.12.2015/1625/जेके/एएस/1

श्री बलदेव सिंह तोमरः-------जारी------

कुछ स्कीमें LWSS बाली कोठी, पांडू-भटनोल, पटवाड ,सटाड़, बाड़वां, उत्तरी और पौंटा जाखल इस तरह की बहुत सारी स्कीमें हैं। कुछ स्कीमें तो ऐसी है जिनमें 90 प्रतिशत और 80 प्रतिशत तक काम हो चुका है। लगातार तीन सालों से मैं यहां पर प्रश्न लगाता हूं उनमें एक ही ज़वाब आता है कि 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। लेकिन तीन सालों से वह 20प्रतिशत काम पूरा नहीं हो रहा है। कुछ स्कीमें ऐसी भी हैं जिन पर लोगों ने इक्वायरी की मांग भी की है। जैसे कि हमारी LIS उतरी की स्कीम है। अभी मैंने पैदल उस क्षेत्र का दौरा किया। उस स्कीम की जो पाईप बिछी हुई है उसमें जो मेन पाईप जाती है उसमें इतना मोड़ है कि पानी चढ़ ही नहीं सकता है। कूहलें वहां पर बननी है लेकिन अभी तक नहीं बन पाई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप विशेष करके ऐसी स्कीमों की इन्क्वायरी करें। वहां के सभी गांव ने विभाग को लिख करके भी दिया है। शायद उन्होंने विजिलैंस को भी लिखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि LIS उतरी की आप जांच करवाईये कि उसमें जितना पैसा लगा है क्या वह स्कीम बनी है या नहीं बनी है और वह स्कीम अभी तक क्यों नहीं चली है? कई बार जब आपके विभाग के साथ हम बात करते हैं तो वह कहते हैं कि बिजली वाले अपना ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं। जब बिजली वालों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि इनका हमारे पास पैसा नहीं आया है। कृपया दोनों विभाग आपस में तालमेल करिये ताकि जो लोगों की समस्या है उसको हम पूरा कर सकें। आपने यहां पर मुझे बोलने का मौका दिया और यह जो प्रस्ताव श्री इन्द्र सिंह जी ने यहां पर लाया है। जिन्होंने यहां पर सुझाव दिए हैं , सभी ने सुझाव दिए हैं उन पर गौर करके आप एक नीति बनाए ताकि प्रदेश के अन्दर हमारी स्वच्छ जल और

सिंचाई की एक प्रॉपर योजना बनाए ताकि हमारा प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़े। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

————

3.12.2015/1625/**जेके/एएस**/2

अध्यक्ष: श्री रिखी राम कौण्डल जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रिखी राम कौण्डल: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि माननीय मंत्री जी अगर अपना उत्तर संक्षेप में दें तो अगला रैज्योल्यूशन भी अपीयर जाए ताकि अगले सैशन में आ जाए।

अध्यक्ष: श्री रवि ठाकुर जी आप बोलेंगे। Would you like to speak please? आप सिर्फ 5 मिनट तक बोलें ज्यादा नहीं बोलना।

श्री रवि ठाकुर: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय श्री इन्द्र सिंह जी ने यहां पर दिया है उस पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण् विषय है और पानी से संबंधित है। जल ही जीवन है यह तो बहुत पुरानी कहावत है। मगर मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी जो धरती है यह 75 प्रतिशत जल से बनी है और हमारा जो शरीर है वह भी 75 प्रतिशत जल से बना हुआ है, इसलिए जल बहुत अहम् है। जब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और सभी देवी-देवताओं को जब हम जल अर्पित करते हैं तो जल ही सबसे शुद्ध माना जाता है कि इसमें कोई अशुद्धता नहीं है। जैसे कि आप धन कमाते हैं या सोना-चांदी होता है तो इसमें भी मिलावट की आशंका रहती है। जहां तक आध्यात्मिक बातें हैं उसमें भी जल को सबसे शुद्ध माना गया है। उसी से फूल अर्पित होते हैं और हमारा खान-पान हरेक चीज उसी से अर्जित होती है। जहां तक कृषि व बागवानी की बात है उसमें जल की सख्त जरूरत होती है। हमारा जो समाज है इसके रीढ़ की हड्डी हमारा जल है। मैं यह समझता हूं कि हमारी सरकार जल को हरेक गांव में मुहैया करवाएं। खेत-खलियानों में मुहैया करवाएं। इसके जो कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाए हैं ,मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर बहुत ही अच्छा खाका बनाया है और बहुत अच्छा कार्य किया है। खासतौर से अनुसूचित जाति व जनजातीय इलाकों में बहुत बड़ी-बड़ी

3.12.2015/1625/जेके/एएस/3

करोड़ों रूपये की स्कीमें बनी हैं। मैं समझता हूं कि एक-एक घाट में, एक-एक घर में गांवों में और पंचायतों में पानी पहुंचा है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

03.12.2015/1630/SS-AG/1

श्री रवि ठाकुर क्रमागतः

और इरीगेशन की स्कीमें हैं तथा खास तौर से पीने का पानी हमारे लोगों को भलीभांति मुहैया करवाया जा रहा है। मैं केवल इसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि अभी जो फिल्ट्रेशन का कार्य है और जो क्लोरिनेशन का कार्य है उसमें कहीं पर त्रुटियां हैं उसे भी पूरा किया जाए। सरकार उसमें प्रयत्नशील है। जैसे कि खास तौर से हमारे जो अस्पताल और स्कूल्ज़ हैं उनमें वाटर टैंकस लगते हैं उसमें कई बार ब्लिचिंग पाउडर बोरियों के हिसाब से उलट दिया जाता है जोकि सही मात्रा में नहीं होता है। इस पर अच्छी तरह से नियंत्रण नहीं रखा गया है। आशा वर्कर्ज़ को इसके लिए लगाया जाए कि सही मात्रा ब्लिचिंग पाउडर की डाली जाए। इससे पानी हमारे शरीर के लिए घातक नहीं होगा और पानी के कीटाणु भी मरेंगे। विदेशों में यह देखा गया है कि क्लोरिनेटर लगाए जाते हैं जोकि बिजली से चलते हैं और क्लोरीन की एग्जैक्ट मात्रा रिलीज करते हैं। अगर वह व्यवस्था यहां पर की जाए तो इससे लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा। फिल्ट्रेशन और सैडीमैंटेशन के कार्यों में खामियां हैं, मैं यह चाहूंगा कि इसे भी दुरूस्त किया जाए। जैसे गैस्ट्रोएंटाइटिस और कई तरह की बीमारियां हैं जोकि बच्चों और लोगों में पाई जाती हैं। मंडी के इलाके और निचले इलाकों में इन बीमारियों को देखा गया है इससे बचने के लिए पानी का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। लाहौल-स्पिति की जहां तक बात है यहां पर बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं और यहां पर ज्यादा परेशानी इसलिए आती है क्योंकि जब पानी का सोर्स टैप करना होता है तो विभाग के लोगों को ग्लेशियर के बिल्कुल नज़दीक जाना पड़ता है। जो नज़दीक का सोर्स है वह सिर्फ दो, ढ़ाई या तीन महीने के लिए खुलता है क्योंकि वहां बहुत भारी बर्फबारी रहती है और आज हमें कमी मैगजीन की है। ब्लास्टिंग का मैटीरियल आई0पी0एच0 विभाग के पास नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि संबंधित विभाग इसको मुहैया करवाए क्योंकि हमारे यहां काम करने का बहुत छोटा समय होता है और मैगजीन की खामी की वजह से काम नहीं हो पाता। इसका लाहौल और स्पिति में उपलब्ध करवाया जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारी कुछ बड़ी स्कीमें चली हैं। सन् 1973-74 से हमारी एक लांचा

03.12.2015/1630/SS-AG/2

की स्कीम चली हुई है। इसी तरह से एक सिंधवाड़ी नहर है उसको 18-19 साल हो गए हैं और इसी तरह से हमारा एक तांदी-सुनम-खंडी पर पुल है ,यह भी 35 साल की स्कीम है मगर दोबारा से इसकी नाबार्ड के तहत डी0पी0आर0 की तैयारी की जा रही है। ऐसी जो स्कीमें हैं जोकि 18 या 20 साल से पैंडिंग पड़ी हैं इन्हें तैयार किया जाए।

इसके लिए संवीक्षा की जाए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि करोड़ों रुपया कुएं में चला गया है और एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। हमारे विभाग के लोगों को विदेश भेजा जा सकता है। नॉर्थ-ईस्ट भेजा जा सकता है या अन्य इलाकों में भेजा जा सकता है जहां की स्कीमें सफल हैं और वहां के विशेषज्ञों को हमारे प्रदेश में बुलाकर एक सेमीनार किया जाए ताकि हमारे लोगों को जानकारी हो कि किस तरह की पाइपों का इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह की टैक्नॉलोजी या विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि मैंने विदेशों में यह देखा है कि कुछ ऐसी पाइपें हैं जोकि माइनस 30 या 40 डिग्री टैम्परेचर में भी सही रहती हैं और फटती नहीं हैं। कुछ ऐसी पाइपें हैं जब आप नल बंद करेंगे तो वह अपने आप ब्लीड हो जाती हैं और पानी अपने आप खाली हो जाता है। इस तरह की टैक्नॉलोजी को यहां पर मुहैया करवाया जाए, मैं सरकार से आपके माध्यम से यह गुजारिश करूंगा और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

समाप्त

03.12.2015/1630/SS-AG/3

Speaker: Thank you for taking minimum time. अब माननीय मंत्री महोदय इस चर्चा का उत्तर देंगी और मैं चाहूंगा कि वे बड़ा संक्षेप में उत्तर दें ताकि अगला रेजोल्यूशन भी आ जाए।

Irrigation and Public Health Minister: Hon'ble Speaker, Sir, I will give very brief reply. आप सभी लोगों ने बोल लिया। --(व्यवधान)-- आप फ़िक्र मत करिये मैं सारा पढ़कर नहीं बोलूंगी।

सबसे पहले मुझे कहना है अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया तो मैं आज यहां आ गई हूं। पहले मैंने सोचा था कि कल इनको काफी विस्तार से बातें समझा देती तो अच्छा रहता। अब समय की कमी नहीं है तो आपकी कृपा से मैं थोड़ा बहुत बोल दूंगी। अगर इनको नाराज़गी होगी तो उसे दूर कर दिया जायेगा और सही बात की जायेगी...

जारी श्रीमती के0एस0

3.12.2015/ 1635/केएस/एजी/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी----

माननीय इन्द्र सिंह जी, आप सरकाघाट से आएं हैं । आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है और बाकी सदस्यों को भी इस पर बोलने का अध्यक्ष जी ने मौका दिया तो मैं इनका भी धन्यवाद करती हूं। कोशिश करुंगी कि समयाभाव के बावजूद सभी को मैं संतुष्ट करवा सकूं और बाद में भी मुझे जब भी थोड़ा समय मिलेगा, मैं आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करूंगी। हर आदमी जानता है कि पानी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है । मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं है परन्तु मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी जनगणनाएं जो हमारे यहां हुई हैं, हम 90 के दशक की बात भी करते हैं तो तब से भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश हो रही है। हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं, छोटे से छोटे गांव की हम बात करते हैं। गांव में महिलाओं को बच्चों को बड़ी दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है, उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनकी समस्याओं को दूर करना है। इन्द्र सिंह जी ने पहले भी मुझे कुछ समस्याओं के बारे में कहा था , मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग इसमें शर्म क्यों महसूस करते हैं ? अगर आप देखते हैं कि आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आपका अधिकार है कि आप हमें बताएं। अगर हमारे ऑफिसर्ज़ कोई काम में आनाकानी करते हैं, वैसे मुझे ऐसा नहीं

लगता क्योंकि हमारे ऑफिसर्ज बड़े चुस्त-दुरुस्त हैं और जानते हैं कि किस तरह से काम करना है परन्तु यदि आप चाहें कि घर में बैठकर ही हमारी बात को समझ लिया जाए तो बड़ा मुश्किल है। हमारे ऑफिसर्ज़ बहुत ही काबिल हैं और जिस भी कार्य के लिए मैं इनको एक बार कहती हूं ये कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा ही समय लूंगी। श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी बड़ी जोर-जोर से बोलते हैं परन्तु इन्होंने हमें जो कहा था कि यहां गल्तियां हुई हैं, हमने आपके काम ठीक करवाए हैं। आपके बीच में से कोई भी आ जाए हम सभी का काम

3.12.2015/ 1635/केएस/एजी2/

करते हैं। कल भी विपक्ष की तरफ से एक भले आदमी मेरे पास आए थे। मैंने उनसे भी कहा कि आप पहले मेरे पास क्यों नहीं आए। आपको काम करवाना था तो हमसे कह देते और यह तो हमारा कर्तव्य है। आप लोगों को खुद ही मिलने में शर्म महसूस होती है। आप सोचते हैं कि कौन जाएगा दफ्तरों में या मंत्री के पास तो खाली भाषण देने से तो काम नहीं बनेगा। अगर आप भाषण ही देते रहेंगें तो हम सुनते रहेंगें और अगर आप काम करवाना चाहेंगें तो हम काम करवाएंगें। इंद्र सिंह जी आप आर्मी मैन है He is not politician. He is an Army man. You met only once. Only once you said that this is what I want. That's all. You had not seen my face and I also did not saw your face because I did not know whether your things are getting well or not. I would like to see that everybody must be comfortable and given good results. पानी की समस्या तो सभी के लिए हैं चाहे मेरा घर है या दूसरे का घर है। हमारा पहाड़ी इलाका है और आप देख सकते हैं, आप रोहडू से ऊपर जाएं तो देखेंगें कि कितनी मुश्किल से हमने समस्याओं का समाधान किया था आप यकीन नहीं कर सकते कि कैसे-कैसे वहां हम पानी ले कर आए हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी खुद छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑफिसर को वहां भेजते हैं। हमने कइयों के 8-8 प्रोजैक्ट्स भी एक दिन में तैयार करवाएं हैं क्योंकि उन लोगों ने कोशिश की । इसी तरह से आप लोग खुद भी साहस रखो, बोलो की यह हमारी समस्या है और हम उसका समाधान करेंगें। आप यह क्यों सोचते हैं कि आप कोई और है और हम कोई और है। हमारा प्रदेश एक है । हमने आपस में तालमेल से काम करना है ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

3.12.2015/1640/av/as/1
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ------जारी
अगर आपस में तालमेल से काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। (---व्यवधान---) मैं सच बात बोल रही हूं। मैं किसी से डरती नहीं हूं। आप ठीक से बात कीजिए। अधिकार से बात कीजिए ,यह हम सबका अधिकार है। मैंने गांव में महिलाओं को देखा है जिनको दूर-दूर से पानी ढोना पड़ता है। मैंने उनसे बात की और उन्होंने भी समझदारी दिखाई। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपनी तकलीफ के बारे में मेरे दफ्तर में चिट्ठी लिखकर भेजा करो। आप यकीन नहीं करेंगे मुझे बहुत सारी महिलाओं ने चिट्ठियां लिखी हैं और मैंने उनका इंतजाम करवाया है। मैंने डायरैक्टर और एक्सियन को कहा कि अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ बहुत बोलूंगी। मुझे किसी ऑफिसर ने यह नहीं कहा कि जो आप बोल रही हैं हम वह कार्य नहीं करेंगे और करके दिया। यह सोचने की बात है। इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी इसके साथ नहीं बनती या मैं इसके साथ नाराज हूं। नाराजगी कुछ और चीज होती है। यहां हम सभी लोग एक परिवार है और हमारे प्रदेश की जनता बहुत सुलझी हुई तथा समझदार है। मैं यहां पर ज्यादा भाषण नहीं दूंगी क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो ठीक नहीं होगा। बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे मिल लीजिए। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी अगर नहीं भी होगा तो भी उस बारे में सोचा जायेगा। ऐसे चुपचाप नहीं रहना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहती हूं क्योंकि यहां पर आज बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी स्कीमों के बारे में बात की है। माननीय विधायक श्री इन्द्र सिंह जी, आप यहां देखिए आपकी कितनी अमाऊंट की स्कीम्ज बनी हैं। Two Nos. WSS amounting to Rs. 69.78 lacs have been completed. I am talking about everything. One No. WSS amounting to Rs. 2200 lacs is in progress. Some money is being shown. The money is being implicated. One No. Irrigation scheme amounting to Rs. 17 lacs is in progress. These are your four projects. यह लिस्ट मेरे पास अभी आई है। इसी से पता चल जाता है कि आपका काम हुआ

3.12.2015/1640/av/as/2
है। यहां डॉ. राजीव बिन्दल जी ने भी अपनी समस्याएं बताई थी। बिन्दल जी तो बड़े चमत्कारी आदमी है वे अभी यहां बैठे नहीं है। मैं समझ सकती हूं, सबसे ज्यादा शोर तो वे ही मचाते हैं। मैं उनका भी बता रही हूं। 2 Nos. WSS amounting to Rs. 12.48 lacs have been completed. 10 Nos. WSS amounting to Rs. 2423.92 lacs are in progress. Everything is going on. 2 Nos. irrigation schemes amounting to Rs. 54.40 lacs have been completed. This is also completed. 01 No. irrigation scheme amounting to Rs. 75.76 lacs is in progress. We are not slow. We are doing work. That's how we are working. This is my system. This is what I am trying to tell you. इसी तरह से और भी है। गोविन्द सिंह ठाकुर जी, आपकी तो बहुत लम्बी लिस्ट है। Your 06 Nos. WSS amounting to Rs. 117.92 lacs have been completed. 05 Nos. WSS amounting to Rs. 2181.06 lacs are in progress. So, you can see that we have done a

lot of work. 02 Nos. irrigation schemes amounting to Rs. 87.40 lacs have been completed. 06 Nos. irrigation schemes amounting to Rs. 481.87 lacs are in progress. One No. flood protection scheme amounting to Rs. 28.15 lacs has been completed. You have worked very hard yourself because you came and met me that these are the projects which I want. So, these are the issues you have to see. अगर आप घर में बैठे रहेंगे या फोन करेंगे तो उससे तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि काम कैसे हो। इसी तरह से मेरे पास दूसरे सदस्यों के नाम भी है। मैंने कुछ तो पढ़ कर बता दी हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आप मुझे लिखकर भेज दें उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मैं सारा दिन दफ्तर में ही बैठती हूं। हमने बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स लिए हैं। हमने आठ-आठ प्रोजैक्ट्स एक-एक दिन में तैयार किए हैं। हमने 5-5, 6-6 प्रोजैक्ट्स पूरे

3.12.2015/1640/av/as/3
किए हैं और वे हमने ऐसे ही नहीं किए। हमने वही काम किए जो हमारी सरकार चाहती थी। हम तो चाहते हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश आगे-से-आगे बढ़े और सबको सुविधा मिले। मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूं। बाकी रही ऑफिसर्ज की बात----------

श्री वर्मा द्वारा जारी

3.12.2015/1645/टीसी/एजी/1
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी---
बाकी रही ऑफिसर्ज की बात, मैं जानती हूं कि हमारे पास ऑफिसर्ज़ कम थे और अभी भी है । हमें दिक्कत आती है। बाकी आपने पाइपों के बारे में कहा तो इस बारे में हमको बीच में कुछ शिकायतें आई थी। पहले-पहले कोई शिकायत नहीं आई । बड़ा अच्छा काम किया, ईमानदारी से सभी ने काम किया । बीच में किसी एक-आधा आदमी ने गड़बड़ की होगी, ऐसा मेरा ख्याल है क्योंकि मैं आसानी से किसी को नहीं छोड़ती हूं। जब हमारी मीटिंग होती है तो मैं खुद मीटिंग्ज़ में बैठती हूं । बड़ी-बड़ी कम्पनियों से हमारी पाईप आती हैं परन्तु इस बार थोड़ी कमी हुई है । वे टाईम पर पाईप नहीं दे सके अगर वे समय पर नहीं दे सकते तो इसका असर हम पर भी पड़ता है। हम तो चाहते हैं कि जो भी काम हम करें ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, हम लोग यहां पर क्यों बैठे हैं? आप मंत्री बनो या न बनो You have to see that we are honest person. We are honest people. You must be honest people. Why we cannot work properly? That is what my situation is. This is my attitude. Once again I want to tell you that I don't want to give big reply. If you have any problem, especially regarding women and children then let me know. हमने सबको बोला, पहली बार जब हम आए हमने हैंडपम्प लाए, मशीनें लाई । सबको कहीं 10 दिए कहीं 20 दिए कहीं 5 हैंडपम्प दिए। हमने सबसे पहले मंदिरों में, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में दिए। इस तरह से जहां भी बहुत जरूरी है, उनको देना है। कईयों ने 10-10 लिए तो कइयों ने 5-5 हैंडपम्प लिए। जहां बड़ा एरिया है वहां ज्यादा दिए । जैसे हमारे जो प्रधान या अध्यक्ष हैं, उन्होंने आगे से आगे काम किया। उन लोगों ने सभी ने काम किया, ऐसा नहीं है कि मैंने ही काम किया। अगर उन्होंने डिमांड की है they got it through everybody. तो फिर सबको प्रसाद बांटा है तो कितनी अच्छी बात है। This is how all of us should work. These are all my friends. They never met me that way

because उनको ऐसा लगा कि इन्हें कोई काम पसन्द नहीं आया, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। अपनी सोच-समझ और

3.12.2015/1645/टीसी/एजी/2

सच्चाई से काम करना चाहिए यह मैं कहना चाहती है। समय की कमी है । अध्यक्ष जी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती थी लेकिन इतना बड़ा भाषण मुझे देना पड़ा । One thing I want to ask you very seriously कि आप ये बताएं कि हमारा काम सही है या गलत? अगर आप हमारा इस बात में साथ देते हैं तो आप हां और न कहें। देखा अध्यक्ष महोदय, इनमें बोलने की हिम्मत ही नहीं है। अगर आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, अरे, हम तो सभी इन्सान ही है । बस पार्टी हमारी अलग-अलग है। परन्तु हम सभी अच्छे से तो रह सकते हैं। अगर नहीं रह सकते तो हम सभी की बेइज्जती हो जाएगी।

I have done a little bit of my job but I couldn't do as soon as possible. परन्तु जिसे भी कोई शिकायत होगी, लिखकर मुझे दे देना, दोबारा-दोबारा यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है I can assure you that I will do my best. First you will have to do the best only than I could do the best. ABCD doesn't matter to me. Thank you very much, Sir.

अध्यक्षः मंत्री जी के जवाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी माननीय मंत्री महोदया की स्टेटमैंट से संतुष्ट है।

IPH Minister by AS in English

3.12.2015/1650/ns/as/1

Irrigation & Public Health Minister: Now, I will request the Hon'ble Member Shri Inder Singhji to withdraw his Resolution.

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के मध्यनज़र मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस हो?

सदस्यगण : जी, हां।

अध्यक्ष : संकल्प वापिस हुआ।

अब श्री रिखी राम कौंडल जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो अभी आज की बैठक को समाप्त होने के लिए सात-आठ मिनट बाकी है। अगर यह संकल्प प्रस्तुत हो जाए और अगले सत्र में आ जाए तो मुझे भी बोलने का पूरा मौका मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है:-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में उपलब्ध सौर ऊर्जा के दोहन हेतु सभी जिलों में सौर ऊर्जा पार्क/सयंत्रों की स्थापना हेतु नीति बनाए।"

अध्यक्ष : तो संकल्प प्रस्तुत हुआ कि प्रदेश में उपलब्ध सौर ऊर्जा के दोहन हेतु सभी जिलों में सौर ऊर्जा पार्क/सयंत्रों की स्थापना हेतु नीति बनाए।" It will continue in the next Session. 3.12.2015/1650/ns/as/2

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव

धर्मशाला : 176215
दिनांक : 3 **दिसम्बर**, 2015